LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, December 13, 2024 / Agrahayana 22, 1946 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 13, 2024 / Agrahayana 22, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

REFERNCE RE: HOMAGE TO MARTYRS OF TERRORIST ATTACK ON PARLIAMENT HOUSE	**1**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 261 – 266)	**1A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 267 – 280)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2991 – 3220)	**51 – 280**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, December 13, 2024 / Agrahayana 22, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 13, 2024 / Agrahayana 22, 1946 (Saka)

C ON T E N T S — P A G E S

FELICITATIONS TO SHRI D. GUKESH ON WINNING THE WORLD CHESS CHAMPIONSHIP	**281**
RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 94**
COMMITTEE ON ESTIMATES	**295**
Statements	
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	**296**
Study Visit Reports	
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS	**296**
1st Report	
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS	**296**
Statement	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON DEFENCE – LAID	**297**
Shri Sanjay Seth	
BUSINESS OF THE HOUSE	**297**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**298 - 311**
Shrimati Bharti Pardhi	**298**
Shri Dilip Saikia	**298**

Shri Pradeep Purohit **299**

Shri Yogender Chandolia **299**

Shri P. P. Chaudhary **300**

Shri Jugal Kishore **300**

Shri. Kamakhya Prasad Tasa **301**

Dr. K. Sudhakar **302**

Dr. C. M. Ramesh **302**

Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar **303**

Shri Gyaneshwar Patil **303**

Shri Dushyant Singh **304**

Shri Bibhu Prasad Tarai **304**

Dr. Shashi Tharoor **305**

Shri Satpal Brahamchari **305**

Shri Ramasahayam Raghuram Reddy **306**

Shri Amrinder Singh Raja Warring **306**

Shri Saptagiri Sankar Ulaka **307**

Shri Sasikanth Senthil **307**

Shri Babu Singh Kushwaha **308**

Shri Virendra Singh **308**

Shri Eswarasamy K. **309**

Shri Bastipati Nagaraju **309**

Shri Arvind Ganpat Sawant **310**

Shri Vishaldada Prakashbapu Patil **310**

Shri Chandra Prakash Choudhary **311**

DISCUSSION ON GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF CONSTITUTION OF INDIA (Inconclusive) 312 - 436

Shri Rajnath Singh 312 - 28

Shrimati Priyanka Gandhi Vadra 329 - 33

Shri Akhilesh Yadav 334 - 40

Shri Kalyan Banerjee 341 - 47

Shri T.R. Baalu 348 - 51

Dr. Byreddy Shabari 352 - 54

Shri Rajiv Ranjan Singh *Alias* Lalan Singh 355 - 58

Shri Arvind Ganpat Sawant 359 - 63

Shri Bhartruhari Mahtab 364 - 70

Shri Sukhjinder Singh Randhawa 371 - 73

Dr. Amol Ramsing Kolhe 374 - 77

Shrimati Shambhavi 378 - 81

% Shri Subbarayan K. 382

Shri Sachithanantham R. 383 - 84

Shri Awadhesh Prasad 385 - 86

Sushri Mahua Moitra 387 – 93

… 394 - 97

Shri Jagdambika Pal 398 & 402 - 08

… 399 - 401

@ Shri Malvinder Singh Kang 409

% For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Subbarayan K. in Tamil, please see the Supplement (PP 382A to 382B).

@ For English translation of the speech made by the hon. Member, Shri Manvinder Singh Kang in Punjabi, please see the Supplement (PP 409A to 409B).

Shri Hibi Eden **410 - 13**

Shri E.T. Mohammed Basheer **414 - 16**

Shrimati Daggubati Purandeswari **417 - 23**

Sushri Iqra Choudhary **424 - 27**

Shri Hanuman Beniwal **428 - 30**

Shri M. Mallesh Babu **431 - 33**

Shri Rajkumar Roat **434 - 36**

xxxx

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, December 13, 2024 / Agrahayana 22, 1946 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS **PAGES**

XXX XXX XXX XXX

Xxx xxx xxx xxx

Xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

DISCUSSION ON GLORIOUS JOURNEY OF 75 YEARS OF CONSTITUTION OF INDIA 382A - 82B & 409A - 09B

xxx xxx xxx xxx

Shri Subbarayan K. 382A - 82B

xxx xxx xxx xxx

Shri Malvinder Singh Kang 409A - 09B

xxxx

(1100/MK/SNT)

1100 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

संसद भवन पर आंतकवादी हमले के विषय में उल्लेख

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज यह सदन और सम्पूर्ण देश 13 दिसम्बर, 2001 की उस दुःखद घटना को गहरी संवेदना के साथ स्मरण कर रहा है, जब कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे लोकतंत्र के उच्चतम प्रतीक, भारत की संसद पर हमला किया गया था।

संसद परिसर की सुरक्षा में तैनात हमारे सतर्क सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इस हमले को नाकाम कर दिया था। आतंकवादियों के इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले में एक सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी भी शहीद हुए थे।

यह सभा 13 दिसम्बर, 2001 के आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी महान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है।

इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष: ओम शांति: शांति: शांति: ।

प्रश्नकाल, क्वैश्चन नम्बर-261., श्री कंवर सिंह तंवर जी।

(प्रश्न 261)

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूं, जिसके योग्य नेतृत्व में हमारे देश ने तपेदिक उन्मूलन की दिशा में समर्पित यात्रा की है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों में सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही है?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भारत को टी.बी. मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। इस दिशा में हमारी यह कोशिश है कि निरंतर टी.बी. के इंसिडेंस रेट में और टी.बी. से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट आए। डब्ल्यूएचओ द्वारा जो ग्लोबल टी.बी. रिपोर्ट निकाली जाती है, उसमें स्पष्ट तौर से आंकड़े सामने आए हैं कि भारत के अंदर हमारी जो टी.बी. इंसिडेंस रेट है, वह घटकर 17.7 परसेंट हो गई है, जो ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन से कहीं ज्यादा, दुगुनी है, जो 8.3 परसेंट है। यह दर 237 पर लाख पॉपुलेशन से घटकर 195 पर लाख पॉपुलेशन पर आ गई है। इसी प्रकार हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है, वह भी घटकर 21.4 परसेंट पर आ गई। निरंतर टी.बी. के इंसिडेंस और टी.बी. की मोर्टेलिटी को घटाने के हमारे प्रयास सभी राज्यों में चल रहे हैं। अभी गत 7 दिसम्बर को हमने एक 100 दिवसीय इंटेंसीफाइड कैंपेन की शुरूआत की, जिसके जरिए हमारी कोशिश है कि हमारे देश भर के राज्य और यूनियन टेरिटोरी के अंदर जो 347 हाई बर्डेन एरियाज हैं, जहां पर वलनरेबल पॉपुलेशन है, जिसको ज्यादा जोखिम है, हम उस वलनरेबल पॉपुलेशन की मैपिंग कर रहे हैं।

(1105/SJN/AK)

ऐसे तमाम लोग जो 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं या डाइबिटिक हैं या पीएलएचआईवीज़ हैं या स्मोकर्स या अल्कोहोलिक्स हैं, ऐसी वल्नरेबल पापुलेशन के बीच जाकर उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और अर्ली डाइग्नोसिस की जा रही है। हम उनको ट्रीटमेंट देने का काम कर रहे हैं तथा हम उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं।

महोदय, मैं आज के इस अवसर पर आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदगण से यह अपील करना चाहती हूं कि हमने जो 100 दिवसीय इंटेन्सीफाइड कैंपेन लॉन्च किया है, जो 7 दिसंबर से लेकर 24 मार्च अर्थात् वर्ल्ड टीबी डे तक चलेगा। सभी लोग उसमें बढ़-चढ़कर भागीदारी करें। यदि 347 जिलों में कोई है, तो आप उसमें बढ़-चढ़कर लोगों की अर्ली डाइग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हमारी मदद करें।

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) : महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय टीबी सेवा वितरण को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक विकेन्द्रीकृत करने की योजना बना रहा है?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदय, हमारा टीबी एलिमिनेशन का जो कार्यक्रम है, उसमें हम एनएचएम के तहत आरसीएच फ्लेक्सी पूल में जो राज्य हैं, उनको फंड्स रिलीज करते हैं। हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जो डाइग्नोसिस की फैसेलिटी है, वह हम दे रहे हैं। यदि हमें सामान्य जनता की टीबी इंफेक्शन की जांच करनी है, तो वहां पर यह हो सकती है। हम पीएचसी और सीएचसी पर इसके सैंपल का एनॉलिसिस भी कर सकते हैं। इसके उपचार के लिए दवाइयां, डाइग्नोसटिक्स इत्यादि जो कुछ भी चाहिए, जो हमारे सामान्य टीबी मरीज हैं या जो हमारे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मरीज हैं, उन्हें राज्यों के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर, जो हमारे पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल हैं, वहां ये सारी सुविधाए दी जा रही हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Sir. After listening to the exhaustive answer by the hon. Minister, my question is this. In response to evolving medical insights, the National Tuberculosis Elimination Programme introduced comprehensive care packages and decentralised TB services which include an expanded roll-out of shorter oral regimen for patients with drug-resistant TB.

Has the Programme prioritised minimising treatment delays and enhancing the quality of TB care with a specific focus on addressing co-existing health conditions such as malnutrition, diabetes, HIV and substance abuse through a differentiated care approach and by focus on the NTEPs approach as the Programme has significantly expanded access to TB preventive treatment?

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, we adopt a differentiated TB care approach once we identify whether the patient is TB infected or the patient is an active TB case. If it is a case of TB infection, we offer preventive treatment and if it is an active case, then we adopt a differentiated approach which is for the high-risk patients or the drug-resistant TB patients for whom we have different regimens that are offered to them.

You had also asked a question about shorter regimen. I would like to mention that we have three types of regimens. We have a longer regimen that used to be for a duration of 20 months. Then, we came up with a shorter duration that was for 9-11 months and there has been better treatment outcome for the shorter regimen, which was for 9-11 months where the treatment rates have improved from 68 per cent to 75 per cent. Also, on the

1st November, we have come up with another even shorter and more effective regimen, which is for a period of only six months. We have introduced it and we will be implementing it very soon for our drug-resistant TB patients.

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Thank you, Speaker Sir. There is a growing concern all over the country regarding TB cases nowadays. India accounted for 26 per cent of the TB cases in 2023. Globally, our country is number one as regards TB cases. What specific measures are being implemented to reduce the alarming figure?

In my Constituency, I took the meeting of DISHA and I found out that there is lack of funds everywhere for exact treatment, identification of the patient, early detection and proper examination.

(1110/UB/SPS)

The Government has mentioned that the programme has already been implemented and NHM is already monitoring all the things. But on the field, the reality is that, in my own constituency, I have found that the mortality rate is increasing. Some other disease may also be the reason but the mortality rate is increasing. The study calls for more investment in TB cases, case detection and effective treatment, including for drug resistant TB. What is the current allocation for this area under the National Tuberculosis Elimination Programme? How is the Ministry planning to scale up efforts to meet the 2025 elimination goal? This has to be taken seriously.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, insofar as the budgetary allocation is concerned, it used to be only Rs. 640 crore in the year 2014-15. We increased it to Rs. 3,400 crore by the year 2021-22. Beyond 2022-23 onwards, we have started releasing the funds under NHM as part of the RCH Flexi Pool, and this includes TB as well.

Insofar as India's performance is concerned, I have already stated in my first reply that because of the intensified efforts that the Government is making, our incidence rate is declining and it is better than the global rate of decline. Mortalities have also declined. The expansion of treatment coverage has also increased by 32 per cent in India. It used to be 53 per

cent and then it went up to 85 per cent in the year 2023. We are providing nutritional supplement. We have also enhanced the amount that we provide to the patients through DBT. It used to be Rs. 500 which we have enhanced to Rs. 1000. We also have 1.8 lakh Nikshay Mitras – an attempt to involve the community.

Once again, I appeal to the hon. MP to participate and cooperate in the 100 Days Intensified Campaign in his own constituency so that more and more patients could be identified, especially those who are part of the vulnerable population, which will include the elderly, the PLHIVs, the smokers, the alcoholics, and the people who are malnourished.

I would also like to inform the hon. Member, through you, that we are giving them energy-dense nutritional supplement for two months, especially for patients who are undernourished. So, it is a collective effort that the public representatives, the Government, the administrative machinery, and everybody has to make together.

Insofar as efforts towards TB elimination are concerned, we have made substantial progress. We have scaled up our infrastructure facilities also in terms of our DMCs or our molecular diagnostic laboratories. So, there is no stone left unturned in so far as the Government is concerned. We all have to collectively come together and make sure that no individual, who is TB infected or who is an active TB case, is left behind. We are there with you. You also have to come and work hand in hand with us.

(ends)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने डिटेल में जवाब दे दिया है।

(Q.262)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): I thank the hon. Minister for a very detailed reply. But before I ask my first supplementary, let me flag a few issues which should be of concern to all of us.

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, मुद्दे मत रखिए। यह प्रश्न काल है।

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : अध्यक्ष जी, मेरा प्रसंग बहुत संक्षेप में होगा। जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं, यह उसका पूरी तरह से उल्लेख करेगा, तो थोड़ा सा संरक्षण दीजिएगा, क्योंकि वह सवाल पूछने के लिए जरूरी है।

India was the 8th country which the new President of Maldives visited after being elected on an 'Oust India' Campaign, that too under very severe economic compulsions. Secondly, China was the first country which the newly elected Nepalese Prime Minister visited and signed off on the 'Belt and Road Initiative'. Sir, 12.95 per cent of Sri Lanka's external debt is still held by China, which gives it an economic leverage.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (चंडीगढ़) : सर, हां। मैं सवाल पूछ रहा हूं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, आप सवाल पूछिए।

… (व्यवधान)

(1115/SRG/MM)

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): The Sino-Bhutan border negotiations are in a very advanced stage and Doklam is in a fray, and Bangladesh continues to be in turmoil. My question, therefore, to the hon. Minister is this. While India may have a neighbourhood-first policy, is there any neighbour of India which has an India-first policy?

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I am very glad that the hon. Member referred to visits and timing of visits. Before Prime Minister Narendra Modi went to Nepal, for 17 years, there was no visit from India to Nepal. Does that mean that nobody in India cared for Nepal? For Sri Lanka, for 30 years there were no bilateral visits before Prime Minister Modi went there. So, visits are important, I accept it. Visits are also subject of timing, of convenience, of agenda. We give

them priority. The hon. Member asked, “do they give us priority?” And the answer is, yes. One has to look at what we do with each of these countries. He referred to Maldives. With this Government in Maldives, we have inaugurated the Abdul Link Road and Reclamation Project. I myself went for it, and 28 islands there were provided water and sewage facilities. And by the way, the President of Maldives was present at the oath taking of this new Government.

So, I think the idea or if there is a desire to somehow show the foreign policy of this Government in a bad light for political purposes, that is the Member's privilege. But then, you know, it is not my nature to make foreign policy partisan. But I would like to remind the hon. Member, Sir, through you, that the very Maldives he is talking about was also the country from which the Indian companies were driven out for an important project in 2012. The same Sri Lanka was the place where Hambantota Port was built by the Chinese in 2008. The same Bangladesh was giving support to terrorism till 2014. The same Myanmar was hosting Indian insurgent groups. So, if one looks today at the development projects, development projects require both sides to cooperate. If one looks today at the number of projects, the volume of trade, the exchanges which are taking place, I think the answer is very clear. Now, our neighbours also have their politics. There are ups and downs in their countries. It will have some implications for us. But it is important we are mature and we do not get into point scoring.

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Mr Speaker, Sir, for my second supplementary question, let me turn to our Northern neighbours.

In the January of 2023, there was a paper written by a senior IPS officer presented to the Conference of Directors General and Inspectors General of Police. In that paper, it was pointed out that 26 out of the 65 patrolling points from Karakoram Pass to Chumur were inaccessible to the Indian security forces as a consequence of Chinese transgressions. This fact was never officially controverted by the Government at any level. Can the Minister confirm to this House that after the recent disengagement, all those 26 patrolling points, which were ostensibly inaccessible have become accessible? Number two, whether the current disengagement in any manner, *ispo-facto*, validates the 1959 Chinese claim line?

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, what somebody wrote as a paper is for that somebody to answer for. I can answer for the Government.

Sir, let me, through you, remind the hon. Member that I gave a very detailed statement on the disengagement and recent developments in the India-China border area.

(1120/RCP/YSH)

In that statement, I highlighted that the last of the disengagement agreements had taken place, which pertain to Depsang and Demchok. I also would like to convey to the hon. Member – it was in the statement as well – that the understanding envisages that Indian security forces would be going to all the patrolling points in Depsang and would be going to the East-ward limit which has historically been our patrolling limit in that part. We have also, in the same statement, made it clear that we have had some previous disengagement agreements. Those disengagement agreements also had certain provisions where both sides on a temporary basis had agreed to put certain restrains on themselves. So, I think, the position is very clear in that statement and I would urge the hon. Member to read that statement again.

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Thank you, Speaker Sir. I would like to ask the hon. Minister, through you, this. What steps is India taking to improve our relations with our neighbour, Pakistan? Also, what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, Sir.

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I would like to inform the hon. Member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbour, we would like to have good ties. But like with any other neighbour, we would also like to have ties free of terrorism. So, this has been the position of the Government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behaviour of the past, and that if they don't, of course, there are implications for the relationship and for them. So, I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard.

Regarding trade, I think some of the disruptions which happened, happened because of decisions by the Government of Pakistan in 2019. It is a matter on which you know they took the initiative. We have an agnostic position on this.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Can the hon. Minister enlighten the House about this? Nepal has printed on their currency showing Indian territories. What steps are being taken to stop the trug entering India from Myanmar? We have committed ten billion US dollars to the development of Bangladesh. What steps is the Government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? What steps is the Government taking to stop the dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the power loom industry in India?

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, regarding the point made by the hon. Member on the Nepal currency, our position regarding our borders is very clear. So, I think, if there is any expectation in any of our neighbours that by doing something it would get India to change its position they should be very clear that it is not the case. I am sure that the entire House agrees with me in that regard.

With regard to Myanmar because of the very disturbed conditions in Myanmar, we have had to review the open regime policy which has historically been there. But we are sensitive to the requirement of the border communities. So, it is something which we are working on. Part of the challenge is that there is very little Government authority on the other side of the border. So, most of what we have to do, we have to do ourselves. But definitely, there is today a much greater presence there to secure our borders and to monitor the movement of people across the borders.

Regarding Bangladesh, we have a good history of development projects. In fact, when we speak about the Neighbour First Policy, almost in everyone of our neighbouring countries, with the exception of Pakistan and China, we have had important development projects. That is the case with Bangladesh as well.

(1125/PS/RAJ)

And certainly, it is our hope that with the new dispensation in Bangladesh, we will settle down to a mutually beneficial and stable relationship.

With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, the Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting. And it is our expectation that, in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe.

(ends)

(Q. 263)

SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): Hon. Speaker, Sir, my constituency Kurnool proudly hosts Dr. Abdul Haq Unani Medical College and Clinical Research Unit. Under the leadership of Shri Nara Chandrababu Naidu, two acres of land were allocated for its development. The Medical College has already submitted necessary documents for signing an MoU with the Ministry of AYUSH, which is critical for constructing the building and expanding its operations. This initiative holds immense potential to generate employment and foster growth of Unani medicine and AYUSH sector in the region.

Therefore, I would like to ask this question to the hon. Minister. What are the steps taken to expedite the MoU process and ensure its timely execution to facilitate the development of this institution?

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा दो प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पर आयुर्ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछा गया है और माननीय सदस्य के लोक सभा संसदीय क्षेत्र में जो भी कॉलेजेज हैं, उनकी स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी आंध्र प्रदेश में तीन कॉलेजेज चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में सीआरयू यूनिट कुरनुल में है, सीसीआरएच की इकाई विजयवाड़ा में है, सीसीआरएच यूनिट गुड़ीवाड़ा में है। आंध्र पद्रेश में आयुर्वेद के तीन महाविद्यालय हैं, होम्योपैथी के सात महाविद्यालय हैं और यूनानी का एक महाविद्यालय है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने यहां के कॉलेजेज के बारे में कहा है, तो निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय के माध्यम से उनको पूरी तरह से मार्गदर्शन और सहायता वहां पर दी जाती है। अगर इसके बारे में उनको ज्यादा जानकारी चाहिए, तो निश्चित रूप से मुझसे मिलें या मंत्रालय में आकर मिलें, मैं उन्हें पूरी जानकारी देने और मदद करने की कोशिश करूंगा।

*SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): Sir, Ayur Gyaan scheme is intended to promote research and innovation. It is a commendable scheme. As per a survey people who are depending on Ayush for their treatment has increased by 46% in villages and 53% in urban areas. In my parliamentary constituency Kurnool we have one Unani college by the name Dr Abdul Haq Unani Medical College. Presently this college offers 50 seats for undergraduate courses but there are no seats for postgraduate courses. I would like to know from the minister whether under the Ayur Gyan scheme postgraduate seats will be allocated to this college? If it is so, then that will promote healthcare in my constituency.

HON. SPEAKER: Hon. Member, please ask a short question.

Hon. Minister.

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, आयुर्ज्ञान योजना में मुख्य तीन घटक आते हैं। आयुष में क्षमता निर्माण, सतत चिकित्सा शिक्षा, दूसरा, अनुसंधान और नवाचार आयुष में आता है एवं तीसरा,

* Original in Telugu

आयुर्विज्ञान-जीव विज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान। इसके माध्यम से काम किया जाता है। इसमें सीएमई द्वारा शैक्षणिक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आयुष शिक्षकों, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स एवं पेशवरों को उन्नत करना होता है।

(1130/KN/SMN)

जन स्वास्थ्य वितरण के हित के साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधि का भी अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से कार्य किया जाता है। आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के माध्यम से आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आयुर्वेद के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और उत्पादों की मौलिक समझ बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधि की तरफ ध्यान दिया जाता है।

आंध्र प्रदेश के बारे में माननीय सदस्य ने यहां पूछा है कि आंध्र प्रदेश राज्य के संस्थानों के जो प्रस्ताव आए थे, सीएमई घटक के माध्यम से दो प्रस्ताव वहां से आए थे। उनको लगभग पौने ग्यारह करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। योजना की जितनी स्वीकृत धनराशि है, उसकी 20 प्रतिशत राशि आंध्र प्रदेश को भी दी गई है।

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय आयुष मंत्री जी से महाराष्ट्र राज्य के लिए एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। महाराष्ट्र राज्य के लिए पांच एकीकृत आयुष अस्पताल धाराशिव (उस्मानाबाद), जलगांव, जालना, ठाणे और नागपुर में स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन किसी का भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इसकी देरी का कारण क्या है? क्या सरकार मरीजों की दुर्दशा को देखते हुए मेरे धुले निर्वाचन क्षेत्र में आयुष अस्पताल स्थापित करने पर विचार कर रही है?

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए इतना ही बताऊंगा कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से जिला स्तर पर 50 बेडेड हॉस्पिटल, तहसील-ब्लॉक लेवल पर 30 बेडेड हॉस्पिटल देने की योजना है। जो भी हॉस्पिटल यहां पर स्वीकृत किए गए हैं, निश्चित रूप से वहां पर राज्य सरकार से जैसे ही प्रस्ताव आते हैं, उनको स्वीकृति देने का काम आयुष मंत्रालय से किया जाता है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जो आकांक्षी जनपद हैं– जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर, जो नेपाल सीमा से सटे हुए तराई क्षेत्रों में जंगल के किनारे बसा है, जहां तमाम प्रकार की चिकित्सा उपयोगी औषधीय पौधे पाए जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है? आप शॉर्ट में पूछिये।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : सर, मैं वही पूछ रहा हूं। उनके अनुसंधान और नवाचार जैसे घटकों का पता लगाने हेतु क्या सरकार का वहां पर कोई चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान संस्थान खोले जाने का विचार है?

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि उनके क्षेत्र में आयुर्वेद से संबंधित जो भी मेडिसिन प्लांट्स पाए जाते हैं, निश्चित रूप से पूरे देश में इसके शोध का काम और उस पर अनुसंधान करने का काम आयुष मंत्रालय के विविध संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। अगर वह कोई जानकारी देते हैं तो निश्चित रूप से उनके क्षेत्र में भी अनुसंधान करने की कोशिश हमारे मंत्रालय से की जाएगी।

(इति)

(प्रश्न 264)

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने गर्भवती, मजदूर, गरीब महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के लिए प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की थी। यह योजना सबसे अच्छी योजना है, जो कि गरीब महिलाओं को लाभ पहुंचाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लाभार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे पेपर की कमी हो या शादी से पहले आधार कार्ड में नाम की समस्या हो, बैंक खाता न हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो कमियां हैं, उसे दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

(1135/VB/SM)

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, सुरक्षा, संरक्षा तथा संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं एवं बच्चे स्वस्थ होंगे, सुपोषित होंगे तभी भारत सशक्त भारत और विकसित भारत होगा।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है गर्भवती माताओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए एवं इसके साथ-साथ उनकी जो खोयी हुई मज़दूरी है, वह देने का उद्देश्य इस योजना के तहत है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह योजना वर्ष 2017 में शुरू हुई। लोगों को कोई परेशानी न हो, इस योजना को पेपरलेस बनाने के लिए नये तरीके से, नया सॉफ्टवेयर विकसित करके इस योजना के तहत काम किये जा रहे हैं ताकि लाभार्थी उसमें स्व-पंजीकरण कर सकें या आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से, आशा वर्कर्स के माध्यम से, ब्लॉक में जाकर वे अपना पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से इसे पेपरलेस बनाया गया है ताकि उनको कोई परेशानी और दिक्कत न हो। डीबीटी के माध्यम से हम इसका पेमेंट भी करते हैं। अगर हम देखें तो अब तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगभग 3 करोड़ 64 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। इसके तहत पूरे देश में लगभग 18,854 करोड़ रुपए का भुगतान महिलाओं को किया गया है।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। इस योजना को गरीब महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उन तक इस योजना को पहुंचाने के लिए आगे इसमें काम करना चाहिए। मातृत्व स्वास्थ्य पोषण में सुधार के लिए इस योजना की राज्यवार जानकारी हो, तो उसे दें क्योंकि मेरे

चुनाव क्षेत्र में एक आदिवासी तालुका है, वहाँ तक यह योजना पहुंची है कि नहीं, माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी देनी चाहिए।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी, चूंकि आप महाराष्ट्र के बारे में पूछ रहे हैं, तो पूरे राज्य के ब्यौरे के तहत महाराष्ट्र में पीएमएमवीवाई के तहत लगभग 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 1,664 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुके हैं। जो भी लाभार्थी हैं, वे कभी भी किसी भी समय आंगनवाड़ी केन्द्र में जाकर, आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर्स के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा। यह गरीबों और मजदूरों के लिए एक अच्छी स्कीम है। खास करके आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो जहाँ तक मोबाइल की बात है, तो उनके पास क्या होगा? आपने अभी आंगनवाड़ी की बात की, यह अच्छा लगा। आप डिलीवरी के पहले और बाद में गर्भवती महिलाओं को कितनी रकम देते हैं? यह रकम डिलीवरी के पहले और बाद में कितने महीने तक दी जाती है? इसके लिए जो कंडिशन है, इसमें आपने लिखा है कि पीएमएमवीवाई के अंतर्गत दूसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व लाभ दिया जाता है, चाहे पहले बच्चे का लिंग कुछ भी हो बशर्ते दूसरा बच्चा बालिका हो। यह गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों की बात है, तो क्या इस शर्त को इसी प्रकार से चलाना है या इस शर्त को हटाने पर सरकार विचार कर रही है?

(1140/PC/RP)

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज के हर वर्ग को हम इसका लाभ देते हैं। कोई भी पीछे न छूटे, चाहे वे अनुसूचित जाति की महिलाएं हों, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हों। जिनके पास राशन कार्ड है, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर हर किसी को हम इसका लाभ देते हैं। हम यह पैसा दो किश्तों में लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। यह हमारा उद्देश्य है, ताकि डिलीवरी के समय ... (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : आप उनको कितनी रकम देते हैं? ... (व्यवधान)

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : हम पांच हजार पहली डिलीवरी पर, पहले बच्चे के समय देते हैं और एक हजार रुपए हैल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी दिए जाते हैं। ... (व्यवधान) यानी छ: हजार रुपए उनको दिए जाते हैं। दूसरे बच्चे में, यदि वह गर्ल-चाइल्ड हो, तो हम उनको छ: हजार रुपए देते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : क्या आप यह शर्त हटाएंगी? ... (व्यवधान) यह शर्त आपने क्यों रखी हुई है? ... (व्यवधान)

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान, जिसकी माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई है। … (व्यवधान) यह हमारी बेटियों के लिए है, ताकि हमारी बेटियों के प्रति लोगों का व्यवहार बदले, लोगों की सोच बदले। इसीलिए, दूसरे बच्चे के रूप में जब बेटी जन्म लेती है, तो हम उस समय उनको छ: हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देते हैं। … (व्यवधान)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana is a commendable initiative to promote maternal health, and also for supporting them.

I would like to ask certain things from the hon. Minister through you, Sir. As far as the State of Andhra Pradesh from 2019 to 2024 is concerned, during the year 2021-22, about Rs. 14.36 crore were released, where 1.22 lakh people benefitted. But, again, in 2022-23, about Rs. 70 crore were released benefitting only 1.8 lakh women. Is there any discrepancy observed by the Ministry? Has the fund been diverted or misused in the years 2019 to 2024 in the State of Andhra Pradesh?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश की बात की है। अगर हम देखें, तो आंध्र प्रदेश में 1 करोड़ 76 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, यानी लाभार्थियों की संख्या में से लगभग 95 प्रतिशत से ज्यादा लाभार्थियों को हमने भुगतान किया है। इसकी डिटेल्स हम माननीय सदस्य को दे भी देंगे, यह डिटेल राज्यवार है। जो पेमेंट है, वह सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्र में जाकर वे आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराती हैं। वे प्रेग्नेंट हैं, इसका सर्टिफिकेट वे देती हैं। उसके बाद सभी लाभार्थियों को, जो इस योजना के तहत लाभांवित हो सकते हैं, उनको हम लाभ पहुंचाते हैं।

(इति)

(Q. 265)

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I would like to commend the Ministry of External Affairs for the quick evacuation of the Indian nationals from war-torn Syria.

During the last Session, the hon. Minister Shri Jaishankarji had given a good response regarding the migrant workers in the Middle East. However, the troubles faced by the migrant workers have increased day-by-day. This is very concerning.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Ministry could consider establishing specific Inter-Ministerial Desks or Agencies in those countries where we have a high-density of Indian migrant workers. Not only that, we are also registering Recruiting Agents. If these agents are found involved in any illegal activity, they are being punished only by cancelling their licences or suspension. There must be some provision of punishment to RAs.

(1145/NKL/IND)

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, first of all, I am very grateful to the hon. Member for recognising the work which was done to get the Indian pilgrims, who were stranded in Syria, out very safely to Lebanon in the last two days.

Sir, it is also a fact that the world is a very difficult place. There are many conflicts; there are many situations of insecurity and violence. And, we have, today, a very large number of Indians who are exploring the global workplace. The hon. Member suggested that we should establish an integrated presence in an Embassy. The Embassy is an integrated presence. An Embassy may be under the administrative jurisdiction of the Ministry of External Affairs, but it represents all the Ministries, the entirety of the Government, and in fact, the entire nation. And, we have had very, very good cooperation, whether it was Syria recently, or Operation Ganga, or Operation Ajay. I have had colleagues in different Ministries who have personally involved themselves with many of these at various levels. So, it is a fact that the Government is functioning very smoothly, and I can assure him that in any situation, the past record of the Modi Government should be a source of comfort and inspiration to him.

Sir, regarding the RAs, today, in totality – I have indicated it in my answer also – we have 2,164 RAs. Wherever we have situations where something is wrong, it is not only about revoking the license of the RAs. We have had situations in Cambodia and Myanmar where we have even recommended prosecution, in certain cases, to the State Government. So, rules are one thing. If any time any laws are violated, the

hon. Member can be assured that we would take a very tough view of it and ask for full force of the law to be applied.

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, in the hon. Minister's reply, it has been stated just now that till 8th December, there were 2,164 Recruiting Agencies. But here the issue is this. Today, especially in the age of technology, people are being spammed by advertisements and social media posts. This is causing a lot of problem to the youth who are expected to go out of the country and work there. Once they reach there, all these agents get their passports deposited with them and also, they do not get full salaries for which they were eligible. It is because the agents have a cut in it and then only, a small amount of salary is paid to them. So, through you, I would request the hon. Minister, to undertake action against such fraudulent and dangerous advertising agencies.

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, the hon. Member has raised an issue but there are different aspects to it. One, which we have seen particularly in Southeast Asia, where fraudulent jobs are advertised. These are online scams. People are being taken to these countries. They are made to work in illegal places. And, we have been very active and vigilant here. From Cambodia, we have brought back 1,167 Indian nationals, and from Myanmar, we have brought back 497 nationals. We are in touch with the Governments of Cambodia, Laos and Myanmar, where these kinds of cyber scams and illegal activities are going on. In India, we have requested for the blocking of sites which promote such jobs. We have recommended prosecution in certain cases for people who have been involved in this. A different set of problems has been raised for West Asia, Gulf, Middle East, where often we have a situation of underpayment, non-payment of wages, and maltreatment of Indian professionals and workers. In these cases, our Embassies are very active. We do regular reviews and also have open house meetings. We do monitor the situation very carefully, and wherever the Embassy is required to step in, you can be assured that today, under the Modi Government, we put the interests of Indian professionals and Indian workers as the primary task of Embassies abroad.

(1150/VR/GG)

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to raise the supplementary question. Currently, along with the legal recruitment agencies, there are numerous illegal recruitment agencies which have about hundreds of FIRs filed against them. Also, in my State of Andhra Pradesh, there are about 35 active legal recruitment agencies as compared to 500 illegal

recruitment agencies, the highest in the country. Therefore, my question to the hon. Minister is this. What measures have the Ministry taken to ensure that unsuspecting citizens are not issued fraudulent visas? How effective are the monitoring mechanisms in identifying and addressing such cases? I also want to know whether the Ministry's monitoring system flags individuals travelling on fraudulent visas, and how the Ministry has collaborated with other countries to prevent such visa frauds? Thank you.

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, the concerns raised by the hon. Member are justified. We have had such cases. Again, as I said, particularly with respect to Southeast Asia, Cambodia, Myanmar, and to some degree Laos, we have taken a number of measures in this regard. In the e-Migrate portal, because often somebody travelling there will check our website, we put cautionary notices in the websites of the embassies.

We are conducting campaigns here involving even public personalities to caution young people to be careful about getting trapped in such schemes. Wherever we have rescued people, I gave the numbers earlier. We have got information from them who exactly sent them to these places. We have collaborated with other Ministries and the State Governments. We have sent reports about who are all engaged in these activities. This is a constant problem. We have to be constantly aware of it. I can assure the hon. Member that it will be taken care of.

श्री मियां अल्ताफ अहमद (अनन्तनाग-राजौरी) : स्पीकर सर, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑनरेबल मिनिस्टर से है कि बहुत सारे सादा लोग, खास तौर से हमारे जम्मू-कश्मीर से बहुत से लोग फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के चंगुल में फंस जाते हैं और उनको बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए गवर्मेंट को कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जो लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से जाना चाहें वे जाएं और जो एजेंसीज़ और इंडिविजुअल्स ऐसा काम करते हैं, उनको सजा मिले।

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर: सर, मैं आपके माध्यम से संसद के साथी को यह सूचना देना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट किस्म के जो भी लीगल रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं, उनकी लिस्ट हमारे पोर्टल पर है। मैं सबसे यह अपील करूंगा, क्योंकि यह हर एमपी की प्रॉब्लम होती है, हर क्षेत्र में यह समस्या है। हमें आजकल कम्पलेंट्स आती हैं कि कोई कहीं फंस गया है, कोई किसी के जाल में कहीं आ गया है। हम इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन आजकल चला रहे हैं। हम सबसे कहेंगे कि जो पोर्टल में लिखा गया है, जो रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं, उन्हीं के माध्यम से जाएं और जो उनके अलावा अगर लोग आएं और आपको कुछ ऑफर वगैरह दें तो उसको मानना नहीं चाहिए। अगर किसी सदस्य के यहां कोई ऐसी शिकायत आए, अगर वे हमें उसकी जानकारी भेजें, तो हम जरूर उस पर एक्शन लेंगे।

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): Sir, what is the regulatory mechanism being adopted by the Government to stop the rising incidents of fake employment and recruitment agencies duping people in the name of job offer and sending unemployed

youths abroad for jobs. It is frequently happening in my constituency in Anakapalle and in Kadapa district. Majority of the people going to the middle east are cheated. Every day we get requests from them that they have been cheated and that we should look after it and discuss with the External Affairs Minister and things like that. Is there any regulatory mechanism to check these things? Thank you.

(1155/SAN/MY)

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I would like to inform the hon. Member that there is an Act, that is, the Immigration Act, 1983 which provides the Government powers to regulate immigration of people going out to work. That is the basis on which the recruiting agents are evaluated and cleared. Where any illegal activity or any activity against rules happens, either we can take action as per the Immigration Act or there can be other provisions of the law under which action can be taken. If somebody is cheated, that cheating will come under the provisions of the other law and we would recommend that other provisions of the law be applied.

Sir, I would also like the hon. Member to know that there are cases, but there are also, today, a large number of people who have genuinely found satisfactory employment. For example, we have seen this particularly in the last few years because under the Modi Government, our relationship with the Gulf countries has greatly improved. There was an earlier question where visits were raised. If you take a country like UAE – today the Foreign Minister of the UAE is here – for 30 years, no Prime Minister of India went to UAE till Narendra Modi went. Today, if you look, the quality of our relationship with every one of the Gulf countries is better and we are treated better out there. The Governments are more cooperative and looking after Indians who have gone there for work. The number of Indians they have accepted is very much more. So, there is also a positive story to report. And, we should balance it up with some of the irregularities which take place, but the Government's commitment to stamp down on the irregularities is very firm.

(ends)

(pp. 19-30)

(प्रश्न 266)

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले दस सालों में काफी काम हुआ है। हमारे 140 करोड़ भारतीयों का जो सपना है, वह 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' है। इस 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की पूर्ति के लिए पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्ट्री ने काफी सारा योगदान सुनिश्चित किया है। इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं सवाल करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030 के अनुसार भारत सरकार का लक्ष्य अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी को 5 परसेंट तक बढ़ाना है। इसके लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठाने वाली है? इससे नॉर्थ-ईस्ट इंडिया को क्या लाभ मिलेगा? नॉर्थ-ईस्ट इंडिया करीब 1800 किलोमीटर पर है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इससे नॉर्थ-ईस्ट को क्या लाभ हुआ है?

श्री सर्बानंद सोनोवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले दिलीप शइकीया जी और श्रीमती साजदा अहमद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने जलमार्ग के सिलसिले में सवाल उठाया है। जैसे आप सब को मालूम है कि पिछले दस सालों के अंदर जलमार्ग विकास के सिलसिले में परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुआ है, उसके बारे में कई बार मैं इसी सदन में आंकड़े सहित जवाब दे चुका हूं। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा नॉर्थ-ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवेज नंबर-2, बराक नेशनल वाटरवेज नंबर-16 से लेकर जो नेशनल वाटरवेज नंबर 20 है, इनके विकास के लिए अलग-अलग कदम उठाये गए हैं।

महोदय, सबसे ज्यादा निवेश पिछले दस सालों में ही हुआ है। इसके पहले नेशनल वाटरवेज की संख्या वर्ष 2016 तक सिर्फ पाँच तक सीमित थी। वर्ष 2016 के बाद देश में कुल मिलाकर 111 नेशनल वाटरवेज बने हैं। इसके विकास के लिए अगर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई तो वह मोदी जी के कार्यकाल में हुई। जलमार्ग के क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा का पहली बार निवेश हुआ है। (1200/CP/SNT)

इसलिए मैं कहूंगा कि नेशनल वाटर वेज़ में वर्ष 2014 तक हमारी कार्गो हैंडलिंग सिर्फ 18.1 पर्सेंट तक सीमित रही, लेकिन 10 सालों के अंदर ही 133 मिलियन मीट्रिक टन की कार्गो हैंडलिंग कैपिसिटी बढ़ी है। इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में जल मार्ग के जरिए विकास कैसे तेजी से होने लगा है। अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि इस विषय पर और भी सवाल हमारे परम आदरणीय सांसद उठाएं। देश में इस विषय पर विस्तार से चर्चा होनी बहुत जरूरी है।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

श्री डी. गुकेश को विश्व शतरंज चैम्पियनशिप जीतने पर बधाई

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 12 दिसम्बर को भारत के 18 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी श्री डी. गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित फ़ाइडे विश्व शतरंज चैम्पियनशिप का खिताब जीतकर अभी तक के सबसे युवा विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है।

श्री गुकेश की इस जीत से सम्पूर्ण राष्ट्र में उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। निश्चित रूप से उनकी इस उपलब्धि से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी।

यह सदन श्री डी. गुकेश को शतरंज विश्व चैम्पियन बनने पर हार्दिक बधाई तथा उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देता है।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

1202 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए आज अनुमति प्रदान नहीं की है।

1202 बजे (श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 2. श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2023-2024 alongwith Audited Annual Accounts of the National Legal Aid Fund for the year 2023-2024.

(2) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2023-2024 alongwith audited Annual Accounts of the National Legal Aid Fund for the year 2023-2024.

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : महोदय, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि (पांचवां संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.669(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति, तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 21 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.660(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) पहला संशोधन विनियम, 2024 जो दिनांक 23 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसटीडी/एफए/38/एफएसएसएआई(भाग-एक) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.678(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) (एक) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद्, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद्, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरि के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरि के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मदुरै के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Chairman Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2022-2023.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Institute for Social and Economic Change), Bangalore for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Institute for Social and Economic Change), Bangalore, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Department of Statistics, Maharaja Syajirao University of Baroda), Vadodara, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Department of Statistics, Maharaja Syajirao University of Baroda), Vadodara, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar, for the year 2023-2024.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Centre for Research in Rural and Industrial Development), Chandigarh, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Centre for Research in Rural and Industrial Development), Chandigarh, for the year 2023-2024.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Institute of Economic Growth), Delhi, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Institute of Economic Growth), Delhi, for the year 2023-2024.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research), Dharwad, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research), Dharwad, for the year 2023-2024.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (The Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust), Gandhigram, District Dindigul, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (The Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust), Gandhigram, District Dindigul, for the year 2023-2024.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Gauhati University), Guwahati, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Gauhati University), Guwahati, for the year 2023-2024.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (University of Kerala), Thiruvananthapuram, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (University of Kerala), Thiruvananthapuram, for the year 2023-2024.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Panjab University), Chandigarh, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Panjab University), Chandigarh, for the year 2023-2024.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Patna University), Patna, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Patna University), Patna, for the year 2023-2024.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (University of Lucknow), Lucknow, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (University of Lucknow), Lucknow, for the year 2023-2024.

(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, (Gokhale Institute of Politics and Economics), Pune, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Gokhale Institute of Politics and Economics), Pune, for the year 2023-2024.

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre, (Dr. Hari Singh Gour University) Sagar, (M.P.), for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Dr. Hari Singh Gour University), Sagar (M.P.), for the year 2023-2024.

(18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Himachal Pradesh University), Shimla, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Himachal Pradesh University), Shimla, for the year 2023-2024.

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (University of Kashmir), Srinagar, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (University of Kashmir), Srinagar, for the year 2023-2024.

(20) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Mohanlal Sukhadia University), Udaipur, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Mohanlal Sukhadia University), Udaipur, for the year 2023-2024.

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Andhra University), Visakhapatnam, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Andhra University), Visakhapatnam, for the year 2023-2024.

(22) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the National Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Madras Fertilizers Limited, Chennai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Madras Fertilizers Limited, Chennai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited, Jodhpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Fertilisers and Chemicals Limited Travancore Limited, Kochi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Fertilisers and Chemicals Limited Travancore Limited, Kochi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, on behalf of Shri Shantanu Thakur, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 458 of the Merchant Shipping Act, 1980:-

(i) The Merchant Shipping (Ships and Port Facility Security) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.84(E) in Gazette of India dated 22nd June, 2024.

(ii) S.O.2446(E) published in Gazette of India dated 24th June, 2024 notifying the Director General of Shipping, appointed under section 7 of Merchant Shipping Act, 1980, shall be the designated authority for the purposes of Part IXB of Merchant Shipping Act, 1980.

(iii) The Merchant Shipping (Appeal) Rules, 2024 published in Notification No. G.S.R.558(E) in Gazette of India dated 10th September, 2024.

(iv) S.O.3870(E) published in Gazette of India dated 10th September, 2024 appointing the date of publication of the notification as the date on which the provisions at serial number 14 in the Schedule of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 relating to the Merchant Shipping Act, 1980 shall come into force.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (i) of (1) above.

(3) A copy of the Inland Vessels (Central Database and Allied Matters) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 670(E) in Gazette of India dated 29th October, 2024 under sub-section (1) of Section 113 of the Inland Vessels Act, 2021.

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Deendayal Port Authority, Kandla, for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Deendayal Port Authority, Kandla, for the year 2023-2024, together with Audit report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Deendayal Port Authority, Kandla, for the year 2023-2024.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the audited accounts of the Deendayal Port Authority, Kandla, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Authority, Mumbai for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Port Authority, Mumbai for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Port Authority, Mumbai, for the year 2023-2024.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the audited accounts of the Jawaharlal Nehru Port Authority, Mumbai, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Visakhapatnam Port Authority, Visakhapatnam, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visakhapatnam Port Authority, Visakhapatnam, for the year 2023-2024.

(7) (i) A copy of the Administration Report (Hindi and English versions) of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata for the year 2023-2024.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata for the year 2023-2024, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2023-2024.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the audited accounts of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, for the year 2023-2024.

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Shipping Corporation of India Land and Assets Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Shipping Corporation of India Land and Assets Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Shipping Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(9) A copy of the Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2023/01 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 3rd July, 2024 notifying Statute 34(1), Ordinance No 1 of 2024, Ordinance No 2 of 2024, Regulation 01 of 2016, Regulation 03 of 2016 and appointing Estate Officer in respect of public premises controlled by each Campus of Indian Maritime University under sub- section (2) of Section 47 of the Indian Maritime University Act, 2008.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under article 309 of the Constitution:-

(i) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Civil Works Officer Cadre (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023 published in Notification No. S.R.O.73(E) in weekly Gazette of India dated 10th June, 2023.

(ii) The Defence Research and Development Service Rules, 2023 published in Notification No. S.R.O.72 in weekly Gazette of India dated 3rd June, 2023.

(iii) The Defence Research and Development Organisation, Store Assistant 'B' and Store Assistant 'A' (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. S.R.O.78 in weekly Gazette of India dated 24th June, 2023.

(iv) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Store Officer Grade- II. Store Officer and Senior Store Assistant (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023 published in Notification No. S.R.O.85 in weekly Gazette of India dated 26th August, 2023.

(v) The Defence Research and Development Organization, Ministry of Defence, Group 'C' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2023

published in Notification No. S.R.O.86 in weekly Gazette of India dated 30th September, 2023.

(vi) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Accounts Cadre, Accountant (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2024 published in Notification No. S.R.O.9 in weekly Gazette of India dated 10th February, 2024.

(vii) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation and Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Accounts Cadre, Senior Accounts Officer Grade-I (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024 published in Notification No. S.R.O.10 in weekly Gazette of India dated 10th February, 2024.

(viii) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation and Senior Administrative Officer Grade-II (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024 published in Notification No. S.R.O.24 in weekly Gazette of India dated 1st June, 2024.

(ix) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Principal Private Secretary Recruitment (Amendment) Rules, 2024 published in Notification No. S.R.O.25 in weekly Gazette of India dated 1st June, 2024.

(x) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2024 published in Notification No. S.R.O.52 in weekly Gazette of India dated 21st September, 2024.

(xi) The Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Deputy Director (Official Language), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2023 published in Notification No. S.R.O.90 in weekly Gazette of India dated 30th December, 2023.

(2) Eleven Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Joint Warfare Studies, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Joint Warfare Studies, New Delhi, for the year 2023-2024.

(4) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Cantonment Boards for the year 2023-2024.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cantonment Boards, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report of the National Maritime Foundation, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review by the Government of the working of the National Maritime Foundation, New Delhi, for the year 2023-2024.

(6) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Hindustan Aeronautics Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Hindustan Aeronautics Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the BEML Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the BEML Land Assets Limited, Bengaluru, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the BEML Land Assets Limited, Bengaluru, for the year 2022-2023 alongwith audited accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the BEML Land Assets Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report (Hindi and English versions) of the BEML Land Assets Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith audited accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (c) of (6) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): Hon. Chairperson, Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Research and Information System for Developing Countries, New Delhi, for the year 2023-2024.

प्राक्कलन समिति
विवरण

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति (2024-2025) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) गृह मंत्रालय से संबंधित 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां-मूल्यांकन और प्रतिउत्तर तंत्र' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2017-2018) के 28वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2020-2021) के दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों का युक्तिकरण' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2015-2016) के 12वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2020-2021) के 10वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'भारतमाला परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्राक्कलन और कार्यकरण' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2020-2021) के 7वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 16वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से संबंधित 'सरकारी व्यय के बेहतर प्रबंध के लिए हालिया बजटीय सुधार' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2020-2021) के 9वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई – जी) के निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2021-2022) के 11वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 22वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(6) गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2021-2022) के 13वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 25वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(7) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्राक्कलन और नीतिगत पहलू' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2022-2023) के 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित प्राक्कलन समिति (2023-2024) के 29वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति अध्ययन दौरों के संबंध में प्रतिवेदन

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2024-2025) के निम्नलिखित अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 4 से 9 नवम्बर, 2023 तक गुवाहाटी, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 16 से 21 अक्तूबर, 2024 तक मुन्नार, कोच्चि, बेंगलुरु और भुबनेश्वर का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

1204 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
1st Report

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): Sir, I beg to present the 1st Report (Hindi and English versions) of Standing Committee on Railways (2024-25) on Demands for Grants (2024-25) of the Ministry of Railways.

(1205/AK/NK)

STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
Statement

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): I rise to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) on Final Action Taken by Government on the recommendations contained in the 17th Report of the Committee (17th Lok Sabha) on action taken by Government on the recommendations contained in their 16th Report of the Committee (17th Lok Sabha) on the subject 'Performance of Rail Land Development Authority'.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON DEFENCE -- LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2019-20) on Army, Navy, Air Force and Joint Staff (Demand Nos. 19 and 20) pertaining to the Ministry of Defence.

BUSINESS OF THE HOUSE

1206 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission Sir, I rise to announce that Government Business during the remaining part of 3rd Session of 18th Lok Sabha will consist of:-

1. Discussion and voting on the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2024-25 and introduction, consideration and passing of the related Appropriation Bill.
2. Consideration and passing of the following Bills:-
   (i) The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024;
   (ii) The Carriage of Goods by Sea Bill, 2024;
   (iii) The Bills of Lading Bill, 2024;
   (iv) The Coastal Shipping Bill, 2024; and
   (v) The Merchant Shipping Bill, 2024.
3. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:-
   (i) The Oilfields (Regulation and Development) Amendment Bill, 2024; and
   (ii) The Boilers Bill, 2024.

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1207 बजे

माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

Re: Need to re-open Forest Rangers College, Balaghat, Madhya Pradesh

श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) : बालाघाट, मध्य प्रदेश में स्थित फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज की स्थापना 1907 में वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी, आज निष्क्रिय अवस्था में है। यह कॉलेज हमारे देश के वन विभाग के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यह कॉलेज 1 अप्रैल 1990 से मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में है। लेकिन वर्तमान में इसकी गतिविधियां बंद पड़ी हैं। यह एक अत्यंत चिंता का विषय है क्योंकि वानिकी क्षेत्र में हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, वनों की सुरक्षा और वन्यजीव प्रबंधन। ऐसे में इस कॉलेज को सक्रिय करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि बालाघाट फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज को तुरंत पुनः संचालित किया जाए। इसके लिए आवश्यक संसाधन, स्टाफ की नियुक्ति और आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इससे न केवल वानिकी शिक्षा को बल मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। (इति)

Re: Need to fix minimum distance between toll plazas from current 60 KM to 100 KM

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : देश के नेशनल हाईवे पर इस वक्त 983 टोल प्लाजा चल रहे हैं। नेशनल हाईवे मामले में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। वर्तमान में इन टोल प्लाजों पर वाहन चालकों को भारी भरकम टोल चुकाना पड़ रहा है, जिससे देश के आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। टोल दरों में वार्षिक स्तर पर संशोधन हो रहा है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की परिवहन लागत भी बढ़ रही है और आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वर्तमान में देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई लगभग 1,46,000 किलोमीटर है, जो दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक सड़क नेटवर्क है। वर्ष 2018-19 में टोल संग्रह करीब 25 हजार करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 54 हजार करोड़ रुपये हो गया था और वर्ष 2024-25 तक इसके 70 हजार करोड़ रूपए तक पहुँचने की सम्भावना है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2 टोल प्लाजा के मध्य कम से कम 60 किमी. की दूरी होनी चाहिए, लेकिन असम राज्य में गुवाहाटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल 50 किमी. के मध्य 2 टोल प्लाजा चल रहे है।

अतः आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश के नागरिकों पर बढ़ते टोल प्लाजा और टोल टैक्स के भार को कम करने और 2 टोल प्लाजों के मध्य दूरी को कम से कम 100 किमी. करने के विषय में जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाने का कष्ट करें। (इति)

Re: Need to start Graduate Courses in IIHT, Bargah, Odisha and also provide basic infrastructure facilities at Balijori Handloom Market

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास और बलिजोरी हथकरघा बाजार की अवसंरचना सुधार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह संस्थान पश्चिमी ओडिशा के 7 जिलों की सेवा करता है,जो अपनी समृद्ध हथकरघा विरासत,विशेष रूप से प्रसिद्ध संबलपुरी साड़ियों और वस्त्रों के लिए जाना जाता है।पूर्व मंत्री श्री गंगवार जी ने IIHT बरगढ़ में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हो सका है, जिससे विद्यार्थियों और कारीगरों में निराशा है साथ ही,बरगढ़ में स्थित बलिजोरी हथकरघा बाजार, जो रोज 12 घंटे संचालित होता है, स्थानीय बुनकरों और व्यापारियों के लिए जीवनरेखा है। लेकिन इस बाजार में बुनियादी अवसंरचना की भारी कमी है, जिससे इसका पूर्ण विकास बाधित हो रहा है मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि IIHT बरगढ़ में स्नातक पाठ्यक्रम जल्द शुरू किए जाएं और बलिजोरी बाजार की अवसंरचना विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए। ये कदम न केवल ओडिशा की हथकरघा विरासत को संरक्षित करेंगे, बल्कि क्षेत्र के कारीगरों को सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी मदद करेंगे। मैं सरकार से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा करता हूं। (इति)

Re: Need to abolish Service Charges on Industries in Delhi under DIDOM Act

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो दोहरे कराधान और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बोझ तले संघर्ष कर रहा है। दिल्ली में उद्योगपतियों को संपत्ति कर के अलावा DIDOM अधिनियम के तहत भारी सेवा शुल्क का भुगतान करने को मजबूर है। यह दोहरा कराधान उद्योग को पंगु बना रहा है और इसके विकास में बाधा डाल रहा है। DIDOM अधिनियम सड़कों के निर्माण और रखरखाव जैसी सेवाओं के लिए शुल्क और प्रभार लगाता है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव: DSIIDC को करों का भुगतान करने के बावजूद, उद्योगपतियों को स्ट्रीट लाइट, पैदल यात्री मार्ग, उचित स्वच्छता और सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने जैसी बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। बुनियादी ढांचे की यह कमी न केवल उद्योग की उत्पादकता को प्रभावित कर रही है, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है। DIDOM कर को समाप्त केवल एक ही कर के प्रावधान का मैं निवेदन करता हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए। (इति)

Re: Need to regulate social media to address its negative impact upon youths of the country

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I draw the attention of the Hon'ble Minister of Electronics and Information Technology to the critical issue of social media's impact on our youth. Social media's growing influence on Indian youth is shaping their lives in ways that demand immediate intervention. With over 398 million young users in India, teenagers spend an average of 2-3 hours daily on platforms like Instagram and YouTube. Beyond issues like dependency and mental health concerns, unregulated use exposes children to misinformation, skewed ideologies and harmful opinions during their formative years, impacting their emotional development and core values. Studies by NIMHANS reveal that 27% of teens show signs of social media addiction, leading to anxiety, poor academic performance and sleep disorders. ICSSR research highlights that 65% of teens feel pressured by influencers, damaging their self-esteem. Furthermore, unchecked exposure to radical ideas and manipulated content can foster negative thoughts in children in their critical growing years. Countries like Australia, the US, and the EU have introduced stricter regulations to address these challenges, ensuring healthier digital engagement for their youth. I urge the Ministry of Electronics and Information Technology to give fair resolutions to address this matter and protect the architects of our nation's future. (ends)

Re: Need to resume payment of compensation to farmers whose land was acquired by Army for construction of ditches in 1971 in Reasi Assembly Segment in Jammu Parliamentary Constituency

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : मै माननीय रक्षा मंत्री जी से यह मांग रखना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू लोकसभा रियासी विधानसभा छम्ब गाँव सामवा से हमीरपुर जिसमे (कमवा, पंच्तुत, पलातन, गरार, सैन्य, हमीरपुर) सभी की जमीने (2381 कनाल) Ditch बनाने के लिए 1971 में आर्मी द्वारा ली गई थी। 1972 से लेकर मुवावजा वहाँ के किसानो को मिलता आ रहा था जो सितम्बर 2012 तक मिलता रहा उसके बाद मुवावजा देना बंद कर दिया गया है। सभी गाँव में गरीब किसान रहते है जिनकी रोजी रोटी इसी जमीन से चलती थी अब वो बहुत तंगी से अपना जीवन जीते है उन्हें जल्द से मुवावजा दिया जाय पिछला भी और आगे से सही से मिले जिससे वो किसान अपना गुजर बसर कर सकें। (इति)

Re: Need to take steps for extensive study and research work on Assamese language by Central Universities and Academic Research Institutions

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (KAZIRANGA): Assamese is one of India's 22 officially recognized languages and the official language of Assam. With over 15 million native speakers, it's a vital part of the region's culture and identity. The Assamese language has its roots in Old Indo-Aryan dialects, specifically the Magadhi Prakrit and Kamarupi dialects, with influences from Austroasiatic languages. Its script, derived from the Bengali-Assamese alphabet, has been in use since the 2nd century AD. The language has undergone significant development, with notable contributions from scholars like Srimanta Sankardev, who used the Bajrabali language in his works. Assamese has also been enriched by languages like Bodo, Dimasa, and Karbi. Recently, the Government of India recognized Assamese as a classical language, alongside Marathi, Pali, Prakrit, and Bengali. This recognition acknowledges Assamese's rich literary and cultural heritage. Assamese has several dialects, including Kamrupi, Goalpariya, and Eastern Assamese. Additionally, there are creole languages Nagamese and Sadri, also Mundari, Santhali, Bengali is now parts of Assam influenced by Assamese Language in Assam, which have emerged as lingua francas in certain regions. Overall, Assamese is a vibrant language with a rich history and cultural significance. Though Assamese Language is a major language, studied by many universities, lots of reasearch done, I like to request ministry of Education to allow extensive study, research work on Assamese language in the Central Universities and Academic Research Institutions.

(ends)

Re: Adverse impact of Social media on children of the country

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): Children between the ages of 9 and 17 are dedicating between three to six hours each day to social media platforms, with a significant number exceeding six hours daily. This extensive usage has detrimental effects on their mental and psychological well-being, often resulting in increased aggression. Currently, there are 398 million young social media users in India. A 2023 study conducted by the Internet and Mobile Association of India (IAMAI) indicates that teenagers typically spend over 2-3 hours on platforms such as Instagram and YouTube. Furthermore, a recent report from the National Institute of Mental Health and Neurosciences (NIMHANS) reveals that 27% of Indian teenagers exhibit signs of social media dependency, which can lead to diminished concentration, poor academic performance, and various mental health issues. This addiction can manifest in several ways, including impatience, aggression, difficulties with concentration and memory, headaches, discomfort in the eyes and back, stress, communication challenges, lethargy, and even depression. The proliferation of explicit and violent content on social media occurs without adequate regulation. It is imperative to implement regulations and consider banning social media access for children in the country. Additionally, schools should provide counselling services, and digital detox programs should be promoted. (ends)

Re: Need to expedite completion of Fishing Harbour at Pudimadaka in Anakapalle district, Andhra Pradesh

DR. C. M. RAMESH (ANAKAPALLE): The Sagarmala Project is a national initiative to develop India's Coastal infrastructure maritime trade and port connectivity and meant for maritime prosperity. Many projects have been taken up under Sagarmala and one of them funded under this is Fishing Harbor at Pudimadaka in Atchutapuram Mandal, Anakapalli District, Andhra Pradesh. This project was inaugurated by our Hon'ble Prime Minister and a sum of Rs 387 crores has been allocated for the proposed Harbor, which includes fishing jetties, cold storage, dredging, breakwater, quay, etc. The Andhra Pradesh Government have already allotted 37 acres of Land for the purpose. With 75 kms of coastline and nearly 90,000 fishermen, Anakapalli has 32 coastal villages, 28 fish landing centres, 2350 marine fishing fleet with fish landing of nearly 30,000 metric tons amounting to nearly Rs.300 crores. Fishing Harbor at Pudimadaka will prove transformation in the lives of fishermen and local economy. I would request the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for expeditious completion of the project for the benefit of the people of Anakapalle.

(ends)

Re: Alleged intervention of officials in the functioning of Gram Panchayat Sarpanch in Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : संसदीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने से वे स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सकेंगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। मेरे संसदीय क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के सरपंच जिला पंचायत और नगर पालिका के पास उच्च स्तर के अधिकारी स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में हस्तक्षेप करने के कारण, ग्राम पंचायतों और ग्रामवासियों के हित के कामों को करने में बहुत मुश्किले आ रही है! उनके विकास कामों को करने में काफ़ी कठिनाइओ और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे जनहित के विकास काम प्रभावित हो रहे हैं। उच्च स्तर के अधिकारी स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में हस्तक्षेप करते है जिससे स्थानीय विकास कामों को गति नहीं मिल रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के सरपंच जिला पंचायत और नगर पालिका के जनहित के कल्याण और विकास कार्यों में उच्च स्तर के अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में हस्तक्षेप करने से रोका जाना चाहिए तभी मेरे संसदीय क्षेत्र के ग्राम पंचायतों और स्थानीय विकास कामों को गति मिल सकेगी। मैं आशा करती हूँ कि सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगी।

(इति)

Re: Need to establish a Banana Research Centre and Agriculture College in Burhanpur district, Madhya Pradesh

श्री ज्ञानेश्वर पाटील (खण्डवा) : मेरा संसदीय क्षेत्र खण्डवा (मध्य प्रदेश) के अंतर्गत बुरहानपुर जिला केले के उत्पादन के लिए देश भर में जाना जाता है। ऐसे में यहां एक केला अनुसंधान केंद्र और कृषि महाविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने और क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक होगी। अनुसंधान केंद्र के माध्यम से रोग प्रतिरोधी, अधिक उत्पादक और बेहतर गुणवत्ता वाले केले की नई किस्में विकसित की जा सकेंगी जिससे किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रिप सिंचाई, खाद प्रबंधन, कीटनाशकों का वैज्ञानिक उपयोग आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जा सकेगा। अनुसंधान केंद्र और कृषि महाविद्यालय के स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। केले के उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों के विकास से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केला अनुसंधान केंद्र एक पर्यटक आकर्षण का केंद्र बनेगा। अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले केले का उत्पादन करेंगी। उच्च गुणवत्ता वाले केले उत्पादों का निर्यात भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाएगा। जिससे भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि बुरहानपुर में केला अनुसंधान केंद्र एवं कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाये। (इति)

Re: Need to bring policy on use of GM crops ensuring protection of agro-biodiversity and livelihood of farmers

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): I draw the attention of this House to the growing concerns raised by farmers across India regarding genetically modified (GM) crops. Farmer unions from many states, including my constituency of Jhalawar-Baran, Rajasthan, have passed a resolution opposing GM crops, deeming them unnecessary, unsafe, and harmful to our agriculture and food systems. Farmers have highlighted the risks the GM crops pose to biosecurity, biodiversity, and public health. These concerns are amplified by the fact that many countries have banned or heavily restricted GM crop cultivation. India's experience with Bt cotton has shown increased chemical use, stagnating yields, and growing farmer distress. Furthermore, farmers are alarmed by the increasing corporate control over seeds and genetic material through Intellectual Property Rights (IPR), threatening India's agricultural sovereignty. The failure of Bt cotton to control pests has worsened the crisis, especially for cotton farmers in my constituency, where yields are declining, and input costs are rising. Farmers demand a comprehensive national policy on GM crops, one that is precautionary, transparent, and includes stakeholder consultations. I urge the Government to address these concerns and ensure that any policy on GM crops prioritizes the protection of agro-biodiversity, food security, and farmers' livelihoods. (ends)

Re: Need to rehabilitate the slum dwellers in Paradip Port area in Jagatsinghpur Parliamentary Constituency

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): Paradip Port in Jagatsinghpur Parliamentary Constituency in Odisha is one of the largest ports in Country's East Coast and has been performing as number one Port authority in handling of cargo, mostly Iron ore and coal. Besides the establishment of Port authority, many large industrial establishments like IFFCO, IOCL, PPL and number of small and medium industries are operating within and periphery of Paradip Port region. The manual labourers who extend services as daily wage labourers as per requirement of Paradip Port and other industrial set ups have been residing in many pockets inside the Paradip Port authority region as well as in the periphery of the port area as slum dwellers since long. The social and health conditions of these slum dwellers, living in fragmented manner inside and outside of Paradip Port is pitiable and they are also debarred from getting minimum basic facilities provided by the Government. Therefore, I urge the minister of Ports, Shipping and Waterways to kindly look into the matter on priority basis and initiate for their rehabilitation in concrete buildings having facilities of housing, water and sanitation, schooling, anganwadi centers, market, park and other facilities. I would also like to attract the attention of the Hon'ble Minister for beautification of Paradip Town in order to attract investment and create employment opportunity for local people. (ends)

Re: Need to reopen the National Film Development Corporation (NFDC) Centre in Thiruvananthapuram, Kerala

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Information and Broadcasting to the recent closure of the National Film Development Corporation (NFDC) centre in Thiruvananthapuram, following staff transfers mandated by NFDC. This decision has caused considerable disruption within Kerala's film fraternity, affecting countless cinema artists and pensioners who have long relied on the centre's services and support. For over three decades, the Thiruvananthapuram's NDFC has been a cornerstone of Kerala's cinematic heritage, nurturing talent and promoting regional cinema. Its closure not only jeopardises the livelihoods of many in the local film industry but also reflects a troubling disregard for the preservation of cultural legacy. With the Thiruvananthapuram centre no longer operational, the Chennai regional office remains the sole NFDC presence in South India, leaving a significant gap in support for artists and filmmakers in the region. I therefore, urge the Hon'ble Minister of Information and Broadcasting to intervene and facilitate the reopening of the Thiruvananthapuram NFDC Centre which is essential to ensure the preservation of Kerala's rich cultural heritage as also the continued development of regional cinema. (ends)

Re: Railway related issues of Sonipat Parliamentary Constituency

श्री सतपाल ब्रह्मचारी (सोनीपत) : मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि सोनीपत लोकसभा के रेलवे संबधित निम्न मांगो पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए :-

1) ट्रेन नंबर 04584/04013 का विस्तार गोहाना- रोहतक-रेवाड़ी-नारनौल मार्ग से जयपुर तक किया जाए।
2) ट्रेन नंबर 14028/01616 का विस्तार रींगस तक किया जाए।
3) ट्रेन नंबर 04971/04982 इसके लाइ ओवर से जींद से जयपुर वाया नारनौल नयी गाडी का संचालन करा जाए।
4) सोनीपत और गन्नौर में खाटूश्याम जाने वाली गाडी नंबर 22451/22452 (चंडीगढ़-बांद्रा-चंडीगढ़) का ठहराव दिया जाए।
5) जुलाना में ट्रेन नंबर 14623/14624 और 20409/20410 का ठहराव दिया जाए।
6) जुलाना स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए डस्टबिन, cctv कैमरा लगवाया जाए और प्लेटफार्म नंबर 1 की ऊँचाई बढ़ाई जाए और जुलाना हांसी फाटक पर ROB बनाया जाए।
7) हरिद्वार/कुरुक्षेत्र से जयपुर वाया कैथल-जींद-रेवाड़ी-नारनौल नयी ट्रेन का संचालन करवाया जाए.
8) लॉक डाउन के समय बंद हुई ट्रेन नंबर 13007/13008 (उद्यान आभा एक्सप्रेस), 19023/19024 (फ़िरोज़पुर जनता एक्सप्रेस) और 54641/54642 (दिल्ली फ़िरोज़पुर पैसेंजर) का संचालन फिर से शुरू किया जाए।

मेरा सुझाव है कि ट्रेन नंबर 19023/19024 को वाया सूरत-रींगस-नारनौल-रेवाड़ी-रोहतक मार्ग से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 13007/13008 को वाया भुसावल सूरत-रींगस-नारनौल-रेवाड़ी-रोहतक मार्ग से चलाया जा सकता है।इन ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन से जींद को राजस्थान के खाटूश्याम मंदिर से कनेक्टिविटी मिलेगी और जनता को सुविधा मिलेगी। (इति)

Re: Need to constitute an Apex Committee to address the problems posed to Telangana by Polavaram Multi-Purpose Irrigation Project

SHRI RAMASAHAYAM RAGHURAM REDDY (KHAMMAM): The Polavaram Multi-Purpose Irrigation Project, initiated by Andhra Pradesh, aims to utilize the Godavari River water with a Full Reservoir Level (FRL) of +45.72 meters and a storage capacity of 194.60 TMC. The backwater effect from this project is expected to inundate agricultural fields and areas in Telangana's Bhadradri Kothagudem district, including Burgampahad, Aswapuram, and Dummugudem mandals. The rising water levels will submerge about 1,090 acres of land. Flood banks were constructed in 2002-03 along the Godavari to protect Bhadrachalam and its surroundings. However, the backwater effect, worsened by local streams like Kinnerasani and Murredu, has caused severe flooding, particularly in Bhadrachalam. In response, the Telangana Government has proposed the construction of additional flood banks at an estimated cost of Rs. 4,100 crores. These banks would extend over 83 kilometers along both flanks of the Godavari, from Sanjeev Reddypalem to Ammagaripalli and from Bhadrachalam to Dummugudem Mandal. I urge for the formation of an Apex Committee by the Minister of Jal Shakti to address the backwater issues caused by the Polavaram project, based on the proposal of Telengana Government.

(ends)

Re: Pollution of Buddha Nullah, a tributary of Sutlej river due to untreated industrial effluents in Punjab.

SHRI AMRINDER SINGH RAJA WARRING (LUDHIANA): I would like to draw your attention towards Buddha Nullah, once known as Buddha Dariya, a tributary of the Sutlej River passes through Ludhiana. Once a source of life, it is now severely polluted, primarily due to untreated industrial effluents and sewage. The water, blackened by contaminants, is not fit for irrigation and poses significant health risks to nearby residents. Local reports link the pollution to rising cases of cancer and other serious health issues in the area. A Punjab Pollution Control Board (PPCB) report reveals that 54 dyeing units in Ludhiana are not connected to Common Effluent Treatment Plants (CETPs) and continue to discharge untreated waste into the Nullah. Even the operational CETPs fail to comply with discharge norms, aggravating the pollution. Despite orders from the National Green Tribunal (NGT) to enforce environmental standards and penalize violators, implementation remains inadequate. To combat this issue, immediate attention is needed. The Government must prioritize restoring Buddha Nullah to safeguard public health and protect the environment. It is the need of the hour to enforce compliance and ensure accountability in this escalating crisis. (ends)

Re: Need to stop mining activities in the region around Gandhamardan Hills in Odisha

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): I would like to draw urgent attention to the renewed threat of mining in the ecologically and culturally significant Gandhamardan Hills, spanning Odisha's Bargarh and Balangir districts. Mahanadi Mines and Minerals Pvt Ltd has acquired 112 acres of land in villages around the hills, raising fears of bauxite exploitation. Renowned for their biodiversity, these hills host over 1,200 plant species, including 220 medicinal varieties essential to Ayurvedic practices, serving over 50,000 individuals annually. For the 55,000 tribal residents, the hills are a spiritual and livelihood cornerstone. The sacred Nrusinghanath and Harishankar temples, embodying Odisha's cultural heritage, face desecration. Mining threatens to destroy ecosystems, decimate biodiversity, and eliminate medicinal plants critical to traditional healthcare. It would displace the livelihoods of thousands of tribal people, plunging them into uncertainty. Culturally, the sanctity of the Nrusinghanath and Harishankar temples and other sacred sites would be irreparably damaged, eroding the community's spiritual fabric. Would urge the Central Government to halt mining to preserve the region's ecological and cultural sanctity as well ensure transparency and community consent in land use decisions. Designate the Gandhamardan Hills as a protected area. (ends)

Re: Need to implement National Food Security Act effectively in the Country

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): There have been alarming reports of mass cancellation or proposed cancellation of ration cards under the National Food Security Act (NFSA) across several states. These developments pose a severe threat to the food security of millions of vulnerable citizens who depend on subsidized rations for their sustenance. Reports suggest that a significant number of ration cards have been cancelled in the financial years 2023-24 and 2024-25. State-wise figures remain unclear. It is imperative to provide transparency on the exact number of cancellations across states during this period. Further, there is considerable ambiguity regarding the Ministry's directives on completing e-KYC formalities, potentially depriving deserving beneficiaries of their entitlements. Additionally, it is crucial to ascertain whether the Ministry ensures that the list of cancelled ration cards is accessible on its official portal for public scrutiny and accountability. Instances have surfaced of ration card cancellations being executed arbitrarily, without valid justification, leading to severe consequences such as starvation deaths, as seen in the tragic case in Jharkhand. These matters demand immediate attention and detailed clarification to ensure that NFSA, a cornerstone of our social welfare framework, is implemented effectively and justly, safeguarding the rights of the most marginalised sections. (ends)

Re: Need to ensure supply of DAP to farmers

श्री बाबू सिंह कुशवाहा (जौनपुर) : इस समय रबी फसल की बुवाई का सीजन चल रहा है, और किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। सरकारी वितरण केंद्रों पर हो रही अनियमितताओं ने किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। किसान दिनभर लाइन में खड़े रहते हैं, परंतु शाम होते-होते उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसा भी देखने में आया है कि सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध खाद को प्राइवेट डीलरों को बेच दिया जाता है, जिससे जरूरतमंद किसानों तक खाद नहीं पहुंच पाती। खाद वितरण में कुछ वर्ग और जाति विशेष के लोगों को भी प्राथमिकता दी जा रही है, जो अन्य किसानों के लिए असमानता और कठिनाइयों का कारण बन रहा है। ऐसे पीक सीजन में, जब किसानों को खाद की अत्यधिक आवश्यकता है, बाजार से डीएपी खाद ही गायब हो गई है, जिससे उनकी स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि किसानों को समय पर खाद मुहैया करायें और सरकारी वितरण केंद्रों पर हो रही कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही, छोटे और जरूरतमंद किसानों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि वे समय पर अपनी फसल की बुवाई कर सकें। (इति)

Re: Need to ensure implementation of reservation policy in recruitment to the post of Lecturer, Associate Professor and Professor in Central and State Universities

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के योग्य अभ्यर्थियों को उनके हक से वंचित किया जा रहा हैं। देश के कई महत्वपूर्ण केंद्रीय व प्रादेशिक विश्वविद्यालय में दर्जनों की संख्या में लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफेसर के पद रिक्त होने के बावजूद एक-एक विषय के एक-एक पद का विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हैं ताकि वो आरक्षण के दायरे से बाहर आ जाएँ तथा वहां पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके, साथ ही साथ एक से ज्यादा पदों के सापेक्ष में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अयोग्य बताकर चयन से वंचित कर दिया जाता हैं। यह देश के संविधान जिसमें डॉ भीमराव अम्बेडकर जी ने कमजोर व वंचित समाज के हित में उनकी रक्षा व संरक्षण हेतु आरक्षण का कानून बनाया था, साथ ही साथ मंडल आयोग की सिफारिश जिसके द्वारा पिछड़ी समाज के कमजोर अभ्यर्थी भी लाभान्वित होते थे, उसके अनुरूप नहीं है।

हम सरकार से मांग करते है कि सरकार विज्ञापन के अनुसार योग्य अभ्यर्थी न पाए जाने की दशा में उस पद को संरक्षित रखा जाए व बैकलॉक के जरिये पुनः भर्ती प्रक्रिया लागू कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार उन्हें आरक्षण का लाभ देने हेतु एडवाइजरी जारी की जाए। (इति)

Re: Need to provide dry ash of Thermal Power Plants at free of cost or subsidised price to MSME companies manufacturing dry bricks

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): In 1999, the Union Government encouraged the companies to provide free dry ash from thermal power plants to kilns so that they would not harm the environment, but today the same Government is destroying these companies. Government Order No. 763 dated 14/09/1999 has ordered that at least 20% of the dry ash generated from thermal power plants should be provided free of cost to the companies that manufacture bricks and building materials from that dry ash. In December 2021, the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) had issued an interim order against the order issued by the MOEF, considering the environmental pollution and the welfare of MSME companies. About 25,000 MSME companies across India are operating on this dry ash. It is the livelihood of lakhs of workers. Currently, due to the non-provision of free dry ash, about 60% of the companies have been pushed into a very poor situation and their accounts in banks are in NPA status. Therefore, as per the guidelines of Government Order 763(e) of the Pollution Control Board, I request the Union Government to provide it free of cost or at a preferential price to MSME companies manufacturing dry bricks. (ends)

Re: Need to include Vedavathi Lift Irrigation, Gundrevula and Rejolibanda Diversion Scheme Project in Andhra Pradesh under Accelerated Irrigation Benefit Programme of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

SHRI BASTIPATI NAGARAJU (KURNOOL): I rise to bring attention to the distressing situation in Kurnool, where 50% of the population resides in drought-prone zones. Our farmers face repeated droughts and lack adequate water for irrigation, forcing many to leave their homes and livelihoods in search of better opportunities. In March 2019, Andhra Pradesh Government initiated the Vedavathi Lift Irrigation, Gundrevula, and Rajolibanda Diversion Scheme (RDS) projects to address this crisis. Unfortunately, these critical projects have been stagnated, exacerbating the hardships of our farmers. Currently the Andhra Pradesh Government has allocated ₹16,705 crores in its latest budget, prioritising the completion of these irrigation projects. It has also introduced a forward-looking Water Policy aimed at bringing water to every possible field. To support this initiative, I urge the Central Government to include the Vedavathi Lift Irrigation, Gundrevula, and RDS projects under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana's Accelerated Irrigation Benefit Program. This will transform Rayalaseema into "Ratnalaseema" ensuring a better future for the people of the region. (ends)

Re: Need to rehabilitate the hutment dwellers residing on the land of Mumbai Port

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Mumbai port was one of the finest ports in the country and has played a pivotal role in the development of the national economy. Even today, it caters to 8.61 percent of the country's sea-borne trade handled by major ports of the country in terms of volume. It caters to 16.07% of POL Traffic handled by the Major Ports. It has handled a record break Cargo even during the Corona pandemic. But to develop it today, Mumbai Port Authority (MbPA) is in a miserable financial position. In fact, to increase the revenue of MbPA, I myself consistently persuaded with the Hon'ble PM & Shipping Minister for developing the port and make it fully functional for huge vessels to enter into port and embark from it. As the decision for revival was not taken on time along with the reduction in the staff, huge encroachment has taken place on the land of MbPA. Thousands of Hutment dwellers are residing for more than 20 years. To revive the Mumbai port and rehabilitate the existing hutment dwellers by granting 'Pucca ghar' a dream project of Hon'ble PM, holistic plan, approach and execution is required.

(ends)

Re: Need to conduct a survey to identify the eligible landless families in Maharashtra and provide them land legally ensuring them to avail the Government facilities

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): Numerous rural families across India, particularly in Maharashtra, get denied essential welfare benefits as they are treated like encroachers. In Maharashtra, many such families have been residing for generations on Gayran and Gowthan but their claim today is not recognised as it is seen as if they have encroached upon Government or forest land. This takes away the claim to ownership of their land as property, hindering their access to basic amenities and schemes such as those relating to sanitation, clean water, and electricity. In past repeated calls for recognition and legalisation of these lands has been demanded but the Government of Maharashtra is yet to take decisive action. I urge the Government of India to consider a pragmatic approach towards land regularisation. This would provide security of tenure facilitating development. It is recommended to conduct a survey to identify such eligible families and provide the necessary land to the landless villagers so that they can legalise their homes. By implementing these measures, it can be ensured that no deserving family is left behind and that the promise of inclusive development is realised for all.

(ends)

Re: Inclusion of Kudmi Tribe in the list of Scheduled Tribes

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : अखण्ड भारत के पहला Census में ही कुड़मियों को Jhari Tribes or Wood Tribes चिन्हित किया गया था | इस Census के बाद ही वृहत् छोटा नागपुर Schedule District घोषित कर Schedule District Act 1874 पारित किया गया था, जो 25 November 1949 तक लागू था। इस वृहत् छोटा नागपुर में कुड़मी जनजाति की आबादी सभी जनजाति से अधिक था।Bihar-Orissa Province बनने के पूर्व ही Chhotanagpur Tenancy Act 1908 पारित किया गया जिसमें कुड़मी को Aboriginal Raiyat (आदिवासी रैयत) कहा गया था।1911 के Census में कुड़मी को Aboriginal (आदिवासी) लिखा गया और 1913 में कुड़मी Aboriginal Tribe होने के कारण अन्य बारह जनजाति (Aboriginal Tribes) के साथ इन्हें भी Indian Succession Act 1865 से अलग रखा गया, क्योंकि इन सभी जनजाति का अपना-अपना Custom है और उसी से ये लोग गाइड होते हैं। Tribe लोगों का वही एकमात्र पहला और अंतिम Custom notification है। 1950 में जिस तरह से 1931 के Tribes को ही Scheduled Tribes बनाया है,परन्तु सभी Tribes को आजतक Scheduled Tribes नहीं बनाया है | माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी से बस यही उत्तर चाहिए कि किन कारणों से कुड़मी समुदाय को 1931 के tribes में शामिल होने के बावजूद 1950 में Scheduled Tribes नहीं बनाया गया।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: भारत के संविधान सभा द्वारा आज संविधान को अंगीकार किए हुए 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सदन एक व्यापक चर्चा और संवाद के लिए एकत्रित हुआ है। यह हमारी गौरवशाली यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण अह्म पड़ाव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि यह चर्चा सकारात्मक और प्रेरणादायी हो, ऐसा मेरा आग्रह है।

माननीय राजनाथ सिंह जी।

भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा

1208 बजे

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, आज संसद पर हमले की बरसी है। मैं इस लोकतंत्र की मंदिर की रक्षा करने वाले अपने सारे शहीद सुरक्षाकर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने संसद की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहूति दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे इस सदन में भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर आयोजित इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। 75 वर्ष पहले संविधान सभा ने न्यूली इंडिपेन्डेंट इंडिया के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य सम्पन्न किया गया था। लगभग 3 वर्षों के रिगरस डिबेट और डेलिब्रेशन के परिणामस्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था बल्कि जन अकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। It was an expression of the general will of the people. कई सदियों के बाद एक बार फिर से भारत की तकदीर, भारत के लोगों के हाथों में थी। स्वराज का जो सपना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों और आम भारतीयों ने देखा था, वह पूरा हो चुका था।

(1210/SK/UB)

हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर, 1949 के दिन संविधान को अपनाया था, अधिनियमित किया था और इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था जब भारत के लोग प्रजा से नागरिक बने थे। ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और भारतीय नागरिक होने का गौरव भी था। ऐसे नागरिक जो अपनी सरकार चुन सकते थे, केवल चुन ही नहीं सकते थे बल्कि सरकारों को बदल सकते थे। अब देश में राजा-रानी का शासन नहीं था, राजतंत्र नहीं था और न ही ब्रिटिश तंत्र था बल्कि जनता का शासन था, लोकतंत्र था।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इसके साथ ही भारत की आजादी और भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं।

अध्यक्ष जी, हमारा संविधान सार्वभौम है, हमारा संविधान सर्वसक्षम है। हमारे संविधान की सार्वभौमिकता और सर्वसक्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जहां एक ओर हमारा संविधान स्टेट यानी राज्य की जिम्मेदारियों को विस्तृत रूप से सूचीबद्ध करता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। अगर एक लाइन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही लोगों के लिए मोरल ट्रेजेक्टरी यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है।

हमारा संविधान जहां एक ओर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। यह संविधान चैक्स एंड बैलेंसिस का भी सिस्टम प्रदान करता है जिससे सभी संस्थाएं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर सकें।

भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का ही कार्य नहीं करता है बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक रोड मैप है। यह भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का रोड मैप है। भारत को पुन: एक आदर्श राष्ट्र बनाने का भी रोड मैप है। यह रोड मैप है विकास का, रोड मैप है क्षमता का, रोड मैप है न्याय का, रोड मैप है स्वतंत्रता, बंधुता , राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का। यह रोड मैप है नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने का।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों द्वारा संविधान को कोलोनियल रूप यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है। हमारे संविधान को अक्सर पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। मैं मानता हूं कि इन सभी बातों में डैप्थ एंड ब्रैथ, दोनों की कमी है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशन वैल्यूज यानी सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रैशन है।

हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित स्वाभिमान है। यह एक ट्रीज ऑफ हिस्टॉरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस पर बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, इनमें बहुत से लोग संविधान सभा के सभा के सदस्य नहीं थे।

(1215/KDS/SRG)

लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया। ... (व्यवधान) हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव एफर्ट एंड कन्सेन्सेस का रिजल्ट होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव एफर्ट एंड कन्सेन्सेस का रिजल्ट होना चाहिए। हमारा संविधान इसी सामूहिक प्रयास और समझ का नतीजा है। हमारे संविधान के लिखे जाने से 6 साल पहले, यानी वर्ष 1934 में लिखे गए कॉंस्टीट्यूशन ऑफ द हिन्दुस्तान फ्री स्टेट नाम के दस्तावेज में कई बड़े नेताओं ने संविधान के बारे में अपने विचार दिए थे। इसमें सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित

करने की बात कही गई थी। इस बात का उल्लेख एक एमिनेन्ट ज्यूरिस्ट श्री अर्घ्यसेन गुप्ता ने भी किया है।

महोदय, उस दस्तावेज में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया था। सरकार को धर्म के आधार पर भेदभाव करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों को रिलीजियस एजुकेशन देने की मनाही थी और यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, यानी वह सेकुलर होगा। यह बात वे लोग कह रहे थे, जिन्हें हमारे सामने बैठे कुछ लोगों के दल, कांग्रेस के लोग कम्यूनल कहा करते थे। यह बात उन लोगों ने कही थी।

महोदय, कॉंस्टीट्यूशन ऑफ द हिन्दुस्तान फ्री स्टेट से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेहद प्रभावित थे। अगर हम संविधान सभा की बहस को ध्यान से पढ़ें, तो चलता है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए और अलगाववादी रणनीतियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत संघ की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था। स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वकालत भी की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है, मगर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।

महोदय, एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा की गई। भारत में संविधान निर्माण से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमति थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित होगा। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान, भारत के लोगों द्वारा, भारत के विचारों की तरह भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्युमेंट है।

महोदय, पश्चिमी सभ्यता में राज्य की अवधारणा नाइट वाचमैन स्टेट की थी। नाइट वाचमैन स्टेट का कॉंसेप्ट विश्व प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों को सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित रहे, लेकिन हमारे देश में राजधर्म की बात की गई है। महाभारत के शांति पर्व में राजा को सिर्फ राजधर्म लागू करने की शक्ति दी गयी, लेकिन वह राजा राजधर्म का स्रोत नहीं माना गया है। हमारे यहां भी राजा राजधर्म से बंधा हुआ है। उसकी शक्तियां लोगों के कल्याण के लिए हैं, समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए हैं।

महोदय, हमारा संविधान कॉंस्टीट्यूशनल मशीनरी के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनकी आजादी सुनिश्चित करने के लिए भी यह प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान नागरिकों के समग्र विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटाने तथा समुचित विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए राज्य को निर्देश देता है।

(1220/MK/RCP)

संविधान के भाग-4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से यही भावना निकलकर सामने आती है। मुझे इस बात का गर्व है, गर्व नहीं बल्कि मुझे गौरव की अनुभूति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

और सबका प्रयास' की भावना के साथ काम कर रही है। ... (व्यवधान) हमारी सरकार भारत के संविधान में निहित धर्म और भावना दोनों के अनुरूप काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, समावेशी और परिवर्तनकारी है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का ब्लू प्रिंट दिया है, जिसमें हर प्रकार से समाज में समरसता हो, सद्भाव हो और साथ ही समृद्धि भी हो।

अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, वह है हमारा संविधान। यहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान क्रियान्वयन के कुछ वर्षों बाद ही संविधान की मूल भावना को ताक पर रख दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने संविधान के मूल्यों को खुले और सच्चे मन से स्वीकार किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके 'भारत न्याय संहिता', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' जैसे नये कानूनों को पारित किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के समुचित विकास को अपना लक्ष्य बनाया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के हमारे संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। आज गरीब लोगों को 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की वजह से अपना पक्का मकान मिल रहा है। 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है और 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के माध्यम से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। हर घर में नल से जल पहुंच रहा है और हर घर में शौचालय बन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप वीमेन डेवलपमेंट के साथ वीमेन एंड वीमेन लेड डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए हमने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' बिल पास किया है। इससे राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तथा उनका सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी सोच के तहत हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए वर्ष 2019 में संविधान संशोधन किया गया। इसके लिए हमने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण का अवसर प्रदान किया है।

अध्यक्ष महोदय, समग्र और समावेशी विकास के सभी काम हमारे संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों के जीवंत रूप हैं। हमारी सरकार ने न सिर्फ संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखकर काम किया है बल्कि संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में बखूबी सरकार ने लागू किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ऐसा राज्य भी था, जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था। संसद के कानून भी पूरी तरह से लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है और आज पूरा देश उस निर्णय का सकारात्मक परिणाम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा है।

(1225/SJN/PS)

अध्यक्ष महोदय, हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और रिकॉर्ड मतदान हुआ है, ऐसा लंबे समय बाद हुआ है। हिंसा की एक भी घटना मतदान के दौरान नहीं हुई है। मैं वहां की जनता का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमें भारतीयता से पुनः परिचित कराया है। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृत के प्रति गौरव की भावना का संदेश दिया है। जैसे हमारे संविधान की मूल प्रति के भाग तीन में, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें भगवान श्रीराम, मां सीता जी और प्रभु लक्ष्मण जी की तस्वीर भी अंकित है।

अध्यक्ष महोदय, संविधान की मूल प्रति के मुख पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की पेंटिंग्स की छाप मिलती है। इसके साथ ही कमल का फूल भी अंकित है। वह कमल का फूल यह दर्शाता है कि सदियों की गुलामी के दलदल से बाहर आकर अब एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हो चुका है। हमारा संविधान और उसमें उकेरी गई आकृतियां, हमारी सर्वोत्तम विरासत, समृद्ध इतिहास और महान परंपरा की वाहक हैं। इसी परंपरा को हम विकास भी, विरासत भी की भावना के साथ तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

हम सभी जानते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लोकतंत्र की महानता के बारे में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था। And I quote:

> “There was a time when India was studded with republics, and even where there were monarchies, they were either elected or limited. They were never absolute. It is not that India did not know Parliaments or parliamentary procedure.
>
> A study of the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were Parliaments for the Sanghas but they knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times.”

अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी ही महान परंपरा का हिस्सा हैं और यह हम सभी के लिए गौरव और स्वाभिमान की बात है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान अथक परिश्रम और विचार-विमर्श का परिणाम है। इसके निर्माण में शामिल सभी महानुभाव महान देशभक्त थे। जैसे डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर, श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, श्री के. एम. मुंशी, श्री गोपाल स्वामी आयंगर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद,…(व्यवधान) मैं जो बोल रहा हूं, वह सच्चाई है। डॉक्टर

श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने हमारे संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एच. वी. कामथ, पी. एस. देशमुख, आर. के. सिधवा, शिब्बन लाल सक्सेना, ठाकुर दास भार्गव, के. टी. शाह और हृदय नाथ कुंजरू आदि जैसी महान विभूतियों ने अपने अनुभव और ज्ञान से हमारे संविधान को समृद्ध किया है। ड्रॉफ्टिंग कमेटी के सलाहकार बी. एन. राव और इसके मुख्य मसौदाकार एस. एन. मुखर्जी ने अपने असाधारण योगदान के लिए आज भी याद किए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अमूमन जब भी संविधान की बात की जाती है, तो हम फाउंडिंग फादर्स की बात तो करते हैं, लेकिन फाउंडिंग मदर्स की बात नहीं करते है, लेकिन आज मैं भारतीय गणतंत्र की उन फाउंडिंग मदर्स को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिनका संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जितना कि हमारे फाउंडिंग फादर्स का रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक ऐसी पुस्तक का उल्लेख करना चाहता हूं, जो संविधान सभा की उन महिला सदस्यों की भूमिका का वर्णन करती है, जिनके योगदान का इतिहास द्वारा उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। उस पुस्तक का नाम है - 'Founding Mothers of the Indian Republic: Gender Politics of the Framing of the Constitution'. नामक यह किताब संविधान की महिला सदस्यों का जीवन-चित्रण करते हुए संविधान के निर्माण में उनके योगदान पर विस्तृत प्रकाश डालती है।

अध्यक्ष महोदय, जब 24 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान पर जनप्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वालों में ये 11 महिलाएं भी शामिल थीं। (1230/SPS/SMN)

मैं यहां पर उनके नामों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि उनके नाम का उल्लेख करना इस संसद के समक्ष आवश्यक है। उनके नाम जी. दुर्गाबाई, अम्मू स्वामीनाथन, अमृत कौर, दक्षिणानी वेलायुधन, हंसा मेहता, रेणुका रे, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कुदसिया, एजाज रसूद, कमला चौधरी और एनी मैस्कारीन हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन और देश के द्वारा अपनी संविधान सभा की इन महान महिलाओं की हर्ष ध्वनि के साथ उनकी सामूहिक सराहना की जाए।

अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान भारत और भारतीयता के मूल विचार की उपज है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान निर्माण और लोकतंत्र के वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना और एक अनूठा अनुभव भी है। जब अन्य एशियाई और अफ्रीकी देश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे तो उनका संविधान कोलोनियल रूलर्स का एक पार्टिंग गिफ्ट था। इसके विपरीत भारतीयों ने अपना संविधान अपने लिए खुद रचा है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। कई पोस्ट कोलोनियल डेमोक्रेसीज़ और उनके संविधान ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए, लेकिन भारतीय संविधान तमाम onslaughts and challenges के बावजूद बिना अपनी मूल भावना को खोए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाए रखने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं मानता हूं कि इसकी बड़ी वजह भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, न्यायविद और संविधान के प्रति आदर और सम्मान का भाव है।

महोदय, आज जब हम संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर संविधान की भावना की रक्षा सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की भी सराहना करना चाहता हूं। संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रिटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को हम सब सहज रूप से स्वीकार करते हैं। आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है। यह हम सभी का कर्त्तव्य है, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने संविधान का अपमान किया। इसी संदर्भ में मैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एच. आर. खन्ना की आत्मकथा नाइदर रोजेज नॉर थॉर्न्स नामक किताब से एक पंक्ति उद्धृत करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा है, and I would like to quote:

"I told my younger sister Santosh I have prepared a judgement which is going to cost me the Chief Justiceship of India."

वर्ष 1976 में एक घटना घटी। इस घटना और इन लाइनों का संदर्भ आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। जस्टिस एचआर खन्ना ने एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला केस में कांग्रेस सरकार के खिलाफ डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार छीन लिया जाए। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी? यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों पर अंकित है। इसी तरह से वर्ष 1973 में सभी संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखकर तब की कांग्रेस सरकार ने जस्टिस जेएम शेलत, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर को सुपरसीड करके सीनियरटी में चौथे नंबर की जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया।

(1235/MM/SM)

अध्यक्ष महोदय, इन तीनों जजों का सिर्फ एक अपराध था कि ये तीन लोग सरकार के सामने नहीं झुके। इन तीनों जजों ने तानाशाह सरकार की शक्तियों को संवैधानिक दायरे में बांधने की पूरी कोशिश की।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं और यह किसी व्यक्ति पर हमला नहीं है। यह सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का हनन नहीं था, बल्कि यह संविधान पर हमला था। यह हमारे संविधान को सबवर्ट करने का महापाप था। मुझे हैरानी होती है कि इस कृत्य को अंजाम देने वाली पार्टी संविधान के संरक्षण की बात करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मित्रों ने अनेक मौकों पर संविधान और संवैधानिक भावनाओं का निरादर किया है। उन्हें कभी भी संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडस और ऑटोनॉमी हजम नहीं हुई है और उन्होंने हमेशा एक कमिटेड ज्यूडिश्यरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टिट्यूशन बनाने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनैतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस-नहस करने का काम किया है। उनके मुहं से संविधान की रक्षा जैसी बातें, मैं समझता हूं, शोभा नहीं देती हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। वह पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में रखे हुए हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टिट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। एक भी ऐसी कोई मिसाल नहीं है। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर के लिए नहीं हैं। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में और कर्म में, हर जगह, दिखाई पड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया है जो युगानुकूल परिवर्तन की जरूरत के साथ तेजी से आग बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर सहित अन्य संविधान निर्माताओं ने भी यह माना था कि संविधान भविष्य की सभी संभावनाओं को नहीं भांप सकता है। इसलिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया था।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले दस वर्षों में जो भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करना था, सामाजिक कल्याण था, लोगों का सशक्तीकरण था। हमने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया ताकि भारत की अखंडता सुनिश्चित हो सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग हमने प्रशस्त किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी सामाजिक न्याय की भावना से ही प्रेरित था। 70 वर्षों से हमारा पुराना टैक्सेशन सिस्टम करोड़ों उद्यमियों के लिए एक समस्या था ही, यह देश की एकता में भी बाधक था। हमने जीएसटी कानून बनाया। यह कार्य फेडरलिज्म के संवैधानिक सिद्धांत को कायम रखते हुए, सभी को साथ लेकर चलने के हमारे प्रयास को यह दर्शाता है। अब जीएसटी काउंसिल में राज्यों की सहमति से टैक्स की दरें निर्धारित की जाती हैं। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इससे लोगों का जीवन आसान हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत किया है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी स्वीकार किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने इस कानून की प्रशंसा करते हुए का था-"The amendment in the Constitution to reflect and embody the GST is, to my mind, a classical example of collaborative, cooperative federalism." (1240/YSH/RP)

अध्यक्ष महोदय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था – The Constitution is not just a set of rules, it is the spirit of India, seeking its destiny. मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी और संविधान सभा की भावनाओं के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखते हुए संविधान को एक गाइडिंग प्रिंसिपल मानकर काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरह हमने संविधान को कभी राजनैतिक हित साधने का जरिया नहीं बनाया है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। हमने संविधान को जिया है। हमने सजग और सच्चे सिपाही की तरह संविधान के खिलाफ की जा रही साजिशों का सामना किया है और उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़े कष्ट भी सहे हैं।

वर्ष 2003 में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, तब हमने सुशासन को मजबूत करने के लिए 91वें संशोधन में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की भावना से मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया था। इस संशोधन ने दल विरोधी कानून के तहत जरूरी बदलाव भी किए थे, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिले।

अध्यक्ष महोदय, आप आजाद भारत का इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान संशोधन ही नहीं किया है, बल्कि मेरा आरोप है कि इन्होंने दुर्भावना के साथ-साथ धीरे-धीरे संविधान को बदलने का प्रयास भी किया है। … (व्यवधान)

पंडित जवाहर लाल जी नहेरू, जब प्रधान मंत्री थे तो लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किए गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किए गए। श्री राजीव गांधी जी के समय पर लगभग 10 बार संविधान में बदलाव किए गए। मनमोहन सिंह जी के समय पर लगभग सात बार संविधान में बदलाव किए गए। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अधिकांश संवैधानिक संशोधन या तो विरोधियों और आलोचकों को चुप कराने के लिए किए गए या गलत नीतियों को लागू करने के लिए किए गए थे। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप पहले संविधान संशोधन को ही ले लीजिए। साल 1950 में प्रेस में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना हो रही थीं। अभी हमारे प्रेस के मित्र भी सुन रहे होंगे। ऐसे में तब की कांग्रेस की सरकार ने आरएसएस के साप्ताहिक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर और मद्रास से निकलने वाली पत्रिका 'क्रॉस रोड्स' को प्रतिबंधित कर दिया था। इसका विरोध करते हुए ऑर्गेनाइजर के संपादक श्री के आर मलकानी ने लिखा था –

I would like to quote:

> "To threaten the liberty of the press for the sole offence of nonconformity to official view, may be a handy tool for tyrants but only a crippling curtailment of civil liberties in a free democracy. A government can always learn more from bona fide criticism of independent-thinking citizens than the fulsome flattery of charlatans."

अध्यक्ष महोदय, शार्लटन का मतलब आप सभी जानते हैं। मलकानी जी और आरएसएस ने सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने सेंसरशिप आदेश को रद्द कर दिया और सरकार के निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

आज संविधान का राग अलापने वाली कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की जगह मई, 1951 में ही संवैधानिक संशोधन करके नागरिकों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड

एक्सप्रेशन को कुचल दिया था। देश में पहला आम चुनाव भी नहीं हुआ था। कांग्रेस के पास कोई जनादेश भी नहीं था, लेकिन हड़बड़ी में पहला संविधान संशोधन कर दिया गया, जिससे आलोचकों को चुप किया जा सके और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा सके।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माण में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की अग्रणी भूमिका थी, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि संविधान लागू होने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ बाबा साहेब हमेशा लड़ते रहे। जब कांग्रेस सरकार ने सन् 1954 में संविधान में चौथा संशोधन लाकर मौलिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उसके खिलाफ कहा था –

I would like to quote:

> "I am sorry to say that this attitude of treating the fundamental rights with contempt, as though they were of no consequence, that they could be trodden upon at any time with the convenience of the majority or the wishes of a Party chief, is an attitude that may easily lead to some dangerous consequences in the future. And I therefore feel very sorry that even a matter of this sort, namely, the infringement of, or the deviation from, fundamental rights, is being treated by the Party in power as though it was a matter of no moment at all."

(1245/RAJ/NKL)

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने के लिए जिस एटीट्यूड की बात बाबा साहेब ने की थी, कांग्रेस ने उसी एटीट्यूड को सत्ता में होने के दौरान बार-बार दोहराया है। मैं कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों का यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं जिनके द्वारा संविधान और उसमें निहित भावना को ही नष्ट करने की कोशिश की गई।

अध्यक्ष महोदय, साल 1975 में हुए 38वें संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन-जस्टिसिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसका एक मात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्ट्रोरल मैलप्रैक्टिसेज को इम्युनिटी देना था, जिसके कारण श्रीमति इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक निंदनीय संशोधन जो अंतत: लैप्स हो गया, वह वर्ष 1976 में किया गया था – 41 संविधान संशोधन विधेयक। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस संशोधन का उद्देश्य प्रधान मंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए आपराधिक मुकदमों से इम्युनिटी प्रदान करना। चाहे जो भी अपराध किए हों, सब क्षम्य है।

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह था कि सबसे जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी अगर एक दिन के लिए संवैधानिक पद पर बैठ जाए तो उसके सभी अपराध माफ।...(व्यवधान) देश कैसे माफ कर सकता है?

अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग यहीं नहीं रुका। 28 अगस्त, 1976 को 42वां संविधान संशोधन पेश किया गया था, जिसमें प्रोविजंस थे कि किसी भी कानून की संवैधानिकता केवल सात न्यायाधीशों द्वारा ही तय की जा सकती है और किसी भी कानून को केवल दो-तिहाई बहुमत से ही रद्द किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए। क्या यह सब एक तानाशाह द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए संविधान को विकृत करने का यह भरसक प्रयास नहीं था? अध्यक्ष महोदय, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को नकारने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रोविजन किया गया था कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया प्रत्येक संवैधानिक संशोधन वैध है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है और संविधान में लोक सभा कार्यकाल भी बढ़ा कर छ: साल कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, क्या यह पूरे संविधान को एक तानाशाह के उद्देश्यों की पूर्ति का एक माध्यम मात्र बनाने का षड़यंत्र नहीं था? क्या यह सब जनता को फिर से प्रजा बनाने की साजिश नहीं थी? आज उसी पार्टी के लोग संविधान का इस्तेमाल दुष्प्रचार के लिए कर रहे हैं। आज उसी पार्टी के लोग जाति के आधार पर जनगणना कराना चाहते हैं, वे कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डाल कर राजनीति करनी चाहिए। आपको एक ब्लू प्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए। ऐसा मसौदा, जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो कि जो जातिगत जनगणना कराएंगे, किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि ऐसा मसौदा तैयार होता है, यदि यह संसद सहमत हो, यदि आपकी अनुमति हो, उस पर संसद में चर्चा भी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, देश को गर्व है कि हमारा संविधान आपातकाल और भ्रष्ट सरकारों के सामने भी मजबूती से खड़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में समय के साथ कई संशोधन हुए हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना आज भी बनी हुई है। यह हमेशा बनी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे।

(1250/KN/VR)

आप इतिहास देखें। हमने आपात काल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। लाखों की संख्या में संविधान के सिपाहियों ने जेल की यातना झेली है। मैं स्वयं इन यातनाओं का भुक्तभोगी हूं। मैं भी 18 महीने जेल

रहा हूं। हमने दो महीने तक तनहाई काटी है, जेल काटी है। जेल में रहते हुए मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर मुखाग्नि देने के लिए हमें पैरोल तक नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने कभी संविधान, न संवैधानिक मूल्यों और न संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा पर्सनल इंट्रेस्ट को कॉन्स्टीट्यूशनल वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी के ऊपर रखा। एक डॉक्यूमेंट फैक्ट है कि वर्ष 1973 में तीन सीनियर मोस्ट जजेज को सुपरसीड करने के फैसले से तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरी जी सहमत नहीं थे। पर तत्कालीन प्रधान मंत्री ने अपनी जिद, हठ, राजनीतिक दम्भ के कारण राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं किया। आज संविधान के तथाकथित हितैषी यह भूल जाते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 50 बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, सौ बात की एक बात, जब भी कांग्रेस नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था, तो उन्होंने सबसे पहले सत्ता को चुना है, संविधान को नहीं चुना है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की चर्चा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि वे मेरे कार्यकाल की हैं, जब मैं वहां अध्यक्ष था। 06 दिसंबर, 1992 को मैं श्री कल्याण सिंह जी के मंत्रिमण्डल में शिक्षा मंत्री था। दोपहर साढ़े 11 बजे अयोध्या में एक विवादित ढांचे के गुम्बद में आंतरिक क्षति पहुंचने की जानकारी मिली और जब तीन-चार घंटे के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि वहां ढांचे में भारी तोड़-फोड़ हो चुकी है तो शाम 5 बजे श्री कल्याण सिंह जी की सरकार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, परंतु आश्चर्य की बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और कुछ घंटे के बाद बर्खास्तगी का आदेश कर दिया गया। यह संवैधानिक व्यवस्था के दुरुपयोग का पहला उदाहरण मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है।

महोदय, मैं तो सिर्फ अपने द्वारा अनुभव किए गए कुछ प्रयोग बतलाना चाहता हूं। 22 अक्टूबर, 1997 को मैं भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। श्री कल्याण सिंह जी हमारी गठबंधन सरकार के मुख्य मंत्री थे। हमने अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया था, विधान सभा अध्यक्ष स्व. श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी ने सरकार के बहुमत सिद्ध होने का निर्णय भी सुना दिया था, किन्तु फिर भी विपक्षी दल एक झुंड बनाकर, जिसमें हमारे कांग्रेस के मित्र थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास गए। राज्यपाल ने यह कह दिया– उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, जबकि हम बहुमत सिद्ध कर चुके थे अर्थात् विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद भी किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और रात में ही कैबिनेट ने बर्खास्तगी का निर्णय लेकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया।

महोदय, मुझे याद है कि उस समय मेरे साथ रात्रि में 12 बजे वहां से चल कर हम सभी विधायक अगले दिन राष्ट्रपति भवन के बाहर देश की मीडिया के सामने, 240 विधायकों की संख्या के साथ वहां पर मौजूद थे। उस समय उत्तर प्रदेश की विधान सभा 425 की होती थी। मैं देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और दलित समाज से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने इस अन्याय को देखते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उस समय कांग्रेस सरकार की कैबिनेट की संस्तुति को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। समाचार पत्रों ने उस समय जो शीर्षक दिया था, राष्ट्रपति महोदय के इस फैसले के बाद समाचार पत्रों ने अपनी खबरों का जो शीर्षक दिया था– 'President Steps in to Save Democracy'.

(1255/VB/SAN)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। यह भी मेरा स्वयं का अनुभव किया हुआ है। 22 फरवरी, 1998 को देश में लोक सभा के चुनाव चल रहे थे। अचानक हमारे गठबंधन के कुछ विधायक समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल बगैर सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिये, हमारी सरकार को बर्खास्त करके दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ दिला देते हैं।... (व्यवधान) अब क्या करें, वे एक डिसिप्लीन्ड सोलज़र हैं।... (व्यवधान) उस समय कांग्रेस में थे।... (व्यवधान) उनको बाद में यह एहसास हुआ होगा कि हम से हमारी पार्टी ने गलत काम करा दिया। इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने का विचार किया।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, तब उनसे तुरंत बहुमत साबित करने के लिए भी नहीं कहा। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारत के संवैधानिक इतिहास का एक अभूतपूर्व निर्णय लिया कि 24 घंटे में शक्ति परीक्षण होगा। सदन में दो मुख्यमंत्री रहेंगे। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा और जो बहुमत पाएगा, वही मुख्यमंत्री माना जाएगा। महोदय, ये दोनों घटनाएं भारत के संवैधानिक इतिहास की यात्रा में एक काला अध्याय जरूर हैं, परंतु संविधान कैसे लोकतंत्र को बचा सकता है, उस दृष्टि से यह अंधेरे में प्रकाश स्तम्भ की तरह है।

हम सबसे बड़े दल के रूप में थे। हम और जदयू चुनाव-पूर्व सबसे बड़े गठबंधन में थे। इसके बावजूद, हमारे पास बहुमत था। हमें सरकार बनाने नहीं दी जा रही थी। जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, तो पहली बार झारखण्ड के तत्कालीन राज्यपाल और तत्कालीन केन्द्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने fraud on the constitution जैसी बात कही थी। यह झारखण्ड की घटना है, जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं उसके विस्तार में नहीं गया हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संसदीय और संवैधानिक इतिहास में, यदि मैं मील के पत्थर गिनाना चाहूँ, महोदय, मैं आपके माध्यम से, विशेष रूप से प्रतिपक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्ष 1995 में जेनेवा में, संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, उस समय कांग्रेस की तत्कालीन सरकार से कश्मीर मुद्दे पर घनघोर विरोध के बावजूद तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, हम सबके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, नरसिम्हा राव सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जेनेवा गये थे। तत्कालीन लीडर ऑफ अपॉजिशन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की धरती पर सारा श्रेय नरसिम्हा राव जी की सरकार को दिया था। भारत की धरती पर आकर... (व्यवधान) विदेश जाकर उन्होंने केन्द्रीय सरकार का समर्थन किया था। लेकिन भारत की धरती पर आकर उन्होंने सरकार का फिर से मुखर विरोध किया।

महोदय, आज जब मैं देखता हूँ कि हमारे कई नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में न जाने क्या-क्या कहते हैं।... (व्यवधान) न जाने क्या-क्या कहते हैं।... (व्यवधान) हमें यह घटना एक कहानी जैसी लगती है।... (व्यवधान) परंतु परिपक्व विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जा सकती है, इसे भी सभी दलों को समझना चाहिए।... (व्यवधान)

मैं एक और घटना याद दिलाना चाहता हूँ। वर्ष 1996 में, अटल जी की 13 दिनों की सरकार थी। टेलीविज़न के द्वारा, सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने का जब फैसला किया गया था, तो उस समय अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसकी पहल की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सौ बात की एक बात है। जब भी कांग्रेस के नेताओं को सत्ता और संविधान में से एक को चुनना था, तो उन्होंने हमेशा सत्ता को चुना।

(1300/SNT/PC)

संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्गल वर्सेज़ यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था:

> "Pandit Jawaharlal Nehru, while defending the introduction of the Hindu Code Bill instead of a uniform civil code, in the Parliament in 1954, said, "I do not think that at the present moment the time is ripe in India for me to try to push it through". It appears that even 41 years thereafter, the Rulers of the day are not in a mood to retrieve Article 44 from the cold storage where it is lying since 1949. The Governments – which have come and gone – have so far failed to make any effort towards "unified personal law for all Indians". The reasons are too obvious to be stated. The utmost that has been done is to codify the Hindu law in the form of the Hindu Marriage Act, 1955. The Hindu Succession Act, 1956, the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 have replaced the traditional Hindu law based on different schools of thought and scriptural laws into one unified code. When more than 80 per cent of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance, any more, the introduction of "uniform civil code" for all citizens in the territory of India."

अध्यक्ष महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कांग्रेस क्या ही लाती, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पूरी तरह से नकार दिया था।

अध्यक्ष महोदय, आप शाह बानो केस याद कीजिए, जो कि भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय था। मैं उसे 'ऐतिहासिक' कहना चाहता हूं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन तुष्टीकरण के रास्ते पर चलते हुए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाकर इस जजमेंट को ही पलट दिया था। … (व्यवधान) कांग्रेस के लोग, जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, इसलिए, जब हमारे नेता विरोधी दल जब 'मोहब्बत की दुकान' की बात करते हैं, तो हंसी आती है। … (व्यवधान) 75 वर्षों के बाद आज हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराना चाहिए। भारत का संविधान भारतवासियों की आकांक्षाओं

की पूर्ति के लिए, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम साबित हुआ है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, आज संसद पर हमले की बरसी है, तो आज मैं अपेक्षा करता हूं कि संविधान ने जो अधिकार सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को दिए हैं, उनका वैसा दुरुपयोग कभी नहीं, जैसा हमले के मास्टरमाइंड को क्षमादान प्रकरण पर सात साल तक वह लंबित रहे, आज तक ऐसी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। … (व्यवधान) मैं समझता हूं कि यह संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कभी न हो। यह संसद को सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज जब हम अपने संविधान के 75 साल पूरे होने के साक्षी बने हैं, तो हमें अधिकारों से एक कदम आगे बढ़कर अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भारतीय संस्कृति में धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसको कोई नकार नहीं सकता। धर्म के अनेकों अर्थ हैं, मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्ज़िद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में सिजदा करना, यही धर्म नहीं है। धर्म के अनेकों अर्थ हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह 'कर्तव्य' है। 'कर्तव्य' सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ मूलत: 'कर्तव्य' ही है। 'धर्म' शब्द ऋग्वेद में 56 टाइम्स, 56 बार आता है और लगभग सभी स्थानों पर इसका उपयोग 'कर्तव्य' के अर्थ और संदर्भ में ही किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, भारत की संस्कृति में उसके धर्म, मूल्य, इतिहास, सभी में कर्तव्यों के निर्वहन की बातें की गई हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र में उसका संविधान ही उसका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, या मैं यूं कहूं कि 'सेक्रेड डॉक्युमेंट' माना जाता है। यही कारण है कि सर्वोच्च पदों पर बैठे सभी व्यक्तियों को इस संविधान में मौजूद शपथ को पद ग्रहण से पहले दोहराना पड़ता है – 'मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से निर्वहन करूंगा', आपके ही समक्ष यह शपथ लेनी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, ये केवल कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की अंतरात्मा हैं।

(1305/IND/AK)

यह एक संवैधानिक दायित्व होने के साथ-साथ एक नैतिक दायित्व भी है। यह अक्सर कहा जाता है कि भारत विविधता का देश है। भारत विभिन्न धर्मों, विश्वासों, मान्यताओं, रीति-रिवाजों और परम्पराओं का देश है, लेकिन इस जीवंत विविधता के बीच जो हमें एकत्व में बांधता है, वह है हमारा संविधान।

अध्यक्ष जी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी बहुचर्चित किताब 'दि इंडियन कांस्टीट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन' में लिखा है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में राष्ट्र के आदर्शों और उन्हें प्राप्त करने के लिए इश्यूज एंड प्रोसीजर दोनों को एक समान महत्व दिया है। जिन आदर्शों को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया, वे हैं - राष्ट्रीय एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हें प्राप्त करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का रास्ता अपनाया लेकिन उनके जहन में एक बात पूरी तरह से साफ थी कि यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन केवल संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग करते

हुए लोकतांत्रिक भावना के साथ लाया जाया, यह उनकी मंशा थी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण बात लिखी, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। वह बात यह थी कि संविधान निर्माताओं को यह विश्वास था कि सामाजिक एकता, सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र को अलग-अलग हासिल नहीं किया जा सकता है बल्कि यह एक सीमलेस वेब के तीन अलग-अलग स्ट्रांड्स हैं।

Sir, I would like to quote him:

"Without national unity, democracy would be endangered and there could be little progress toward social and economic reform. And without democracy and reform, the nation would not hold together. With these three strands, the framers had spun a seamless web."

अध्यक्ष जी, हमारे संविधान ने हमेशा नागरिक, राज्य, व्यक्ति और समाज के बीच हारमोनियस बैलेंस बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक प्रसिद्ध ज्यूरिस्ट फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए जॉन माशर्ल ने कहा था –

"…Constitution is framed for ages to come, but its course cannot always be tranquil. "

जिसका अर्थ है कि संविधान की रचना सदियों के लिए होती है, मगर उसकी यात्रा चुनौतीपूर्ण होती है।

अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माता आजादी के आंदोलनों से प्रेरित थे और सभी दूरदर्शी थे लेकिन भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों और उनके समाधानों को संविधान में सम्मिलित करना किसी भी सूरत में संभव नहीं था। पिछले साढ़े सात दशकों में संविधान को बहुत-सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम सभी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे संविधान की स्प्रिट ऑफ रीजिलिएंस है कि हम उन सभी चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता से कर पाए। पिछले 75 वर्षों में ऐसे कई अवसर आए जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों के माध्यम से लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन सभी ऐतिहासिक फैसलों के पीछे जो आदर्श, सोच और मापदंड थे, वे सभी हमारे संविधान में निहित हैं। भारतीय संविधान वह आदर्श है, जिसके माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अस्तित्व में आया। यह चार्टर था जिसने प्राचीन सभ्यता को आधुनिकता और बड़े सामाजिक और आर्थिक सुधार के मार्ग पर अग्रसर किया और पिछले 75 वर्षों से हमारा संविधान इस भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले 75 सालों में संविधान की मूल भावना से ही प्रेरणा लेते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया। संघीय संरचना को मजबूत किया और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि इन सभी निर्णयों के पीछे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वे हमारे संवैधानिक निर्माताओं के आदर्श और दृष्टिकोण थे, जो भारत के संविधान में ही निहीत हैं। भारत का संविधान 7 दशकों से अधिक समय से न सिर्फ शानदार तरीके से काम कर रहा है बल्कि तमाम झंझावातों को झेलने के बाद भी

साल-साल दर साल हमारा संविधान मजबूत होता जा रहा है। मेरा मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें कांस्टीट्यूशनल मोरैलिटी है। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा की 4 नवम्बर, 1949 को अपने भाषण में इसी कांस्टीट्यूशनल मौरेलिटी पर विचार रखते हुए प्रसिद्ध विचारक जॉर्ज ग्रोट को कोट करते हुए कहा था-"Constitutional morality was the indispensable condition of a Government at once free and peaceable."

(1310/GG/UB)

अध्यक्ष महोदय, हमारे भारतीय संविधान को इस कान्स्टिटूशनल मोरैलिटी से रेखांकित करने के लिए हमें बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभारी होना चाहिए। 26 नवंबर, 1949 से ठीक एक दिन पहले डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में एक भाषण दिया था जिसे the grammar of anarchy speech के नाम से जाना जाता है। डॉ. अंबेडकर ने उसमें कहा था कि कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, वह बुरा बन सकता है, अगर जिन लोगों पर उसे चलाने की जिम्मेदारी है, वे अच्छे न हों। … (व्यवधान) उसी तरह कोई संविधान कितना भी बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है, अगर उसे चलाने वाले लोगों की भूमिका सकारात्मक हो। … (व्यवधान) यह राजनीति का चरित्र है कि जैसे व्यक्तियों के हाथों में जाती है, वैसी बन जाती है। राम के हाथों में जाती है तो भक्ति बन जाती है। कृष्ण के हाथों में जाती है तो युक्ति बन जाती है। आजाद, भगत सिंह और अशफाकउल्ला खान जैसे लोगों के हाथों में जाती है तो मुक्ति बन जाती है।

अध्यक्ष महोदय, अंत में बाबा साहब अंबेडकर द्वारा कही गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि By Independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves. … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान सबसे उत्कृष्ट दिमागों की एक कड़ी मेहनत और दृष्टि का परिणाम है। महोदय, हमारा संविधान हर मामले में एक महान दस्तावेज़ है। यह हमारे फाउंडिंग फादर्स और फाउंडिंग मदर्स का हम सभी के लिए एक सबसे बड़ा उपहार है। अब यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में भंग न होने दें और यह संवैधानिक यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए पूरी शक्ति से काम करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, गौरव की अनुभूति करते हुए कह सकता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, संविधान की पवित्रता को किसी भी सूरत में भंग नहीं होने देगी। … (व्यवधान) यह कर्त्तव्य हमारे किसी भी अन्य दायित्व से बड़ा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय भारत। जय हिंद। जय संविधान। (इति)

1314 बजे

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे इस सभा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं सबसे पहले, जो सुरक्षाकर्मी, जवान, अफसर 13 दिसंबर, 2001 को संसद की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ।

महोदय, हज़ारों साल पुरानी हमारे देश की, धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। यह परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है, जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद-विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है।

(1315/MY/SRG)

अलग-अलग धर्मों में भी, इस्लाम धर्म में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और सिख धर्म में वाद-संवाद, चर्चा और बहस की संस्कृति रही है। इसी परंपरा से हमारा स्वतंत्रता संग्राम उभरा। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी, जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। विवाद-संवाद की जो पंरपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? हमारी आजादी के लिए जो संग्राम था, जो लड़ाई थी, वह बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे वे किसी भी भाषा को बोलते हो, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उसी आजादी की लड़ाई से एक आवाज उभरी, जो हमारे देश की आवाज थी। वह आवाज ही आज हमारा संविधान है। वह साहस की आवाज थी, हमारी आजादी की आवाज थी और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी, मौलाना आजाद जी, राजगोपालाचारी जी और जवाहर लाल नेहरू जी सहित उस समय के तमाम नेता, जैसा आपने कहा कि इस संविधान को बनाने के कार्य में सालों से जुटे रहे।

हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वह ज्योति है, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है।

अध्यक्ष महोदय, इस ज्योत ने हरेक भारतीय को यह पहचानने की शक्ति दी कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है। उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है। जब वह आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हरेक देशवासी को यह अधिकार दिया कि वह सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। यह ज्योति जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को यह विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में और संसाधनों में उसका भी हिस्सा है। उसे एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है। देश बनाने में भी उसकी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की यह ज्योति मैंने देश के कोने-कोने में खुद देखी है। उन्नाव में मैं एक रेप पीड़िता के घर गई। उसे जला कर मार डाला गया था। वह शायद 20-21 साल की होगी। हम सबके बच्चे हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बेटी के साथ बार-बार बलात्कार होता और फिर जब वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाए तो उसको जलाकर मार डाला गया होता तो हम पर क्या बीतता? मैं उस बच्ची के पिता से मिली। उसके खेत जलाए गए थे। उसके भाइयों को पीटा गया था। उसके पिता को घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज कराने के लिए जिले में गई तो उसको मना किया गया। तब उसको अगले जिले में जाना पड़ा। वह रोज सुबह छह बजे उठ कर, तैयार हो कर, अकेले ही अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले जिले में ट्रेन से जाती थी।

(1320/CP/RCP)

उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा कि बेटी अकेली मत जाओ, छोड़ दो यह लड़ाई, लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि पिता जी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, यह मेरी लड़ाई है, मैं इसे लड़ूंगी। यह लड़ने की क्षमता, यह हिम्मत उस लड़की को और करोड़ों भारत की नारियों को हमारे संविधान ने दी है। मैं आगरा में अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं कि हमारी तरह उसका भी परिवार था, नई-नई शादी हुई थी और उसका दो-तीन महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और उसके पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन यह गम्भीर बात है। … (व्यवधान) अरुण वाल्मीकि को पीट-पीटकर मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई, जो अभी-अभी विधवा हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम इस न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह हिम्मत उस महिला को हमारे संविधान ने दी है।

सम्भल के कुछ लोग हमसे मिलने आए थे, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें दो बच्चे थे, अदनान और उजैद। … (व्यवधान) एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। वे दर्जी के बेटे हैं। दर्जी का एक ही सपना था कि वह अपने बेटों को पढ़ाएगा-लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा और दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिता जी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद वे अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। … (व्यवधान) वह 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। यह सपना, यह आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योति जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योति को जलते हुए देखा है और इसके साथ-साथ यह भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है। यह न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दु:ख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी, जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। यह वादा एक सुरक्षा कवच है, जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए यह सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोक सभा चुनाव में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई यह है कि आज संविधान, संविधान, संविधान बार-बार इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी।

(1325/NK/PS)

इस चुनाव में हारते-हारते जीतने से इन्हें अहसास हुआ कि संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के साथी ने इसका जिक्र किया, यह जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है कि चुनाव ये नतीजे आए। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण यह है कि जब चुनाव

में पूरे विपक्ष ने जोर-शोर से जोरदार आवाज उठायी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इनका जवाब देखिए, इनका जवाब है, भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। जाति जनगणना की यह इनकी गंभीरता है।

महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों और गरीबों को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया। जिसका नाम लेने से कभी-कभी आप झिझकते हैं, कभी-कभी उनका नाम अपने आपको बचाने के लिए धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एचएएल, बीएचईएल, सेल, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, रेलवे, आईआईटीज, आईआईएम और ऑयल रिफाइनरीज जैसे तमाम पीएसयूज बनाए।

अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है लेकिन देश की आजादी के लिए जो उनकी भूमिका रही, इस देश के निर्माण के लिए जो भूमिका रही, वह इस देश से कभी नहीं मिटाया जा सकता है। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल, जंगल का अधिकार आदिवासी भाई-बहनों को मिला। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया, कांग्रेस की यूपीए सरकारों में शिक्षा और भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला, पहले संसद चलती थी तो जनता जनता को उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि यदि कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, किसान और आदिवासी भाई-बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, आज चुनाव की वजह से नारी शक्ति की शायद इतनी बातचीत हो रही है। हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया था, उनकी शक्ति को वोट में परिवर्तित किया, आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, नारी शक्ति के बिना सरकारें नहीं बन सकती हैं, इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बात दोहरा रहे हैं। आप नारी शक्ति का अधिनियम लाये हैं, उसको लागू क्यों नहीं करते? दस साल बाद लागू क्यों होगा, क्या आज की नारी उसके लागू करने के लिए दस साल इंतजार करेगी? आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं कि सन उन्नीस सौ में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। आप वर्तमान की बात कीजिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं?

(1330/SK/SMN)

आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या सारी जिम्मेदारी जवाहर लाल नेहरू की है?

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी यह सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी तो छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसे कोई राहत नहीं मिलती है। आज इस देश का किसान भगवान भरोसे है क्योंकि उसे छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल प्रदेश में देखिए, जितने भी कानून बने हैं, सब बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब उगता है, इसके छोटे-छोटे किसान रो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। ... (व्यवधान) ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। ...

(व्यवधान) देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए देश की 142 करोड़ जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखानें, खदानें और सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही हैं। जनता के मन में हमेशा विश्वास रहता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, लेकिन आज आम लोगों के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि यह सरकार सिर्फ … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर-बराबरी बढ़ रही है, जो गरीब है वह और गरीब हो रहा है और जो अमीर है, वह और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय का भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है।

महोदय, राजनीतिक न्याय की बात भी होती है। आज सत्ता पक्ष के साथी खड़े हुए और तमाम गिनतियां करने लग गए कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वर्ष 1975 में ऐसा हुआ। आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पर चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं? सरकारों को पैसे के बल पर गिरा देते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा आग्रह है कि संविधान पर सकारात्मक बात कहें।

… (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के एक साथी ने उत्तर प्रदेश की सरकार का उदाहरण दिया तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूं महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूं, हिमाचल प्रदेश की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पर की। … (व्यवधान) गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण हैं। … (व्यवधान) क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थीं?

(1335/KDS/SM)

क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरे देश की जनता जानती है, हंसती है कि इनके यहां तो वाशिंग मशीन है। जो यहां से वहां जाता है, वह धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। मेरे कई ऐसे साथी हैं, जो इस तरफ होते थे, उस तरफ चले गए। मुझे वे दिख भी रहे हैं। शायद वाशिंग मशीन में धुल भी गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। प्रधान मंत्री जी सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर में जब न्याय की गुहार उठती है, तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती है। वह शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी। हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान, जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक-दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है।

महोदय, इनकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उनका नतीजा हम रोज देखते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए, संविधान को छोड़िए, देश की एकता ये बनाए नहीं रख सकते, सुरक्षा भी नहीं कर सकते। हमने सम्भल, मणिपुर में देखा। दरअसल, इनका कहना है कि देश के अलग-अलग हिस्से हैं, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि यह देश एक है और यह देश एक रहेगा। जहां खुला विवाद होता था, अभिव्यक्ति का सुरक्षा कवच होता था, वहां इन्होंने भय का माहौल पैदा किया है। सत्तापक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में यह उम्मीद, अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरना-प्रदर्शन किया। जब-जब जनता नाराज हुई, तब-तब सत्ता

को ललकारा, उसे चेतावनी दी। बड़े से बड़े नेताओं को कठघरे में खड़ा किया। उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटी-मोटी नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में इस देश के घरों, मोहल्लों, अखबारों, प्रकाशन घरों, न्याय पालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई, लेकिन आज यह माहौल है। आज जनता को सच बोलने से डराया, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्रसंघ हो या कर्मचाारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पर भी ईडी, किसी पर सीबीआई, किसी पर इनकम टैक्स, किसी पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को इस सरकार ने नहीं छोड़ा। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थीं। उन पर देशद्रोही का मुकदमा डाल दिया गया, उन्हें देशद्रोही कह दिया गया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह-तरह के आरोप लगाती है और शायद वह भी भय में ही है।

(1340/MK/RP)

महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी जी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ कर रहे थे। भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। क्या आज इनकी यह हालत नहीं हो गई है? ये भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने लगे हैं। ये चर्चा से डरते हैं और आलोचना से घबराते हैं। हम कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि चर्चा कीजिए, लेकिन इनमें चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक कहानी होती थी। शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। वह यह सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है? मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं या नहीं? आज के राजा भेष तो बदलते हैं, उनको भेष बदलने का शौक है, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की हिम्मत है। मैं तो सदन में नई हूं। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जनता में बहुत विवेक है, यह सही है। … (व्यवधान) मैं सदन में नई हूं। मैं मात्र 15 दिनों से आ रही हूं। लेकिन, मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में, इतने बड़े-बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बातें हैं और प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए सदन में शायद दस मिनट के लिए दिखे हैं। बात यह है कि यह देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है।

वायनाड में जो आपदा आई थी, उसमें 17 साल का एक छोटा लड़का था। उसने छ: घंटों तक अपनी माँ को बचाने की कोशिश की थी। आप सोच सकते हैं कि छ: घंटों तक अगर नदी की धारा बह रही है, वह नाराज है, आप अपनी माँ को पकड़े हों, छ: घंटों तक पकड़े रहें कि मेरी माँ बच जाएगी और अंत में वह माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस, जो पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। संभल के उन बच्चों का साहस, जिनके पिताजी अभी-अभी गुजर गए, लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है और साहस है। वह साहस इस संविधान ने दिया है। वह आत्मविश्वास इस संविधान ने दिया है। यह देश भय से नहीं चल सकता। यह देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है। जब वह सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है तो उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है, जिसके सामने कोई … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) खड़ा नहीं हो सकता है। यह देश … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। यह देश उठेगा, यह देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा। सत्यमेव जयते, जय हिन्द। (इति)

(1345/SJN/NKL)

1345 बजे

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ इस सदन में 'भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा' पर जो बहस शुरू हुई है, जहां सत्ता पक्ष से माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, वहीं अभी-अभी कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद ने भी अपनी बात रखी है। उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिल रहा है।

मैं सबसे पहले उन लाखों-लाख लोगों को याद करता हूं, जिन्होंने भारत देश की आजादी में अपनी जान न्यौछावर कर दी है। हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी और हमारे तमाम वरिष्ठ लोगों ने इस संविधान को बनाने का काम किया है। मैं उनको याद करने के साथ ही साथ, आज 13 तारीख है, आज आप और हम इस सदन में बैठे हैं, उस दिन एक ऐसी घटना घटी थी, अगर उस समय सुरक्षाकर्मियों ने अपनी सूझ-बूझ, बहादुरी और साहस के साथ उन आतंकवादियों का मुकाबला न किया होता, तो हमारे देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता जो उस सदन में बैठे थे, तब न जाने क्या परिस्थिति बनती। जिनकी जान गई थी, मैं उन बहादुरों को याद करता हूं तथा उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं।

मैं 'भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा' पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस संविधान को बनाने का काम किया था। हमारा जो संविधान तैयार हुआ है, उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हमें एक महान संविधान मिला है। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता में एकता पर गर्व है। यह हमारा संविधान ही है, जिसने भाषायी, क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय विविधता वाले हमारे देश को एक साथ रखा है।

डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसे काम करते हैं। यह देखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की यह जिम्मेदारी है कि इस महान देश का शासन हमारे संविधान में निहित उच्च सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत और वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए लिया है।

यह वही संविधान है, जो समय-समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। यह संविधान हमारी ढाल है। संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय-समय पर शक्ति देता है। संविधान इस देश की 90 प्रतिशत शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। यह संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है।

(1350/SPS/VR)

अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए, खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म-मरण का विषय है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राण वायु है। जहां बाबा

साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इतना शानदार और अच्छा संविधान दिया, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था तथा सत्तापक्ष के हमारे माननीय मंत्री ने भी यह बात रखी है। उन्होंने कहा था कि "संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे।"

अध्यक्ष महोदय, इस संविधान पर लगभग 75 वर्ष के बाद भारत की संसद में फिर से चर्चा हो रही है। मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को रखना चाहूंगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों का स्पष्ट उल्लेख प्रस्तावना में है। मैं संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य से प्रारम्भ करता हूं। आज सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का प्रथम कर्त्तव्य है। जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में समय-समय पर सेंध लगती हो और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगहों पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश राज्य में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। वह जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने वहां पर गांवों की तरह कितने घर बसा दिए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं। चीन हमारी सीमा में अंदर आ गया था, वह हमारी सीमाओं से आंशिक रूप से पीछे हटा है।

अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रेजांग-ला मेमोरियल बना था। सरकार के लोग यह जानते होंगे कि लद्दाख को लेकर जिस समय यह बात उठी थी, उस रेजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वह रेजांग-ला मेमोरियल वहां नहीं है। उस लड़ाई के लिए, हमारी फौज के लिए कहा गया था कि हमारी बहादुर फौज है। … (व्यवधान)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव) : अध्यक्ष महोदय, फैक्चुअल गलत है। रेजांग-ला मेमोरियल बना है। रक्षा मंत्री जी उद्घाटन करके आए हैं। वहां पर अमिताभ बच्चन की आवाज में पूरी गाथा की डॉक्यूमेंट्री भी है।

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, यही तो फर्क है कि वह कहां पर बना था और अब वह कहां पर है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं और मंत्री जी जानते होंगे कि केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी और पड़ोसी देश से क्या-क्या नहीं कहा गया। वह समय आएगा, जब मानसरोवर और कैलाश पर्वत पर जाने के लिए भी वह देश हमें रोकने लगेगा। आज 75 साल बाद हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं? लद्दाख की वे फिंगर्स, जहां हम पहले थे, क्या हमारी फौज वहीं खड़ी है? अगर आप रेजांग-ला मेमोरियल ही जानते होंगे तो लद्दाख की वे सीमाएं, जो हमारे देश के अंदर थीं, क्या हमारी वे सीमाएं वहां तक हैं या नहीं हैं?

(1355/MM/SAN)

यह देश समाजवादी गणराज्य बने। समाजवाद का सरल शब्दों में अर्थ है कि समता और संबंधता हो, लेकिन देश में वर्ष 2014 के बाद विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 146 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। जो देश को यह

कहते हों कि हम विश्व की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ सम्पूर्ण सम्पत्ति के दो तिहाई हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है, अगर सरकार में यह बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60 परसेंट गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर-कैपिटा इनकम क्या है? अगर आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो 60 प्रतिशत गरीब लोग हैं, उनकी पर-कैपिटा इनकम क्या है? सरकार समय-समय पर आंकड़े देती रहती है तो कम से ये आंकड़े भी दे दे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर-कैपिटा इनकम क्या है? इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पांच परसेंट लोगों की पर-कैपिटा इनकम क्या है? हमारा प्रिएम्बल यह कहता है कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बने। राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेक्युलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वैलिटी का रास्ता दिखाता है। यही इसका अर्थ है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी सम्पत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किया जा रहा है। अगर यह धर्मनिरपेक्षता है तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? हाल ही में हम लोगों ने उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं जान-बूझकर की गयीं। मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, उस समय बहुत से लोगों को, जिनको वोट डालने का अधिकार था, उनको उनके अधिकार से रोका गया और जो लोग वोट डालने जा रहे थे, उन्हें डराया-धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे ताकि लोग वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक न पहुंच पाएं। वो तस्वीरें न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट डालने से रोका और कहा कि वोट डालने मत जाओ। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि इससे जान जाने वाली नहीं है और अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डालकर के आएंगे। क्या यही लोकतांत्रिक गणराज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता श्रद्धापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं? जहां सरकार सरकारी मशीनों और मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं है, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। हिटलर ने भी जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समानांतर चलने का प्रयास कर रही है।

(1400/YSH/SNT)

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। जब मैं सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था तो उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा था कि आप जातीय जनगणना कराना चाहें तो करवा लें। हम तो उसके पक्षधर लोग हैं, जो बोल रहे हैं कि अगर आप करवा सकते हैं तो आप कराइए, नहीं तो जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा, तब जातीय जनगणना करवाने का काम हम करेंगे। सामाजिक न्याय के तौर पर समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए आरक्षण था। आज उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत जो नौकरियां दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों के लिए किसी तरह का आरक्षण नहीं है।

शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर्स के चयन के समय इनके आगे वह शब्द लिख दिया जाता है। आज उस एक नए शब्द का इजाद हुआ है और वह है – नॉट फाउंड सूटेबल (एनएफएस)। आज सरकारी उपक्रम बेच दिए गए हैं और प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात कहीं भी गलत है तो शिक्षा मंत्री जी सूची जारी कर दें। मैं तो कहूंगा कि जितनी भी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके माध्यम से जितने भी प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनकी अगर शिक्षा मंत्री जी सूची जारी कर दें तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। आप केवल देश के 10 परसेंट लोगों का ही ख्याल रख रहे हैं, बाकी 90 परसेंट लोगों का आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जातीय जनगणना कभी भी जातियों में भेदभाव नहीं बढ़ाएगी। जातीय जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगी और हमारे समाज के तमाम लोग, जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, उनको कम से कम जातीय जनगणना के बाद अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा, इसलिए हम इसके पक्ष में हैं।

आर्थिक न्याय के बगैर न सामाजिक न्याय मिल सकता है और न ही राजनीतिक न्याय मिल सकता है। गरीबी का नाजायज लाभ उठाकर धन्ना सेठों की सरकार चुनाव में पैसा बांटकर राजनीतिक न्याय का भी अपहरण कर लेती है। कर्ज में डूबी बड़ी आबादी महाजन के दबाव में अपनी इच्छा के खिलाफ वोट देने के लिए विवश हो जाती है। चुनाव में सत्ताधारी दलों द्वारा पैसे की भरमार के चलते कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। पैसे के बल पर बड़े पैमाने पर धनवान चुनकर आ जाते हैं। जब तक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होगी, तब तक लोगों को राजनीतिक न्याय नहीं मिल सकेगा।

प्रस्तावना में आगे के ये लक्ष्य हैं – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पंथ और उपासना की स्वतंत्रता। आज अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का

अर्थ है – देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो वे प्रताड़ना के हकदार हैं। अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह ही नहीं है।

मैं इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम वह फैसला आया है, जहां कुछ दिनों के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये विभाजनकारी नीतियां संविधान की प्रस्तावना के उस उद्देश्य से जरा भी मेल नहीं खाती हैं। व्यक्ति की गरिमा लिंचिंग से धूल धूसरित हो चुकी है। उद्योगपति सरकारी आतंक से परेशान हैं। वे अपनी पूंजी समेटकर देश छोड़ गए हैं और लगातार जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद कभी इतने उद्योगपति अपना देश छोड़कर नहीं गए होंगे, जितने इनकी सरकार में चले गए हैं।

(1405/RAJ/AK)

अगर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो तो क्या कोई व्यक्ति अपनी मातृभूमि को छोड़ कर जा सकता है? सरकार इस पर आत्म चिंतन करे। अगर आपसी मतभेद पैदा करके एक-दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया जाएगा, तो क्या देश की एकता और अखंडता के लिए एक अशुभ संकेत नहीं होगा?

अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज्य कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। क्या हो रहा है? एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग है। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहन कर अधिकारियों को गाली दे दे, तो जी-हुजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी, क्या यह अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से कानून सम्मत प्रज्ञा के बगैर वंचित नहीं किया जा सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है लेकिन सबसे ज्यादा इसी का दुरुपयोग हो रहा है। फर्जी मुठभेड में हत्याएं, जेल के अंदर हत्याएं और पुलिस सुरक्षा में हत्याएं, आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईडी का ऐसा कानून बना दिया गया है कि बिना एफआईआर और बिना नोटिस किसी को भी बंद कर दो, लोकतंत्र फासिज्म में बदल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा सत्ता पक्ष से भी हुई है। जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे। जहां पर कानून की समय-समय पर धज्जियां उड़ रही हैं। मैं केवल एक घटना के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं, जिनके बारे में मैं कह सकता हूं। आजादी के बाद अगर हम 75वें वर्ष में संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और आए दिन लोगों को न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़े, तहसील हो वहां

पर आत्मदाह, जिलाधिकारी हों, वहां पर आत्मदाह, न्याय मांगने के लिए अगर मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़े वहां आत्मदाह, सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा है कि टीवी पर चलते हुए लोगों की जान ले ली गई, सबने लाइव देखा है। यह कहां का न्याय है? न केवल वह, बल्कि पता नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ्स में सबसे आगे जा रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे जा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। न केवल इन चीजों में आगे जा रहा है, बल्कि आज कल नए जमाने का जो डिजिटल इंडिया है, साइबर अपराधों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यह अलग बात है कि कभी-कभी डबल इंजन की सरकार चलाने वाले दावा करते थे। पहले इंजन टकराते थे, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं।...(व्यवधान) होड़ लगी हुई है कि कभी किसी ने दिल्ली का रास्ता किसी माध्यम से अपनाया था, उसी रास्ते पर आगे चल कर बढ़ना चाहते हैं। इससे खराब इस लोक तंत्र में और क्या हो सकता है? जिन लोगों ने यह कहा हो कि हम नौकरियां दे देंगे, लेकिन आज नौकरियां कहां हैं, रोजगार कहां हैं?

अध्यक्ष महोदय, अगर नौकरी, रोजगार और इन्वेस्टमेंट का वादा किया जाए और बड़े सपने दिखाए जाएं, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी भी उसी प्रदेश से आते हैं।

(1410/KN/UB)

प्रधान मंत्री जी भी उसी प्रदेश से आते हैं। आज कई मायनों में, कई आंकड़ों में उत्तर प्रदेश पीछे दिखाई दे रहा है, जहां रोजगार के सवाल पर, सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं है, क्योंकि आरक्षण न देना पड़ जाए, इसलिए सरकारी नौकरियां नहीं हैं। आए दिन पेपर आउट, पेपर लीक, न केवल पेपर लीक है, बल्कि जान-बूझकर पेपर लीक कराया जाता है, जिससे परीक्षा रद्द की जा सके।

अग्निवीर वाला जो सवाल था, वह आज भी वैसा का वैसा है। हम लोग अग्निवीर वाली व्यवस्था कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पहले भर्ती जैसे होती थी, अगर वैसी ही भर्ती होगी तो हमारी सीमाएं और सुरक्षित होंगी। हमारे और नौजवान जाकर देश की असली, पक्की वर्दी पहनने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह कैसी चर्चा संविधान की, जो है बिना प्रधान की। इस सरकार में लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इतना कभी खिलवाड़ नहीं हुआ होगा। संविधान को परतंत्र बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं, उनके लिए आज़ादी का अमृत काल सिर्फ एक जुमला है।

अंत में, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि संविधान बचेगा तो न्याय बचेगा और न्याय बचेगा तभी सब को बराबर मान-सम्मान, सब को बराबर मौके मिलेंगे, भेदभाव भी मिटेगा।

भेदभाव को दूर करने के लिए आज फिर से संविधान को बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पिछले चुनाव में भी बहुत सारे सत्ता पक्ष के माननीय लोग यह कहते थे कि हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 400 पार के नारे को गिरा दिया और विपक्ष को इतनी ताकत दे दी कि इनका जो सपना था संविधान बदलने का, उस सपने को तोड़ने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथी इधर के ही उधर हैं। अगर उधर वाले इधर आ गए, तो उसी दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आखिर में, मैं कुछ लाइनें कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं:-

"न मेरा है न तेरा है ये हिन्दुस्तान सब का है
नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सब का है।
हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के
मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सब का है।
जो इसमें मिल गईं नदियां वे दिखाई नहीं देतीं
महासागर बनाने में मगर एहसान सब का है।
अनेकों रंग, खुशबू, नस्ल के फल-फूल पौधे हैं
मगर उपवन की इज्जत-आबरू ईमान सब का है।"

हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। साथ ही साथ डॉ. राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन का रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो संघर्ष करके हम लोगों को उस जगह पहुंचाया, वहीं लोकनायक जयप्रकाश जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समय-समय पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान देकर जागरूक किया। मैं उन सब को याद करते हुए एक बार फिर अध्यक्ष जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(इति)

1414 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker, Sir, first of all, we would like to pay respect and homage to the security personnel who had sacrificed their lives for the protection of this ‘Temple of Democracy’.

(1415/SRG/VB)

Sir, today's discussion is on `The Glorious Journey of 75 years of the Constitution of India.’ I heard the speech of the respected hon. Minister Shri Raj Nath Singh Ji. I could not hear anything about which part is glorious and which part is inglorious. If we discuss on this subject ‘The Glorious Journey of 75 years of the Constitution of India’, then we have to give credit from Pandit Jawaharlal Nehru to Dr. Manmohan Singh. No one can be left out. The glorious journey of this Constitution is not only for the 10 years. If we accept it, we have to accept right from Pandit Jawaharlal Nehru to Narendra Modi who are the leaders of the country itself. It cannot be segregated. Anything can be said and anything can be criticized. But I did not hear anything. I will be expecting a reply from the hon. Prime Minister that which part was glorious and which part was inglorious.

I accept our Constitution worked well. Our Constitution and our country are considered as glorious in the world because all the machineries have discharged their duties, except for certain arenas, which I will be coming to later on.

Dr. Ambedkar said in the Constituent Assembly, “However good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. The working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution.”

India is the largest democratic country in the world. Over the decades, the Constitutional institutions tried to discharge their duties with the object of fulfilling the Constitutional rights and legitimate expectations of the citizens of this country. Sometimes it has worked well, sometimes the Constitutional institutions failed to discharge their duties to a certain extent. The necessary question today in India arises whether the Constitution failed or we failed the Constitution.

The preamble of our Constitution is the heart and soul of the Constitution. Therefore, it was and is always amenable to amendments.

India is a secular country. Secularism has been inserted in the preamble by virtue of the 42nd Amendment Act of 1976. The object of inserting the said word was to spell out expressly the high ideas of secularism and the integrity of the nation. Even before the insertion of the secularism word, every Prime Minister, every Chief Minister, every Ministers of this country have considered the country as secular. But unfortunately, during the last 10 years in the hands of the present Central Government, the secular fabric of the country is at stake. We can see there is a discrimination on the basis of a religion at the behest of the ruling Party of the Centre.

1419 hours (Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

Minority people of the country always have a feeling that their security and their religious faith to manage their affairs in matters of religion are in danger because of the highly communal concept or highly aggressive form of Hinduism inspired by the ruling Party at the Centre and their associates. If we have to understand the Constitution of our country, we have to give meaning to the words because the interpretation of this Constitution cannot be narrow. We have to give a broader meaning. The definition of Fundamental Rights and expression cannot be interpreted in narrow formula of black and white letters, and its duty and beauty lie in interpreting it with a broader point of view as the faith of the common man is on the broad shoulders of the Parliament or the courts of law.

(1420/RCP/PC)

It is a duty. Attempts have been made for the last 10 years by the party in power at the Centre to curtail Constitutional rights. We are witnessing the abrogation of the Fundamental Rights. In many instances, the abrogation of the Fundamental Rights of the citizens is being done at the hands of the Central Government. If a Government does not act at an appropriate time to uphold the fundamental rights of the citizens of the country, the democratic polity of our country is at stake. For example, in Manipur, the rights of the people of that State neither have been there, nor anything has been done. Rights of the people of Manipur, time and again, have been violated. We have seen rapes. We have seen murders. We have seen that the State is completely in an out of law-and-order condition. I would like to know whether the rights of the people of Manipur, which are Constitutional rights, have been protected. If you do not protect them at an appropriate time, there is no use of saying that there is protection of the

Fundamental Rights. Why are the people of Manipur being killed? Why so many rapes have taken place in Manipur? Why democracy in Manipur has been throttled down for nearly one year and six months? Why the hon. Prime Minister of India could not resolve the problem of Manipur?

The hon. Prime Minister of India went to West Bengal before the elections. In Sandeshkhali, the hon. Prime Minister said that संदेशखाली देश का अंग है। … (व्यवधान) संदेशखाली की महिला, देश की महिला है, देश की बिटिया है। … (व्यवधान) Basirhat Parliamentary constituency gave a befitting reply to the statement which was made by the hon. Prime Minister. My question today is this. प्राइम मिनिस्टर साहब, क्या मणिपुर देश का अंग नहीं है? … (व्यवधान) क्या मणिपुर की बिटिया देश की बिटिया नहीं है? … (व्यवधान) क्या मणिपुर की नारी की इज्जत, इज्जत नहीं है? … (व्यवधान) क्या मणिपुर की नारी का सम्मान, सम्मान नहीं है? … (व्यवधान) आपने क्या किया? … (व्यवधान) Still, you are waiting. You are not doing anything. Why in the name of survey of waqf property at Sambhal in Uttar Pradesh, six or seven minority community people have been killed? Why are you silent, hon. Prime Minister? When the rights under Article 21 of the Constitution of the citizens of Manipur and Uttar Pradesh are put in danger, then being the Prime Minister of the country, why do you remain a silent spectator? When you become the Prime Minister of the country, it is your duty to save them. You cannot confine yourselves to your political party's agenda which speaks only for division as per religion, spreading hatred and destroying the federal structure of this country.

You have heard it. Everyone has heard about the R.G. Kar Medical College's sad rape case and death case. It has happened on 8th or 9th August. The CBI is investigating the matter. Still now the investigation is not completed. The trial has not been completed. But after that, two rape and death cases had happened in West Bengal. Within 60 days, appropriate court has convicted the accused and declared a death sentence. Why the assent has not been given till now by the ... (*Expunged as ordered by the Chair*) to the Aparajita Bill which was passed by the West Bengal Legislative Assembly? What does the Aparajita Bill speak? It speaks about speedy investigation.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): You cannot discuss the conduct of the hon. President. You are a senior lawyer.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Okay. Why the process of assent has not yet been completed by the appropriate persons who are responsible for this?

(1425/PS/IND)

And what does it speak about? It speaks about speedy investigation and speedy trial within six months.

Sir, parliamentary practices are the basic structure of our Constitution. Shri G.V. Mavalankar said, and I quote:

> "For real democracy, one has to look not merely in the provisions of the Constitution, or the rules and regulations made for the conduct of business in the Legislatures, but one has to foster a real democratic spirit in those who form the Legislature. If this fundamental is borne in mind, it will be clear that though questions would be decided by majorities, parliamentary government will not be possible if it is reduced to a mere counting of heads or hands. If we are to go merely by majority, we shall be fostering the seeds of fascism, violence and revolt. If on the other hand, we could help to foster a spirit of tolerance, a spirit of freedom of discussion and a spirit of understanding, we shall be fostering the spirit of democracy."

During the last ten years, all the speakers who have spoken from the Opposition, and all the statements and speeches which have been made from the Opposition side, are not worthy. They are not worthy at all. Only the hands on that side of the House are much higher. Therefore, everything would be done. Are you not fostering the seed of fascism in the Parliament itself?

The Constitutional rights of the poor people of West Bengal to receive benefits of Centrally-sponsored schemes like, MGNREGA, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Backward Regions Grant Fund, etc., have not been given. Whenever we have raised this question, the answer is that there is illegality and irregularity. And we have repeatedly said that if there is illegality

and irregularity, then catch hold of the persons, arrest them, and put them into the prison. We will not mind that. But give extended benefits of these schemes to the poorest people of West Bengal. It has not been done. I would like to know whether the rights of the poor people of West Bengal, protected under Article 14 and Article 21 of the Constitution of India like inclusive livelihood, have not been destroyed by the hands of the Central Government. Has the Constitution worked? Or, has the Constitution failed?

The requirements of the people, and fulfilment of the expectations of the people from the Government, do not depend upon comparative statistics of pre-2014 and post-2014. At times, you come up with the statistics -- what was there in pre-2014 and what is there post-2014. The present Government may be happy with the statistics, but the people of the country are suffering from poverty, mental ill health, unemployment, malnutrition, lack of medical assistance, and free education up to graduation level, etc. These are only a few examples.

Regarding poverty, almost 129 million Indians are living in extreme poverty. About mental health, 70 million people in India are suffering from mental ill health. In August 2024, the unemployment rate stood at 8.5 per cent. With regard to malnutrition, India is ranked 105th out of 127 countries. This is India. Why has the Constitutional right not been extended to these poor people, malnourished people, and others? Same is the case with medical assistance. With regard to education, there are about 265 million students enrolled in schools across India, but the estimates suggest that more than 3.5 million students have dropped out after class 10th in the academic year 2021-22. I have a lot of statistics with me, which will take time. But I do not have that much of time.

One of the basic structures of the Constitution is federalism which is repeatedly being interfered with by the Central Government through the Office of the Governors.

(1430/SMN/GG)

The hon. Supreme Court in the case of B. P. Singhal versus Union of India, 2010 (6) SCC 331 held, and I quote:

> "Governor has a dual role. The first is that of the Constitutional head of the State bound by the advice of the Council of Ministers. The second is to function as a vital link between the Union Government and the State Government. In certain special emergency situation, he may also act as a special representative of the Union Government. He is required to discharge the functions related to his different roles harmoniously assessing the scope and ambit of each role properly. He is not an employee of the Union Government nor the agent of the party in power."

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): You cannot mention this. At least I have made a request about Governor.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): I am reading from the Judgement. … (*Interruptions*).

I am reading the Supreme Court Judgement.

HON. CHAIRPERSON: I am saying you cannot discuss about the conduct of Governors.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): How can you say? I am reading the Supreme Court Judgment. I am not saying on my own.

He should remain neutral as an umpire where the views of the Union Government and the State Government are in conflict.

The Constitution Bench of the Supreme Court in a case held it in 2016 (8) Page 1. I am reading from Supreme Court Judgement.

> "A Governor is only a formal and Constitutional head of the executives. The Council of Ministers are the real head and virtually controls both legislative and executive functions. The principles of collective responsibility is firmly entrenched in our Constitutional democracy and does not accept any parallel administration by the Governor"

Why is there a departure of this well-settled principles of law in non-BJP States, Sir? Why has the Constitution not been saved? Why has the Constitution not been worked out not following the principles of law of the Supreme Court?

Sir, the time has come to relook into Article 361 of the Constitution because Article 361 of the Constitution gives protection to the persons so designated there. No one can sue him and file any suit against that person.

But today, the persons who are appointed under Article 163 of the Constitution of India, their conduct are in question. Their morality is under question. No one can start a criminal case for their breach of mortality. This has to be relooked into.

Sir, we are very proud of our judiciary. Indian democracy- I believe with my heart - has been strengthened by the reason of the interpretation of the Constitutional law and appropriate directions and orders passed by the hon. apex court of the country. For the last three years, a question and some doubts have been arising in the minds of the people about the independence of the judiciary.

Judicial independence does not depend upon the factor whether the judiciary has succumbed to the pressure of the Central Government or the State Government. The factor is whether Indian judiciary has succumbed to the pressure of some interested person through the media that has been created. Now, it is the question today.

Thank you, Sir. You have given me enough time to speak. I wish every provision of the Constitution of India should be broadly interpreted, should be extended to the poor people of this country, give the benefit of the Directive Principles of the State Policy so that not a single poor person remains hungry in our country, a single person should not remain unemployed, a single person should not be sent to jail. Not a single one.

Thank you, Sir.

(ends)

1435 hours

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Thank you, Sir.

I pay my homage to departed security officers on 13.12.2001 in defending the Parliament of India against the terrorist act.

(1435/SM/MY)

Sir, I heard the President's address on the other day with rapt attention. I know that the text of the President's address is approved by the Cabinet and the Cabinet sends it to the President of India to read it to both Houses of Parliament.

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): You were also the Cabinet Minister for a long time. You are well aware of it.

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): For the sake of information, I should say this thing. Actually, what I find is that the soul and heart of the Constitution was not in the President’s Address. In the Preamble, secularism and socialism are the most important aspects of the Constitution. But they are not there in the President's address.

It is printed as a book and is supplied to all the Members of Parliament. When she addressed both the Houses, both the words and phrases were not spelled by the President of India. I am not finding fault with the President. But this Government is allergic to socialism and secularism. That is what I want to say.

Sir, socialism and secularism are not merely just the terms etched in the Preamble, but they embody the essence of India’s democratic, inclusive and egalitarian vision. The Constitution is not just a book listing laws, rights and duties. It is a vision document by the first-generation leaders of Independent India that guides the country.

The words ‘secular and socialist’ were inserted in the Preamble by the Constitution Amendment Act of 1976. Even before the 42nd Amendment, secularism was a fundamental part of the Constitution. Articles 25, 26, 27 were specifically designed to promote secularism, but the underlying principles were already implicit in various provisions of the Constitution. Articles 14, 15, 16 of the Constitution prohibit religious discrimination and ensures equal protection and employment.

Sir, the words ‘socialist and secular’ represent the fundamental values that guide India’s democracy and governance. Their inclusion in the Preamble is not just symbolic, but it underscores India’s commitment to a fair, just and inclusive society. Removing these words would not only erase the spirit of the Constitution, but also undermine the country's moral and democratic framework.

Sir, today is 13th December, 2024 and the Parliament is discussing about the 'socialist and secular' phrase incorporated in the Preamble. The same thing was discussed in 1946 on the very same day. The same phrase was discussed in 1946 on the same day. After a long debate, it was decided not to include these two concepts. But later, after a journey of 30 years, in 1976, it was proved that these two aspects should find a place prominently in our Constitution. This became a reality through the 42nd Constitution Amendment in 1976.

In this backdrop, I would like to voice the legacy of our Dravidian forefathers, in particular, Dr. Natesa Mudaliar, Sir P. T. Thiyagaraya, Shri T. M. Nair, Shri Thanthai Periyar, Shri Perarignar Anna and Dr. Kalaingar who were instrumental in developing our society into an egalitarian society.

Today, my leader, Shri M.K. Stalin is carrying forward the torch of Dravidian legacy to achieve our forefathers' dream. Even yesterday, on 12.12.2024, hon. Chief Minister of Tamil Nadu inaugurated the innovative Periyar Memorial in Vaikom of Kerala where so-called lower caste people were forbidden entry in the Temple Street. (1440/RP/CP)

Thanthai Periyar undertook an agitation 100 years ago in 1924, and successfully secured the entry into the temple for all people, which was a great proud moment of social justice. This glorious Dravidian legacy is having more than 108 years' prestigious history for establishing socialist and secular society in our nation. These two high ideals of socialism and secularism are the heart and soul of social justice. This Dravidian legacy commenced with the launching of reservation for the oppressed in jobs, education, and political liberation; the cursed lot of millions comprised of mostly Hindu communities.

This century old struggle is still not over, and the fight is continuing even after 77 years of Independence. In this context only, socialism and secularism have assumed new importance, and the Governments today have to prove their commitment to the people, that they will implement the noble concept of secularism and socialism in letter and spirit. We say this because this Government is wavering on both these principles. The visible hesitation and wavering of the Government is reflected in the President's speech, which exposes the Government's dubious commitments and unwillingness in this regard explicitly and strongly. That is why, these commitments are not expressly and soundly stated in the speech of the President. Therefore, we are fully justified in our feeling that the observation of 75th Constitution Day is a mere tokenism. That is why, after the President's speech, DMK

appealed to the Speaker to have a full-fledged discussion in Parliament on this omission of this Government.

The concepts of socialism and secularism did not find a place in our Constitution initially adopted in 1949. Though there was a debate on this matter, it was excluded. However, as we travelled in the free nation, the need for bringing them into the Constitution expressly was felt strongly. Consequently, the then Prime Minister Shrimati Indira Gandhi was instrumental in bringing the 42nd Amendment to include them in the Preamble itself. In this regard, I would like to point out that the very first amendment to our Constitution was made in 1951 itself for an enabling provision to reservation of backward classes, SCs, and STs.

The Dravidian founding fathers paved the way for the aforesaid amendment, because the communal G.O. was introduced in 1920 by the Justice Party Government of erstwhile Madras Province. This great feat was achieved by the Dravidian movement in pre-Independence days to uplift the socially backward class masses. I must mention that this historical great initiative happened during the British India regime itself. This foresightedness not only benefited downtrodden people of South India, but also the whole of India is now enjoying the fruits borne out of the political wisdom of our forefathers of Dravidian Movement. The socialist ideology has supreme value even today.

Coming back to the other aspect of secularism, I want to read and quote Article 15(1) of the Constitution. I quote: “The State shall not discriminate against any citizen of India on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.” The vital question is: “Has the State ensured this mandate in all these years?” What happened in Odisha when Father Graham Steins was burnt alive when sleeping? How many places of worship have been pulled down is known to the entire world? There were incidents of mob lynching and massacre of the innocent minorities in Gujarat and many other States. There is suppression of linguistic rights. The most gruesome example of mob lynching was attempted against our Tamil leader K. Kamaraj where his house was torched. These cruel incidents happened due to religious frenzy. The situation today is grimmer than the situation of 1976 because the minorities and the poor masses have a strong feeling that they have been left out, and their livelihood is in serious threat.

(1445/NKL/NK)

That is why we wanted that the Government should expressly commit themselves to the two noble principles. Hence, it was our strong wish that the President of India, in her Address on the 75th Constitution Day, should have at least made a mention that her Government is committed to the socialist and secular values so that the 145 crore people of this vast nation could get the right signal and would have felt reassured. This becomes a valid point because only on the previous day, that is, the 25th November, 2024, the Supreme Court had given a historical verdict on this matter. The Supreme Court had dismissed the petition praying for the deletion of the words 'Socialist' and 'Secular' from the Preamble of the Constitution. The Supreme Court correctly condemned the petitioners who were motivated by partisan considerations in filing the petition, challenging the constitutional validity of the matter after 44 years of the 42nd Constitutional Amendment.

In the light of such an important development, we strongly feel that the President, in her Speech, should have mentioned about this so that the commitment of the Government on the two high principles is proved beyond doubt, and 145 crore people are also convinced about the unwavering sincerity of the Government in this regard.

When Compared to the Mughal rule of 300 years and British rule of 200 years, our journey of 75 years as an independent nation is not that long. But it has a chequered history, and it is time for us to introspect. That is why, we wanted a discussion on this in the Parliament, and it happened today. On behalf of my Party and my Leader, Dr. M.K. Stalin, I profoundly thank and salute the architect of the Constitution, the great Dr. Ambedkar. Also, I would like to thank some of the leaders of Tamil Nadu, namely Raja of Bobbili, Freedom Fighter Kakkan, Shri Swaminathan, Dr. R.K. Shanmugam Chettiar, Shri T.T. Krishnamachari, Alladi Krishnaswamy, the great leader Shri K. Kamaraj, Shri O.V. Alagesan, and so on.

Sir, with this, I conclude and at the same time, thank you for giving me the time to speak.

(ends)

1447 hours

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. As we mark the 75 years of adoption of the Constitution, I am very happy to speak today on this historic occasion.

Sir, there was one incident where Dr. B.R. Ambedkar ji, along with his family, was stranded at a railway station in Masur, and everyone rejected them to take them home. This happened just because he belonged to Mahar community and was called untouchable. This is the incident after which he had become the architect of the Constitution, and this is where democracy was shaped. We, sitting here as the representatives of the people, are trying to resolve the grievances of the people, speaking truth and also fulfilling the promises.

Sir, a *chai wala* could become the Prime Minister of our country; a woman from tribal community could become the President of the country; and an auto driver could become a Chief Minister. This is the true essence of the Constitution.

Before we speak about the Constitution, we should also know that if the provisions of the Constitution are misused, then what the position of the people of the State would be, and also how the Governments could collapse. One such example is about the YSRCP during their tenure from 2019 to 2024. It was ruled by a dictator who was suffering from OCD. That is not Obsessive Compulsive Disorder but Obsessive Criminal Disorder.

Sir, I can tell you very clearly that every single chapter of the 22 chapters of the Constitution was misused in Andhra Pradesh during the last five years. … (*Interruptions*) No one is misleading…. (*Interruptions*) You should have spoken this five years back. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Shabari ji, kindly address the Chair. Nothing will go on record except what Dr. Shabari is speaking.

(1450/VR/SK)

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, about Rs.86,000 crore which were for the welfare of people of SC/ST categories under SC/ST Subplan were misutilized and diverted for their personal use, which is a violation of Article 14 of the Constitution. Then, about Rs.1600 crore which were supposed to be used for the health, were diverted for their personal use or Navaratnalu scheme, which even did not do well because of the corruption of their leaders. About nine lakh acres of Government land was transferred to the private people or benamis during their Government.

Sir, we were very proud of our State. When the State got divided, we were happy that Amaravati was the capital for which the foundation stone was laid by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modiji. It was not just built with bricks and mortar, but hopes and aspirations of the people of Andhra Pradesh. About 28,000 people have sacrificed their land in the hope of having a new capital. But after YSRCP Government came, they played a game by forming three capitals and built three palaces, where thousands of crores of rupees were spent. An example of it is the Rishikonda Palace.

Sir, as I told, the volunteer system that was brought by the YSRCP Government was to use them as pawns in their political game. They were used for election campaigning. They were used for deleting the data of voters who belonged to the NDA parties from the voting lists. About 15.8 lakh false voters were identified by the Election Commission.

Our State was very famous globally for ease of doing business. But after YSRCP Government has come, companies are scared of doing business. Lulu Group was kicked out of the State; Franklin Templeton was shunted out, KIA Motors was harassed, and this goes on. Instead of promoting ease of doing business, they promoted ease of taking bribes.

Then, the local body elections, which were supposed to happen smoothly, were won with a lot of difficulties. The sarpanch candidates from NDA party were harassed and mishandled. Many false cases were filed against them. Many murders took place. *....(Interruptions)* I am just talking about Articles 14 and 46 of the Constitution. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON (SHRI JAGDAMBIKA PAL): Hon. Member, just address the Chair.

DR. BYREDDY SHABARI (NANDYAL): Sir, Articles 14 and 46 of the Constitution were violated by the YSRCP Government. That is the right to equality, right to law. I can even mention the Articles, if YSRCP demands. *....(Interruptions)*

Sir, despite right to equality and right to vote being enshrined in our Constitution, local body elections were disrupted. A fund of about Rs.8000 crore meant for Graham Panchayats were diverted. We do not know where this fund has gone. The sarpanch who won with a lot of difficulty could not even fix a light in the rural areas.

Sir, women in our State were harassed. This violated Article 14, 15 and 46 of the Constitution. Our Chief Minister’s wife, who is a gem of a person was harassed in the social media. Our Deputy Chief Minister’s daughter who is not even 12 years

old was harassed. We, the women politicians were harassed by assassinating our characters and our images were marred. But we are still unshattered and are representing our people today in the Parliament through the Telugu Desam Party and the NDA.

Articles 14, 21 and 46 of the Constitution were violated again and again when our hon. Chief Minister was arrested. That happened in my very own constituency. He was arrested and kept behind the bars for 53 days, surrounded by Maoists. This was the day when an undeclared emergency was imposed in our State. This was the day when the people of Andhra Pradesh had decided, and said, I will quote it in Telugu -

Anduke Jaganmohan Reddy Garu Gari Kurchi Madathapeti
Andhra Rashtra Intiki Pampichesaru.

(1455/SAN/KDS)

Sir, this is not the victory of the NDA, but the victory of justice, equality and law. This also exhibits the confidence the people of the State had in our visionary leader, the saviour of Andhra Pradesh, our hon. Chief Minister, Nara Chandrababu Naidu *garu*. In six months, we have shown what a Government is while we are abiding by the rules and laws of the Constitution. In six months, we could give social, economic and financial justice to the people.

Sir, education reforms were brought in by our future leader, Nara Lokesh *garu*. Our Deputy Chief Minister, Pawan Kalyan *garu* is not a reel star, but a real star. He not only seizes the ship but also seizes the corruption out of the lives of the corrupt people.

Sir, I can tell you that this is just a trailer of the transformative future of Andhra Pradesh. With more vibrant reforms and initiatives, and the unprecedented developments under the leadership of Nara Chandrababu Naidu *guru*, our hon. Chief Minister, I am sure that we are going to reach new heights and fulfil the dreams of the people of Andhra Pradesh.

Sir, our party is a 40-year old party. We have gone through many hardships. We are here in the 18th Lok Sabha. We will abide by the law of Constitution and also make our State and country proud.

Maa balam, Constitution Rajyangam, Maa balam, Maa prajalu.

Thank you, Sir. Jai Hind.

(ends)

1457 बजे

पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह): सभापति महोदय, धन्यवाद। भारत के संविधान ने 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत के संविधान के 75 वर्ष की इस गौरवशाली यात्रा पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया। संविधान के दो पहलू हैं। एक पहलू तो संविधान का वह है, जो इस समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक उन्नति का रास्ता प्रशस्त करता है तो दूसरी तरफ संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए उसी में प्रावधान है कि उनको कहां जगह मिलेगी। इस देश में कई लोगों ने शासन किया और बहुत लंबा शासन किया। आज इस देश के आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की बात करते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले दस वर्षों में जो काम किया है, उसकी विस्तार से माननीय रक्षा मंत्री जी ने चर्चा की है। उन्होंने एक-एक काम गिनाया है। हम उसको दोहराकर समय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन एक मूल मंत्र, जो आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का है, वह इसी संविधान से निकला है, जिसमें लिखा है और उनका नारा है – सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यही हमारे संविधान का मूल मंत्र है। इनको यह मूल मंत्र कहां समझ में आएगा।

महोदय, इतने लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और सैकड़ों बार के उदाहरण हैं कि इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाईं। आज यही कारण है कि संविधान ने उनको वहां बैठा दिया, जहां 15 साल से टहल रहे हैं। ये संविधान को ऐसे इस्तेमाल करते थे, जैसी अभी ये चर्चा कर रहे थे। ये संविधान की बहुत बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी की माननीय सदस्या ने अपनी प्रथम स्पीच में बहुत ही चुटकुले के साथ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां इस सरकार और आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी पर की हैं। अभी आपको ज्ञान नहीं हैं, आपके पूर्वजों ने इस देश पर शासन किया है, जरा उनका इतिहास भी पढ़ लेते।

(1500/MK/SNT)

सभापति महोदय, हम लोगों के यहां एक कहावत है। आप भी जानते होंगे, आपके यहां भी उत्तर प्रदेश में कहावत होगी कि 'सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने के लिए चली'। पूरे शासनकाल में इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। संविधान की धज्जियां उड़ाने के बाद, जो संविधान के भक्षक हैं, वे आज संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, जैसे लगता है कि कितने बड़े संविधान के रक्षक हैं। संविधान के भक्षक संविधान के रक्षक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए, आज आप वहां बैठे हैं। आपको संविधान की प्रति लेकर घूमने का हक नहीं है। जब आप संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं तो इस देश की जनता हंसती है। आपको कम से कम महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से सीख लेनी चाहिए। कुछ सुधर जाइए, अगर आप कुछ सुधर जाइएगा तो आगे ठीक रहेगा।

सभापति महोदय, इस देश के संविधान में अनुच्छेद-356 का प्रावधान है। जब अनुच्छेद-356 का प्रावधान है और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय डॉ.भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद-356 को मृत-पत्र की संज्ञा दी थी। मृत-पत्र का मतलब, इसका इस्तेमाल विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिए। लेकिन, इन्होंने कैसे किया? इनका इतिहास है। पंडित

जवाहरलाल नेहरू जी ने अनुच्छेद-356 का 7 बार इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी जी ने 51 बार किया। राजीव गांधी जी के शासनकाल में 6 बार इस्तेमाल हुआ। पी.वी.नरसिम्हा राव के समय में इसका 11 बार इस्तेमाल हुआ और डॉ.मनमोहन सिंह जी की सरकार में 12 बार हुआ था। डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वर्ष 2005 में जो बिहार में किया था, वह तो अभूतपूर्व था। ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के डर से इन्होंने जो भी इस तरह के फैसले किए, वे दिन के उजाले में नहीं किए बल्कि रात के अंधेरे में किए। बिहार में फरवरी के चुनाव के बाद जब वर्ष 2005 में सरकार बन रही थी, तो कैबिनेट मंत्री, जो बहुत दबंग कहे जाते थे, वे 12 बजे रात को प्रधानमंत्री जी के यहां चले गए और उन्होंने कहा कि सरकार गिरा देंगे, नहीं तो विधान सभा भंग करो। सुबह 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, महामहिम राष्ट्रपति जी मास्को में थे, फैक्स पर भेजकर उनसे दस्तखत करवाकर मंगवाया गया और जब सूर्योदय हुआ तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। इन्होंने यही तो काम किया। दिन के उजाले में नहीं किया। इन्होंने इस देश में जब इमरजेंसी भी लगाया तो 12 बजे रात में सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाकर दस्तखत कराया और सुबह इमरजेंसी की घोषणा कर दी और ये संविधान और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। सत्ता में बने रहने और अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई और संविधान को तार-तार किया। इन्होंने संविधान निर्माताओं की आत्मा को कलंकित करने का काम किया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ लेने जाते हैं तो नतमस्तक होकर संविधान का नमन करते हैं और तब शपथ लेते हैं। वे शपथ के मुताबिक 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र के साथ इस देश के निर्माण में लगे हैं।

(1505/SJN/AK)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : कांग्रेस पार्टी के लोग कहां हैं?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, कांग्रेस के लोग चले गए हैं, संविधान से उनको कोई मतलब नहीं है। उनका संविधान से कुछ भी लेना-देना नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री जगदम्बिका पाल) : आप चेयर को एड्रेस करिए। उनको भूल जाइए।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, जब सन् 1975 में इमरजेन्सी लगी थी, तब हम सब लोग जेल में थे और वहां कई प्रताड़नाएं हुई थीं। इमरजेन्सी अचानक लग गई, इमरजेन्सी अचानक क्यों लगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को अवैध करार दे दिया था। अवैध करार देने के बाद उनको अपनी गद्दी भी बचानी थी, तो उन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए इस देश में इमरजेन्सी लगाई थी। लाखों लोगों को मीसा एक्ट के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। पूरे देश में छोटे से लेकर बड़ा विरोधी दल का कोई नेता नहीं था, जो सड़कों पर घूम सकता था। आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं।

न्यायपालिका पर प्रतिबंध लगाया गया, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। मीडिया के लोगों को जेल भेज दिया गया। संविधान के कई अनुच्छेदों को

संविधान की नौवीं अनुसूची में डालकर कोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया था कि आप उसकी सुनवाई नहीं सकते हैं। उन्होंने अपने पांच साल के शासन को छः साल कर दिया। अगर उसके बाद उनका बस चलता, तो आजीवन के लिए अपना शासन कर लेते। ये संविधान के रक्षक हैं और ये इस देश में संविधान लेकर घूम रहे हैं। इस देश के लोग तो हंसते हैं। इन लोगों ने अपनी गद्दी बचाने और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए संविधान का दुरुपयोग किया है। ये आरक्षण की बात कर रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र में घूम-घूमकर नकारात्मक प्रचार कर रही थी कि नरेन्द्र मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। अरे भाई, नरेन्द्र मोदी जी ने तो सभी दिन कहा और ताल ठोककर कहा है कि आरक्षण समाप्त नहीं होगा। जब तक नरेन्द्र मोदी है, तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा। आप कौन-सा नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं? आपने क्या किया? आपके पूर्वज ने क्या कहा था? डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के निर्माण के समय कहा था कि आरक्षण वैशाखी नहीं, सहारा है। वह उन वर्गों के एक लिए सहारा है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं। आज जो सहारा मिला हुआ है, आप उससे छोड़-छाड़ करते हैं। आरक्षण के सवाल पर जब बात हुई, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने 26 मई, 1949 में संविधान सभा में भाषण दिया था और आरक्षण का विरोध किया था। 15 अक्टूबर, 1947 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सभी प्रांतीय सरकारों को चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। 27 जून, 1961 को लिखे हुए पत्र में उन्होंने कहा था कि...(व्यवधान) सब खिसक गए हैं, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आदरणीय गिरिराज जी, राजीव रंजन जी बोल रहे हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, पंडित नेहरू जी ने लिखा था, उन्होंने 1961 में प्रांतीय सरकारों को जो पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि यह सच है कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की मदद के लिए कुछ नियमों और परंपराओं से बंधे हैं। वे मदद के पात्र हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी भी प्रकार के आरक्षण को नापसंद करता हूं। यह नेहरू जी की विचारधारा थी, यह नेहरू जी की सोच थी। ये आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं।

अभी कांग्रेस पार्टी की एक माननीय सदस्या बोल रही थीं, उन्होंने कई बातों पर चर्चा की है। आपको याद होगा, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, मुझे एक बात याद आ रही है।

(1510/SPS/UB)

वर्ष 1982 में हरियाणा में चुनाव हुए थे। वहां पर बीजेपी और लोक दल के गठबंधन से सरकार बननी थी। हम ज्यादा बहुमत थे। वहां पर तपासे साहब गवर्नर थे और चौधरी देवीलाल नेता चुने गए। गवर्नर साहब ने उनको कहा कि आप सोमवार को सभी विधायकों को लेकर आइए, आपका शपथ ग्रहण कराएंगे। वह संडे को दिल्ली चले आए, यहां से दिशा-निर्देश मिला और इतवार को ही उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का दिल्ली में शपथ ग्रहण करा दिया। ये संविधान के रक्षक हैं? अभी सांसद जी जातीय गणना पर बोल रही थीं। विरोधी दल के नेता जातीय गणना पर चले गए हैं। अखिलेश जी अभी यहां नहीं हैं। अखिलेश जी गवाह हैं। इण्डिया की मीटिंग मुंबई और बेंगलुरु में हो रही थी। यह सवाल उठा था कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित कीजिए, लेकिन ये मुंह में टेप लगाकर बैठे हुए थे। मैं भी उस मीटिंग में था। इनकी कथनी और करनी में यही फर्क है।

ये अपने राजनीतिक इस्तेमाल और अपने फायदे के लिए नारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको खुलासा करना चाहिए। हम चुनौती देते हैं कि यह प्रस्ताव आया, लेकिन मुंह में पट्टी बांधकर, मुंह में टेप लगाकर क्यों खड़े थे? यह आपको बताना चाहिए।

माननीय सदस्या कह रही थीं कि साहस संविधान ने दिया है। संविधान ने तो साहस दिया है। अगर संविधान ने साहस नहीं दिया होता तो हम लोग आपकी प्रताड़ना को इमरजेंसी में इतना कैसे झेलते? हम लोगों ने आपकी प्रताड़ना को झेला, यह संविधान ने ही हमको साहस दिया था। हम लोगों ने झेला, क्योंकि यह साहस संविधान ने दिया है, लेकिन आपने कभी नहीं झेला है। आप समझती हैं कि हम लोग इस देश में सोने का चम्मच लेकर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। देश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हो, वहीं बैठे रहिए और वहीं आनंद करते रहिए। मोदी जी तीसरी बार आए हैं, चौथी बार आएंगे, आपका नामो-निशान कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा और अभी हुआ भी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर में आपका क्या हश्र हुआ है, कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ है? कांग्रेस पार्टी जम्मू और कश्मीर में समाप्ति की ओर है। वहां इन्हें 6 सीटें मिली हैं और महाराष्ट्र में तो आप सबसे नीचे हैं। आपका यह हश्र हो रहा है। आपका आगे भी यह हश्र होता रहेगा। अभी भी सुधर जाइए और संविधान की प्रति लेकर मत घूमिए। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों, अति पिछड़ों के लिए जो काम किया है, आप उसका सकारात्मक प्रचार कीजिए और प्रशंसा कीजिए, तभी आपका कुछ कल्याण होगा, अन्यथा आपका कुछ नहीं होने वाला है। संविधान की इस 75 वर्ष की यात्रा पर कांग्रेस पार्टी को संविधान की प्रति को लेकर घूमना और उसे संविधान की बात करने का उनको कोई हक नहीं है, उनको कोई अधिकार नहीं है। संविधान के रक्षक इस देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी हैं। जब तक नरेन्द्र मोदी जी हैं, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और संविधान में दिए गए प्रावधानों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आप लाख दिग्भ्रमित करते रहें, इस देश की जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। वह नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है और भरोसा करती है। इसलिए गांवों-गावों में यह चर्चा होती है कि संविधान की रक्षा करना मोदी की गारंटी है, मोदी की गांरटी है और मोदी की गांरटी है तथा संविधान की रक्षा हो रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1515/MM/SRG)

1515 बजे

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय चेयरमैन सर, स्वातंत्रय, समता, बंधुत्व की विचारधारा की नींव को लेकर जो संविधान बना, उस संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपको धन्यवाद।

1515 बजे (श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, आज इस संविधान का सही सम्मान क्या हो रहा है? अभी हमारे मित्र सारी पुरानी यादें बता रहे थे। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने गलती की तो हमें गलती करने का अधिकार मिल गया है। जब आप ऐसी चीजों का समर्थन करते हो तो हमें लगता है कि आप भी यह सोचते हो कि उन्होंने गलती की तो हम भी गलती कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में भाषण दिया था। उस भाषण की दो-तीन पंक्तियां मैं यहां पढ़ना चाहता हूं-

> " संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो नि:संदेह बुरा होगा। संविधान का क्रियाकरण पूर्णतया संविधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, संविधान केवल विधान मंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए व्यवस्था कर सकता है।"

उसी भाषण में उन्होंने दो-तीन चीजें और बतायीं और उसमें उन्होंने जॉन स्टूअर्ट मिल का जिक्र किया और कहा कि 'किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को न चढ़ा दें या उसे वे शक्तियां न सौंपे जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे।' आगे चलकर उन्होंने कहा-

> "महान व्यक्तियों के प्रति, जिन्होंने जीवन पर्यन्त देश की सेवा की हो, कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी सीमा होती है।' "

> आयरलैंड के देशभक्त डेनियल ओ'कोन्नल ने उस विषय में यह ठीक ही कहा है-
> "अपने सम्मान को खोकर कोई पुरुष कृतज्ञ नहीं हो सकता। अपने स्तीत्व को खोकर कोई स्त्री कृतज्ञ नहीं हो सकती और अपनी स्वतंत्रता को खोकर कोई राष्ट्र कृतज्ञ नहीं हो सकता।'"

किसी भी अन्य देश की अपेक्षा भारत के लिए यह चेतावनी अधिक आवश्यक है क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे भक्ति मार्ग या वीर पूजा कहा जाता है, उसका भारत की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है, जितना किसी अन्य देश की राजनीति में नहीं है। धर्म में भक्ति आत्म मोक्ष का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या पूजा अंतत: तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। समझने वाले को इशारा काफी है। आजकल अंधभक्तों के लिए यह बड़ा मसला है। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय, संविधान के बारे में मैं टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बल्कि सत्यता बता रहा हूं क्योंकि मैं व्यथित हूं। संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, कैसे संविधान से खेल रहे हैं, इमरजेंसी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो बिना लगाए ही इमरजेंसी चालू है। लोग डर के मारे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं

किया गया।) भूलो मत, चार जजेस बाहर आकर अनशन पर बैठे थे और कह रहे थे कि यह सरकार हमारे ऊपर अन्याय कर रही है। याद है! यह न भूलना! वह भी याद दिला देता हूं।

सभापति महोदय, शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। दल बदलू लोगों की संख्या बढ़ रही थी तो राजीव गांधी जी ने उस वक्त सोचा कि इस पर कुछ करना पड़ेगा। उनके मन में भी कभी नहीं आया कि दो तिहाई लोग पार्टी छोड़ देंगे। शेड्यूल 10 में लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से छोड़ कर जाता है तो वह अपात्र हो जाएगा।

(1520/YSH/RCP)

अगर दो तिहाई लोग जाते हैं तो वे जा सकते हैं, लेकिन उनको किसी पार्टी में विलय होना होगा। हमारे महाराष्ट्र में दो तिहाई लोग तो नहीं गए। पहले तो बहुत कम गए। फिर आगे यह सब चलता रहा। आखिर में दो तिहाई लोग हो गए, लेकिन वे मर्जर नहीं हुए। संविधान के शेड्यूल 10 की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? ये धज्जी-धज्जी शब्द बार-बार बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जज की ... (*Expunged as ordered by the Chair*) मैं उनका स्टेटमेंट पढ़कर बताता हूँ। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट पढ़कर बताता हूँ।

CJI Chandrachud highlighted, "If the disqualification proceedings against the Shinde faction are not carried out, then the entire goal of the 10th Schedule will be defeated." Who says it? यह सुप्रीम कोर्ट के जज चन्द्रचूड़ साहब ने कहा था। उसके आगे वे क्या कहते हैं, वह भी बताता हूँ :

"The Governor cannot impart legitimacy to a defecting faction of a political party by enabling them to form a Government through unconstitutional means." हम संविधान का सम्मान मना रहे हैं। "Further, being an executive appointee, the Governor has no role to play in a legislative issue." यह नबाम रेबिया केस में हुआ था। वहां न्याय मिला, लेकिन यहां नहीं मिला। महाराष्ट्र के चुनाव की नींव यहां से शुरू हुई है।

"The Governor cannot direct a House of the legislature to hold a floor test. Instead, the Members of the House must move a motion of no-confidence. The Members defecting from a political party cannot escape the consequences of defection merely on a technicality. The purpose of the 10th Schedule –preventing the Constitutional sin of defection – must be fulfilled." Who said it? The Chief Justice of India said it.

महाराष्ट्र में क्या हुआ? आप ही बताइए, आप सब जानते हैं। क्या संविधान का आदर किया गया? सबसे बड़ी बात कार्यकाल की है। जब यह केस दाखिल हुआ तो वहां पर जो सरकार असंवैधानिक रूप से बैठाई गई थी, उसको काम करने दिया गया।

He made a number of strictures saying this is unconstitutional. But giving oath is Constitutional. The Chief Minister was given an oath. Then, the Government functioned.

अब गवर्नमेंट बन गई थी तो केस का निर्णय कब तक आ जाना चाहिए था। दो से ढाई वर्ष के समय में, जब तक उनका कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, तब तक निर्णय आ जाना चाहिए था, लेकिन

निर्णय नहीं आया। उन्होंने स्पीकर को भेज दिया। स्पीकर किस पार्टी से थे? उन्होंने निर्णय में न इनको डिसक्वालीफाई किया और न ही उनको डिसक्वालीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या हुआ? कहां है – संविधान? कहां है – उसका सम्मान? कहां है – उसका आदरभाव और कहां है – डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आदरभाव?

सभापति महोदय, आदरभाव नहीं है। मैं इनके गवर्नर साहब के बारे में बता देता हूँ। ये संविधान की बात करते हैं। हम देखते हैं कि बिल पास किए जाते हैं। महाराष्ट्र में जब आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने एक बिल पास किया था। वह बिल मुम्बई के चालों में रहने वाले लोगों के लिए 500 क्वायर फीट तक के लिए नो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल था। विधान सभा में बिल पास हुआ, विधान परिषद में हुआ। उस पर राज्यपाल साहब ने साइन कर दिए, लेकिन वह ... (*Expunged as ordered by the Chair*) के पास पड़ा रहा। वह तब तक मंजूर नहीं हुआ, जब तक वहां पर सरकार नहीं गिरी और उद्धव जी ठाकरे साहब, जिस दिन मुख्य मंत्री पद से हटे, उसके आठ दिनों के अंदर ... (*Expunged as ordered by the Chair*) के कार्यकाल के अंतिम दिनों में उस बिल के ऊपर हस्ताक्षर हुए।

ये संविधान के सम्मान की बात करते हैं। उस समय नारियों के लिए शक्ति कानून पास किया। वह अभी भी पड़ा है। वह विधान सभा में पास हुआ, विधान परिषद में पास हुआ। ... (*Expunged as ordered by the Chair*) बिल पास करने के बाद कितने दिनों तक वह राज्यपाल के पास रह सकता है, उसके लिए तमिलनाडु के लोग भुगत रहे हैं। हम भी भुगत रहे हैं। हमने देखा है। इस पर क्या कोई पाबंदी है? सिर्फ मनमर्जी है। यहां पर राज्य सभा में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 लोग मनोनीत होते हैं, वैसे ही वहां पर भी मनोनीत किए जाते हैं। वहां पर राज्य की सरकार द्वारा 12 लोगों का नाम लिया गया। राज्यपाल महोदय को कौन नियुक्त करता है, सब जानते हैं। वहां पर 12 लोगों के नामों की सूची देने के बाद भी ढाई वर्षों तक ... (*Expunged as ordered by the Chair*) ने साइन नहीं किए। (1525/RAJ/PS)

अभी-अभी सात लोगों की सूची साइन करके भेजी गई है। यह तुम्हारे संविधान का सम्मान है।

सभापति महोदय, मुझे कभी-कभी लगता है कि क्या न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? ... (<u>अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>) अभी बाकी अन्य लोग भी हैं। मुझे कमाल लगता है कि एक हाई कोर्ट का जज एक दिन में इस्तीफा देता है, दूसरे दिन किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तीसरे दिन चुनाव लड़ता है, चौथे दिन सांसद बन कर आता है। क्या कूलिंग पीरियड भी नहीं है? उन्होंने न्यापालिका में बैठकर क्या निर्णय दिया होगा? हमारे दूसरे न्यायाधीश राज्य सभा में हैं। पूर्व चीफ जस्टिस माननीय सांसद बन कर आए हैं। ये सब आगे चल कर हमें क्या मिलेगा, के लिए तड़पते रहते हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : आप पूरे सिस्टम को ... (<u>अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>) बता रहे हैं, ... (<u>अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।</u>) आप इसको हटा दीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सर, सिस्टम कर रही है।

माननीय सभापति : नहीं।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सर, आप सिस्टम की बात करते हैं, तो मैं ईडी की कार्रवाई के बारे में कहना चाहता हूं। ईडी ने कितनी कार्रवाई की है। ब्लैकमेल करके इन्होंने कितनी सरकार गिराई हैं। जैसे गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, अन्य राज्यों में क्या हुआ? अन्य बहुत सारे राज्यों में ईडी की सहायता से नहीं, ईडी ने जिनको-जिनको हिरासत में लिया आगे चल कर कोर्ट ने कहा, यह पता है? हमारे … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) साहब 100 दिन वहां थे। इसके बारे में क्या कहा? इस केस में दम नहीं है। केस ही नहीं है और 100 दिन जेल में, … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) का बेटा … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) 15-20 दिन जेल में, ईडी का क्या चल रहा है? संविधान का सम्मान – वाह, वाह।

सर, संविधान का सम्मान हो रहा है। मैं और दूसरा उदाहरण देता हूं कि ईडी कैसे काम करती है? उसके बाद हमारे लेबर्स हैं। आज हमारे लोग बेरोजगार हैं। कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। All PSUs have been destroyed. सभी सार्वजनिक उद्यमों को ध्वस्त कर दिया गया है। नौकरियां कहां हैं? अब सरकारी नौकरियां नहीं हैं और पीएसयूज भी नहीं रहीं तो आरक्षण कहां रहेगा? प्राइवेट सेक्टर में सभी कॉंट्रैक्टर्स, फिक्स्ड टर्म, दो वर्ष के लिए नौकरी लगेगी और ये आंकड़े देंगे कि रोजगार मिल गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सेचेंज को बर्बाद कर दिया। एम्प्लॉयमेंट एक्सेचेंज एक्ट आज भी है। उसको रिपील नहीं किया गया है। इनको नहीं पता, बस वह चल रहा है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। नौकरियां नहीं हैं, रोजगार नहीं है। अभी हमारे देश से कितने बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? वे पढ़ाई और जॉब्स के लिए वहां जा रहे हैं। आज सुबह से खास कर मिडल ईस्ट से जो विषय आ रहे हैं। थाइलैंड में जाने पर सीधा जेल में भेज देते हैं। उनको इतना डर लग रहा है। ये सब हो रहा है, पर वे क्यों वहां जा रहे हैं? It is because there is no permanent job in India. जॉब है भी तो अगर आप इंजीनियर हैं, तो कहा जाएगा कि 10 हजार रुपए में काम करो, तो उसकी शिक्षा का क्या होगा? सब अवमूल्यन हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। मैं और बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है।

मैं स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा आपके माध्यम से सरकार को भी कहना है कि सन्स ऑफ द सॉयल की ओर ध्यान दे। अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती हो रही है, अगर वहां की रेलवे में भर्तियां होने वाली है, वहां कोई कारखाना बनने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, वहां के जो भूमि पुत्र हैं, उन बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाए, बीस प्रतिशत। अगर टेक्निकल जॉब, इंजीनियरिंग के जॉब्स हैं, तो मैं उसे अलग समझता हूं। क्लास थ्री, क्लास फोर, पानी देने के लिए प्यून भी बाहर से आएंगे, इधर-उधर से आएंगे। क्या वे भी हमारे राज्य में नहीं मिलते हैं?

सर, हमारे महाराष्ट्र में अभी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन से भर्ती हुई है। वहां 1200 लोग भरे गए हैं, उनमें से तीन लोग महाराष्ट्र से हैं और कहेंगे कि लोग एग्जाम में नहीं बैठे। सब डाउटफुल है। मतलब, महाराष्ट्र में इसके लिए लिए किसी में क्षमता नहीं है। यह जो चल रहा है, उसके ऊपर भी आपको ध्याप देना पड़ेगा। कानून ऐसे बनाएं कि सब कानून बड़े अमीरों और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के लिए हैं। गरीबों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। नौकरी की सुरक्षा गई। सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स चल रहे हैं, फिक्स्ड टर्म लेबर्स चल रहे हैं। अभी आप सोचिए आप पक्का घर दे रहे हैं। माननीय गिरिराज जी आप ही बताइए। आप हमारे दोस्त हैं। सरकार से पक्का घर के लिए कितने पैसे मिलते हैं? …(व्यवधान)

वस्त्र मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) : डेढ़ लाख रुपए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : एक गरीब व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपए या ढाई लाख रुपए मिलते हैं। क्या डेढ़ लाख रुपए में घर बनता है, नहीं।...(व्यवधान) डेढ़ लाख रुपए या दो लाख रुपए में घर बनता है?

(1530/KN/SMN)

अभी वह कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। ... (व्यवधान) वह बैंक में जाए और कहे कि मुझे पक्का घर बनाना है, मेरे गांव में घर की कीमत, मैं मुम्बई शहर की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : माननीय सदस्य, आप इधर एड्रेस कीजिए। आप शहर के बारे में बात कीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : मैं गांव की बात करता हूं। उसके आठ-दस लाख रुपये लगने वाले हैं। उसे कौन कर्जा देगा? क्या करते हो, वह कहता है कि नौकरी करता हूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर हूं। क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कर्जा मिलेगा? ... (व्यवधान) कौन देता है, दे दीजिए।... (व्यवधान) कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कर्जा मिलता है? ... (व्यवधान) ये इंस्टीट्यूशंस ध्वस्त हो रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : उन्होंने जो शब्द न्यायपालिका, विधायिका प्रयोग किया, यह व्यवस्था है। ये व्यवस्था ध्वस्त कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने यह बात बता रहा हूं।

दूसरी बात है कि आगे चलकर इन्होंने नारी वंदना की बात की। इन्होंने मणिपुर की बात नहीं की। क्या नारी की वंदना हो रही है? 15 या 20 दिन हुए होंगे, एक आदिवासी महिला को जिंदा जलाया। महिला पर अत्याचार किया, फिर जिंदा जलाया। अगर वही राज्य कोई दूसरा होता तो क्या होता? क्या राष्ट्रपति का शासन नहीं लगता? वहां राष्ट्रपति का शासन लगता न। ... (व्यवधान) सर, आप मुझे दो मिनट दीजिए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे दो-तीन वाक्य बचे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सर, आज भी हमें दर्द नहीं होता कि महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। क्या यह संविधान का सम्मान, नारी की वंदना है? हमारे संविधान में महापालिका चुनाव के बारे में दिया हुआ है। महाराष्ट्र में चार वर्ष हो चुके हैं, वहां महापालिका के चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव नहीं हो रहे हैं। यह संविधान का सम्मान हो रहा है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं। ... (व्यवधान) मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि हम लोग स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व की बात करते हैं? मेरा एक वाक्य है, क्या अभी समता, बधुत्व है? ... (व्यवधान) क्या समता है? कटेंगे तो बटेंगे, यह आपका समता का विचार है, बंधुत्व का विचार है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि–

"सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं,
अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं।"

सभापति जी, मुझे यही कहना है। आपका धन्यवाद।

(इति)

1532 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you Mr. Chairman.

It is really gratifying to participate in this deliberation. Firstly, I am thankful to the decision that was taken in 2015 to observe Constitution Day. Some Members present here are of the previous Lok Sabha when during the deliberation on the Motion of Thanks to hon. President a suggestion was made that everybody is celebrating Constitution Day. The Supreme Court was celebrating Constitution day, Supreme Court Bar was celebrating Constitution Day, different High Courts of the country and their Bars were celebrating Constitution Day but the place where the Constitution was framed and adopted was not celebrating Constitution day.

That actually struck a chord with the Government of that time and hon. Prime Minister while inaugurating Baba Saheb Ambedkar's statute in Mumbai declared that Constitution day will be celebrated from this year, that is 2015, and that is how, Parliament has started celebrating Constitution day. And this year, all of us saw that a tribal lady, a person who was born in the Vananchal of Mayurbhanj district of Odisha walking down the aisles and accosted to the podium and she delivered a message relating to the Constitution. Who empowered her? It was the Constitution which empowered her.

It is not the *shakti* that was being discussed here. It was *Samarth* of this Constitution that gave to the citizen of this country.

(1535/SM/VB)

Similarly, I would say that I am reminded of the Chief Minister of Odisha. He is a tribal person, born also in another forest area of Keonjhar district. This Constitution empowered him to become the Chief Minister of a State like Odisha. We should celebrate that and this is the glorious moment of our celebration of this Constitution.

Sir, hon. President, in her speech, has mentioned many things but one thing has struck me much: "Our Constitution is a living and progressive document. Our farsighted Constitution makers have provided for a system of adopting new ideas according to the needs of the changing times." That is why this Constitution is a living document. It changes as we progress, we inculcate new ideas and frame it for our better being. So, in that respect, I would say that this very aspect needs to be cherished and it should continue.

I would only mention here that there are certain aspects which are very close to my heart. I have brought Private Members Bills a number of times as to why we should say India that is Bharat. Did some of the political leaders of this country not criticise when President of Bharat was there on the dinner table? Why did it embarrass you?

Bharat is our country's name. If one goes through all the five volumes – not necessarily all the five volumes if you do not have that much time – relating to the debates of the Constituent Assembly, it is mentioned there that In English it should be India and in other languages it should be Bharat. This type of thing was there. But India that is Bharat finally was there in the Constitution. Repeatedly when I go through the Constitution, this actually hurts me. Why should we have this English nomenclature? This unfinished agenda needs to be corrected.

A number of things have happened during these 75 years. Five years ago when we were celebrating the Constitution Day, many things were also said. During that period, one thing which comes to my mind is whether Babasaheb Ambedkar was representing Bengal or Babasaheb Ambedkar was representing Bombay Province. Both are correct. The then Member of this House, Professor Sugata Bose, son of Sarath Chandra Bose who was the elder brother of Netaji Subhash Chandra Bose, an eminent historian from Harvard University, was representing All India Trinamool Congress. He specifically mentioned that Dr. Ambedkar was representing Jessore and Khulna. At that time, it was a part of undivided India. That is the reason why I want to mention that from December, 1946 till June 1947, the Constituent Assembly had 389 members of undivided India. But from August, 1947 to January, 1950 it came down to 299 members including representatives from Princely States. The whole work was done in more than 2 years 11 months 17 days and if we add 24th January 1950, it becomes 18 days.

(1540/RP/PC)

I would like to say here that 284 members had signed the handwritten Constitution. That shows that by 24th January 1950, 15 members did not sign that Constitution, though they were the members of the Constituent Assembly. But, here we should remember two other people. Hon. President has mentioned how the Constitution was framed, the draft was made, and there

our present Law Minister informed me the other day – he is also aware about it – that T. T. Krishnamachari categorically thanked Babasaheb Ambedkar for single-handedly, with the help of one or two other Drafting Committee Members, drafed the full Constitution. There were seven members nominated by the Chairman, or by the President, as it was being called. One resigned, one went to the United States, and two of them did not come to Delhi because of other reasons. So, practically, it was left to Dr. Ambedkar to individually draft the full Constitution, and the credit was given to him in the Constituent Assembly by none other than T.T. Krishnamachari on the last day when it was being adopted. Why am I saying this? I am saying this because he did not move one resolution. A number of resolutions were moved by Dr. Ambedkar. It was discussed by the respective members present in that Assembly, in that hallowed hall of our Samvidhan Sadan of today. But, he did not move one resolution. The history goes back, and all of us should ponder why Babasaheb Ambedkar did not move that resolution. What was that resolution? That resolution was relating to Article 370. What was the assurance that was given? I will come to that aspect a little later.

As India celebrated its Independence on 15th August, 1947, it faced a daunting task of integrating over 565 princely states into the Union. While States like Hyderabad and Junagadh posed initial challenges; and Jammu and Kashmir emerged as a complex and critical issue. Maharaja Hari Singh, the ruler of Jammu and Kashmir, initially sought to maintain the State's independence, of course being prompted by the Britishers. However, in October 1947, invasion by Pakistan-backed tribals forced him to seek assistance from India. On October 26, 1947, Maharaja Hari Singh signed an Instrument of Accession, agreeing to cede – mark my words – only defence, foreign affairs, and communication, the rest were with the king. This was an idea which was floated by a section within our country, that if at all princely states will be amalgamated with the Union of India, it will be not full. Only these three, defence, foreign affairs, and communication, will be under the control of the Union of India. The rest will be enjoyed by the kings, or the rajas, or the maharajas. It means, law and order, the judiciary, everything will be controlled by them. What type of India would we have had? It would be a truncated India. That was in the mind of Churchill. That was in the minds of most of the colonial

powers; India can never be united. These two ideas were floating at that point of time, and thanks to Sardar Patel, who could see the design behind this. But, why was Jammu and Kashmir not given in his charge? It is because the then Prime Minister said: “That is my State. I am a Kashmiri Pandit. I should look after that. Sheikh Abdullah is my good friend. Whatever I tell him, he will agree.”

(1545/NKL/IND)

Did he agree? When you go through the letters of Shri Gopalaswami Ayyangar which he had written to Sardar Patel and Babasaheb Ambedkar, it clearly reveals what type of treacherous action was being enacted during that period. That is the most unfortunate part. And, we had to suffer more than 70 years. Because of God's grace and the blessings of Lord Jagannath, finally, our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi took that decision to abrogate Article 370. But before coming to that, I would just mention here that Dr. Ambedkar was fully opposed to this Section. He repeatedly said what subsequently, of course, all of us always say - एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं चल सकते हैं। And, it continued. This was the design of a section of our thinking public in the country and was also being told by the colonizers during that period.

These were the words of Dr. Ambedkar:

> “You wish India should protect your borders, she should build roads in your area, she should supply you food grains, and Kashmir should get equal status as India, but you don’t want India and any citizen of India to have any rights in Kashmir and Government of India should have only limited powers. To give consent to this proposal would be a treacherous thing against the interests of India, and I, as the Law Minister of India, will never do it.”

When we think about N. Gopalaswami Ayyangar, while going back a little bit to the history, one feels a little troubled as to why did he do it? To cut the story short I would say, Shri Gopalaswami Ayyangar was included in the Drafting Committee by Pandit Nehru. He was deputed by Pandit Nehru to go and meet Maharaja Hari Singh, to go to Srinagar and meet Sheikh Abdullah, and bring him to Delhi, somehow or other, to have an arrangement. Was it

necessary? When Sardar Patel can bring in Junagadh into the Union of India; bring in Hyderabad into the Union of India; bring in 26 Garjat States of Odisha into the Union of India, why was Shri Gopalaswami Ayyangar doing all this? It is because in 1930s, he was the Diwan of Maharaja Hari Singh, and a personal rapport had developed during that time. My father has written about all these aspects very succinctly in a book named, 'Beginning of the End'. The foreword has been written by Sardar Patel in that book. This was published in 1949, relating to how the different Princely States got amalgamated into our Union, and how it was started from Odisha. The first Princely State that came into the Union of India was Nilagiri state of Odisha. Subsequently, the other states came in. This happened on 14th of November, 1947. On 15th of November, the Maharajas of the rest of the 25 princely States put their signatures on the Instrument of Accession. And, this continued throughout, ultimately culminating in the Hyderabad amalgamation.

(1550/VR/GG)

But the story here is, when on 15th of December, 1947 the representatives of 25 Princely States were there, rajas and maharajas were there, one set was provided to them to put their signature. Out of 25, 20 rajas and maharajas said, 'we have not been told that we are conceding these three – Communication, Foreign Affairs and Defence. Why are you asking us to put a signature on it? By doing so, we will be acceding our full State to the Union of India. This was not agreed upon.' Then, Sardar Patel thumped the desk and said, 'if you want to do it, do it otherwise you can leave.' And, within an hour, everybody agreed.

Why could not this strong-arm practice be used in Kashmir? What was the soft corner for Shekh Abdullah? What was the soft corner for Kashmir? *....(Interruptions)* On 16th October, 1949, Sardar Patel had written a letter to Shri Gopalaswami Ayyangar. Sardar Patel was disappointed with the change in the language. The language was also changed just to accommodate. And, he expressed the anomaly that would creep in. Sardar Patel criticized Shekh Abdullah's repeated appeals. Whenever he was cornered, he used to say, 'I have a duty to my people.' He did not have a duty to the people of India. That is the tragedy.

During my 25-26 years in Parliament, many a time I have listened, 'my duty to my people.' But are you not committed to the people of this country, to this nation? The Constitution binds us all. I quote from Sardar Patel's letter, 'I find there are some substantial changes over the original draft, particularly in regard to the applicability of Fundamental Rights and Directive Principles of State policy. You can yourself realize the anomaly of the State becoming part of India, at the same time, not recognizing any of these provisions. In these circumstances any question of my approval does not arise.' These were the objections of Sardar Patel, the then Home Minister and the Deputy Prime Minister. Dr. Ambedkar said, I am not going to move it. Still, Gopalswami Ayyangar moved that draft.' And, it was adopted only for the insistence of the then Prime Minister.

There is saying in Urdu, and I quote – 'लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई'. One mistake of a moment, and generations after generation people suffered. This is a clear proof of that. *....(Interruptions)* At the spur of the moment or because of your infatuation or softness, whatever it is, you allowed this to happen. How many Armed personnels have been killed? What has happened to that? And, who corrected it? I fail to understand it.

Again, I am quoting it from the debates of the Constituent Assembly, 'It is the hope of everybody here that in due course, even Jammu and Kashmir will become ripe for the same sort of integration as has taken place in the case of other States.' This hope was realized only in 2019.

(1555/SAN/MY)

Sir, I would say that notably Article 370 was placed under Part XXI of the Constitution titled 'Temporary'. This was the only solace. This inclusion along with its title as 'Temporary Provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir' underscores its impermanence. It was on 5th August 2019 in the Monsoon Session, after the new Lok Sabha formed, that the removal of its temporary status happened as we were all expecting this to happen. But it had undergone a lot of footwork, a lot of paper-pushing and a lot of interactions. We should all remember the effort that Mr. Arun Jaitley had made at that time.

We are talking about the Constitution, and there is always a possibility. On 5th August 2019, nearly 70 years after the enactment of Article 370, the Central Government decided under the leadership of Prime Minister Narendra Modi to revoke the special status granted to Jammu and Kashmir and the Bill was piloted on that day by no other than the Home Minister, Amit Shah ji. Some of us

participated in that debate. The forthrightness with which the Government at that point in time said that Article 370 had to go, was the voice of the nation. There were some murmurs somewhere. Even today, we hear some murmurs. But they did not have the courage to say it publicly. Even during the last Assembly elections, there were some things said under a garb. I believe that the mistake that was committed in 1949 has been corrected. That is the reason why I mentioned about the hon. President's speech as to how we can correct ourselves according to the tune of time.

Sir, I would like to mention here the last point. Of course, political institutions and structures not only reflect the society, they also influence and change it. In this context, the Parliament of India plays a direct and conditioning role in bringing about social change and effecting socio-economic transformation. Being the people's supreme representative institution, Parliament is the lifeline of all governmental activities.

During last ten years and some months, it is under the leadership of our Prime Minister that a common person in a village also feels that he is a part of the system, his account is operated, he gets benefit and he also has a say. Did this happen ten years ago? It was not happening. Technology has helped us, and utilising that technology to reach the common people is something which we should glorify.

In the end, I would like to mention that the country that we see today in a map was never under one rule and one law at any point of time of our holy past. We had Chandragupta Maurya, Ashoka the Great and also Badshah Akbar ruling a large chunk of this country, but many a time, the North-East was not a part of it and the South Deccan was not a part of it. Even the whole of India was not part of the British Empire. Many a time, this question is also asked: Who is keeping our borders safe? There is no doubt that the Armed Forces are doing it. We sit either on this side or that side. But who is keeping the people together? It is the Constitution that is keeping us together for last 75 years. It is the one law – our Constitution. At no point of time, one law was prevalent from Kashmir to Kanyakumari. It is the one law that is prevalent today and that law is our Constitution. And, we take pledge on this Constitution.

Thank you, Sir, for allowing me to speak.

(ends)

(1600/CP/SNT)

1600 बजे

श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा (गुरदासपुर) : सभापति जी, आपने मुझे संविधान की गौरवशाली यात्रा की चर्चा पर बोलने का टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं सुबह से सुन रहा हूं, सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छा भाषण किया। मैं इसमें एक बात मिसिंग देख रहा था कि पंजाब ने हिंदुस्तान की आजादी में जो काम किया, उसके बारे में किसी ने भी नाम नहीं लिया। मेरे को याद है कि सबसे पहले महाराजा रंजीत सिंह महाराजा बने।

1601 बजे (कुमारी सैलजा पीठासीन हुईं)

एक स्टेट थी, जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया, उस राजा के साथ संधि की। जिस जेएंडके की बात आप कर रहे हैं, उस जेएंडके के ऊपर सबसे पहले सरदार महाराजा रंजीत सिंह ने कब्जा किया और अफगानियों का रास्ता बंद किया, जहां से वे हिंदुस्तान के ऊपर राज करते थे और हमला करते थे। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। आज तक जिसके ऊपर कोई झंडा नहीं चढ़ा सका, वहां हरि सिंह नलवा ने 40 सालों तक सिखराज का झंडा गाड़ कर रखा।

मैं एक-दो बातें यहां पर कहना चाहता हूं। हम आजादी की बात करते हैं। आजादी में सबसे ज्यादा किसी का रोल है तो वह पंजाबियों का है। … (व्यवधान) 121 आदमियों को फांसी हुई, उनमें से 90 पंजाबी हैं और जो जेलों में गए, उनमें 80 पर्सेंट पंजाब का शेयर है। … (व्यवधान) अंडमान निकोबार, जिसको काला पानी बोलते हैं, वहां सबसे पहले पंजाब के बाबा सोहन सिंह भकना, जो कोमागाटा मारू से चले थे, वे सबसे पहले वर्ष 1914 में वहां गए थे। उनको 6 साल तसीहे दिए गए। सभापति जी, आप पंजाब की बात समझती हैं। 6 साल के बाद वहां उनकी शहादत हो गई। काला पानी की पहली शहादत बाबा सोहन सिंह भकना की थी।

ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। जिन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, वे सेक्युलर थे। जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको यह मालूम नहीं था कि हमारा देश आजाद होगा। वे फांसी के फंदों पर चढ़े और काला पानी जैसी जगह पर गए। जब वहां जेल नहीं बनी थी, तब वहां तसीहे देने के लिए चार बाई आठ का पिंजरा हुआ करता था। देशभक्तों को उसमें बंद कर दिया जाता था। वे न उसमें खड़े हो सकते थे और न बैठ सकते थे। वहां उनकी शहादत हो जाती थी। जो सेलुलर जेल है, वह जेल नहीं अंग्रेजों का तसीहागार था। कामागाटू मारू जहाज चला, उसी जहाज में शहीद सरदार ऊधम सिंह थे। उन्होंने वहां से निकलकर जलियांवाला बाग का बदला अंग्रेजों से लिया। हम उनको याद तो करते हैं। कहां हैं वे हमारे शहीदी, कहां हैं सरदार भगत सिंह? ज्ञानी जैल सिंह जब 1972 में चीफ मिनिसटर बने, उन्होंने सबसे उनकी माता को कहा कि तू भगत सिंह की माता नहीं, पूरे पंजाब की माता है और उनको पंजाब माता का खिताब दिया गया।…(व्यवधान)

(1605/NK/AK)

यह पूरे देश की बात है, उन्होंने कहा कि तू पंजाब की माता है, आपने बात की कि जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ, उसने पूरे हिन्दुस्तान को हिला कर रख दिया, कैसे शहादत दिया, गली में गोलियां चलाकर कितने लोगों को शहीद कर दिया। जलियांवाला बाग के बाद गदर पार्टी बनी, गदर पार्टी ने अंग्रेजों का मुंह मोड़ दिया। करतार सिंह सराभा, शहीद उद्यम सिंह, मदन लाल ढ़िंगरा और सरदार भगत सिंह को हिन्दुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड याद करता है। एक आदमी जो शहीद हुआ, सरदार भगत सिंह 23 साल में शहीद हुए, आज भी उसे नौजवान शहीद कहते हैं। हमें गर्व है कि उसने अंग्रजों की हुक्म नहीं मानी। आप पंजाब के किसी भी जिले में चले जाएं, उनका फोटो देखते हैं तो फर्क होता है। इन लोगों की वजह से आज हम हिन्दुस्तान में आजादी की सांस ले रहे हैं और आनंद मना रहे हैं।

वर्ष 1921 सबसे पहले ननकाना साहब का मोर्चा लगा। वहां मेरे गांव के शहीद हुए सरदार लक्ष्मण सिंह धरोवारी 122 आदमियों को जिंदा जला दिया गया, मेरे गांव के उस बुजुर्ग को भी पेड़ के साथ बांध कर जिंदा जला दिया। उसके बाद आजादी की लौ और प्रचंड हुई, जब जैतो का मोर्चा लगा तो वहां पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस गुरूद्वारे पर पंजाबियों की तरफ से गिरफ्तारी दी और वहां जेल में रहें। उसके बाद गुरू का बाग मोर्चा लगा, उसे चाबियों का मोर्चा कहते हैं तो महात्मा गांधी ने टेलीग्राम किया और मोर्चा को लोगों ने वापस लिया। महात्मा गांधी का टेलीग्राम सिख लीडरों के पास गई और महात्मा गांधी ने कहा कि आधी लड़ाई हमने जीत ली है। संविधान में सेक्युलर स्टेट के बारे में लिखा कि हम सेक्युलर स्टेट हैं, कोई अपने स्टेट का नारा लगाता है, यहां देश का नारा लगाना चाहिए। देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। फिर कोई हमारी तरफ नहीं देख सकता है।

मैं बार्डर का रहने वाला हूं, मेरा अपना गांव सेंकड डिफेंस लाइन पर है। हम पांच किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान से हैं। आप कहते हैं कि घुंस कर मारेंगे, उनके ड्रोन घुस कर नाजायज असलहा, ड्रग्स लाते हैं। उसके बारे में सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान पंजाब के द्वारा प्रोक्सी वार लड़ रहा है, हमारा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है कि दुश्मन को कैसे जवाब देना है। कोई कहता है कि क्या हो गया, कोई कहता है ऐसे हो गया।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 1947 में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ तो पंजाब का हुआ। पाकिस्तान से कटी हुई ट्रेन आती थी, डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन है, वह खून से भरा हुआ था। वहां एक नहीं पांच ट्रेनें पहुंची, अगर बारिश और तूफान नहीं आता तो बीमारियां फैल जातीं, सभी डेडबॉडी रावी दरिया में बह कर चली गईं।

उसके बाद 1965 आया, वहां फिर से हिन्दुस्तान ने जीत प्राप्त की। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया 'जय जवान, जय किसान' आज जवान भी खत्म हो गया, किसान को भी हमने खत्म कर दिया। वर्ष 1971 में वार हुई, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान की हिन्दुस्तान से लड़ाई करने की जुर्रत नहीं हुई। हमें कहते हैं कि इतने सालों में क्या किया? जब हिन्दुस्तान में अनाज नहीं था, पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार प्रताप सिंह कैरो ने वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज दी, भांखड़ा डैम दिया। पंजाब के लोगों ने देश के अनाज भंडार भर दिए।

आज पंजाब के किसानों की हालत क्या है? हम उनको देशद्रोही समझ रहे हैं, वे बार्डर पर बैठे हैं, उनको देश की राजधानी में नहीं आने दिया जा रहा है।

(1610/SK/UB)

*Sardar Bhagat Singh's uncle had given the slogan at that time – 'Take care of your turbans O Jats. Time for action has come. We were victorious during this agitation. We brought the British Government to their knees. But today, our farmers are protesting and they are not being allowed to come to Delhi.

नुकसान हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, जमीन खराब हो रही है। … (व्यवधान) हमें क्या मिला?

वर्ष 1872 में नॉन-कोऑपरेशन मूवमेंट नामधारी बाबा सतगुरु राम सिंह जी ने शुरू किया था।… (व्यवधान) आप सबको पता है कि मलेरकोटला में जो पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, जिसे अंग्रेजों ने तोपों के साथ उड़ा दिया। 13 साल का लड़का तोप की रेंज में नहीं आ रहा था, उसने ईंटें लगाईं और कहा कि अब मैं रेंज में आ रहा हूं, मुझे गोली मारो, उसकी भी शहादत हो गई।

अंत में, मैं गुरु नानक साहब का श्लोक कहकर अपनी बात खत्म करूंगा।

'आसा महला -1'

खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान
एती मार पई करलाणे तैं कि दर्द न आया।

बाबर ने हमला किया था, देश पर अत्याचार किया था तब गुरु जी ने कहा था कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, हिन्दुस्तान के लोगों को इतना मारा है क्या दर्द नहीं आ रहा है? मैं कहता हूं कि मोदी साहब, किसानों के साथ इतना गलत हो रहा है, इसे बंद करिए, उनको देशद्रोही मत समझिए, वे देश के अन्नदाता हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। (इति)

माननीय सभापति (कुमारी सैलजा): निशिकांत जी, प्वाइंट ऑफ आर्डर है तो रूल नंबर बताएं।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : नियम 115(1) है, इसमें माननीय स्पीकर की डायरेक्शन है। यहां संविधान पर चर्चा हो रही है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है, धन्यवाद।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपने जो प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया है इसे स्पीकर साहब देख लेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अमोल कोल्हे जी।

… (व्यवधान)

*Original in Punjabi

1613 बजे

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे (शिरूर) : माननीय सभापति जी, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज मैं एक ऐसे दस्तावेज पर अपनी बात रख रहा हूं जो हमारे लोकतंत्र की प्रेरणा है और हर भारतीय के जीवन का मार्गदर्शक तत्व है।

जब हमें आजादी मिली तब कई देशों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन गर्व की बात है कि भिन्नताएं होने के बावजूद आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में लगातार प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और इसका प्रमुख कारण संविधान है जो हमें व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि राष्ट्र समर्पण की सीख देता है।

मैं महाराष्ट्र की भूमि से आता हूं जहां 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदर्श राज्य प्रस्थापित किया था।

(1615/KDS/SRG)

छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज से ज्यादा वैभवशाली, ज्यादा बड़े कई साम्राज्यों का निर्माण हुआ और वे हस्तगत भी हुए, लेकिन आज भी साढ़े तीन सौ साल बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का नाम लिया, तो हमारा भी सीना 56 इंच होता है। इसका कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को मिला नैतिक अधिष्ठान। वही प्रेरणा संविधान में भी प्रतीत होती है। सत्ता, बंधुता और स्वतंत्रता के नैतिक अधिष्ठान पर मानव का उत्थान और मानवता कल्याण, इसीलिए संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले हर उस व्यक्ति के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं और आदरपूर्वक नमन करता हूं।

महोदय, हम अमृतकाल की बात करते हैं, तो जब अमृत की बात होती है, तो हलाहल की बात क्यों नहीं होती है। जब हलाहल की बात निकले, तो मंथन होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इस मंथन में पुराने जख्मों को कुरेदने से अच्छा है कि वर्तमान का परीक्षण करें और भविष्य का अवलोकन करें। संविधान ने संसद को संवैधानिक व्यवस्था में प्रमुख स्थान दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कई बार हम संसद को राजनैतिक अखाड़े में बदला हुआ अनुभव करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणियां और नारेबाजी के कारण कई बार संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ती है। किसी नेता का किसी पूंजीपति से क्या संबंध है, कौन नेता किसकी फ्लाइट में कहां गया या किस विदेशी नेता ने किस नेता को डोनेशन दिया, इन बातों से हमें लगता है कि यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हमारे देश के किसान की, नौजवान की, आम आदमी की आवाज यहां उठाई जाती है या नहीं। उसकी समस्या का यहां समाधान होता है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, हम बेसिक मुद्दों पर चर्चा और बहस चाहते हैं न कि राजनीतिक नारेबाजी। चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष, दोनों को यह ध्यान में रखना चाहिए। संविधान ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की। जब आर्थिक न्याय की बात हो, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सही मायने में देश की सबसे बड़ी आबादी यानी किसानों को आर्थिक न्याय प्रदान कर सके हैं? उनकी मेहनत, उनकी फसल का क्या उन्हें सही दाम मिल पा रहा है? चाहे सोयाबीन हो, प्याज हो, दूध हो या कपास हो, किसी भी किसान से यदि हम पूछें कि आज की स्थिति में वह खेती आउट ऑफ च्वाइस कर रहा है या आउट ऑफ कंपल्शन कर रहा है? यह तो मानना पड़ेगा और हर किसान को यह कहना पड़ेगा कि आउट ऑफ कंपल्शन उसे खेती करनी पड़ रही है, क्योंकि उसके पास रोजगार का दूसरा कोई चारा, कोई जरिया नहीं है। सरकार किसान सम्मान जैसी योजना तो लाती है, लेकिन किसान का असली सम्मान तभी होगा, जब उसकी फसल को सही दाम मिलेगा। किसानों के हित में देश की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज

बनाई जाएंगी। जो आर्थिक न्याय की बात किसानों पर लागू होती है, वही बात देश के नौजवानों पर भी लागू होती है। संविधान में गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है, लेकिन हर इंटरव्यू की लाइन में खड़े नौजवान युवकों की भीड़ देखें या प्यून की नौकरी के लिए पीएचडी के छात्र कतार में देखें, तो हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या देश के भविष्य को हम गरिमापूर्ण जीवन दे रहे हैं? क्या हम उनकी शिक्षा के अनुसार आर्थिक न्याय दे पा रहे हैं?

महोदया, जब सरकार कहती है कि वह 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन देती है, तो इसके अभिनन्दन के साथ ही हमें अंतर्मुख होकर यह भी विचार करना होगा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी अगर 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन देना पड़े, तो क्या यह उपलब्धि है या विफलता? जनता मुफ्त का राशन नहीं, बल्कि हक का रोजगार मांग रही है और मुफ्त के राशन से गरिमा नहीं बढ़ती, बल्कि हक की सम्मानजनक कमाई से बढ़ती है। सामाजिक न्याय की जब बात आती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा धार्मिक ग्रंथ, चाहे जो भी हो, वह गीता हो, बाइबिल हो, कुरान शरीफ हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, उसे हमें दिल में रखना जरूर है, लेकिन दिमाग में सबसे पवित्र राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान को रखना होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई, कोई भी हो, वह दहलीज के अंदर है, लेकिन दहलीज के बाहर कदम रखते ही उसे सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनना होगा। तभी तो संविधान की धर्मनिरपेक्षता के तत्व का सम्मान होगा। किसी मस्जिद के नीचे क्या है या मंदिर के पीछे क्या है, इस चर्चा में जाने वाले न्याय पालिका, मीडिया तथा सरकार का वक्त अगर राष्ट्र निर्माण और देशवासियों की प्राथमिकता के लिए सदुपयोग में लाया जाएगा, तो इसमें देश का हित होगा।

महोदया, हमारा संविधान हमें असहमति की भी अनुमति देता है, लेकिन वर्तमान में कुछ तत्व सरकार से असहमति रखने वालों को देशद्रोही करार देने लगते हैं। क्या यह असहमति के तत्व का सम्मान है? देश को आजाद कराने वाले सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों के बीच भी आजादी के मार्ग को लेकर असहमति जरूर थी, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था-देश की आजादी।

(1620/MK/RCP)

इसी प्रकार आजाद भारत में भी असहमति का मकसद एक ही होना चाहिए और वह है देशहित। डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारे जीवन का सारथी है। लेकिन, आज हमारी शिक्षा प्रणाली में नागरिक शास्त्र का अध्ययन महज 20 मार्क्स के लिए होता है। प्राथमिक शिक्षा के बाद जैसे आम नागरिक का नागरिक शास्त्र से हाथ ही छूट जाता है। आज हम देख रहे हैं कि शहरी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शहरों में वोटिंग परसेंटेज लगतार घटता जा रहा है। कई मतदाताओं को यह पता तक नहीं होता कि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं का काम क्या है, विधान सभा का काम क्या है और संसद का काम क्या है। यह भी वास्तविकता है कि कई बार मतदान जाति के आधार पर होता है या धर्म के आधार पर होता है। इस स्थिति से उबरने के लिए हमें नींव मजबूत करनी होगी। यह न सिर्फ स्कूलों में नहीं बल्कि कॉलेजों, कॉरपोरेट और कंपनियों में संविधान के प्रति सजगता के लिए हमें ठोस कार्यक्रम के बारे में सोचना होगा।

महोदया, अंत में मैं राजनीतिक न्याय की बात करूंगा। हमारे संविधान ने 'एक व्यक्ति, एक वोट' को अंगीकार किया है। यह संविधान की खूबसूरती है कि देश के झुग्गी-झोपड़ी में बसने वाले एक सामान्य देशवासी को भी एक मत का अधिकार है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी एक ही मत का अधिकार है। इसलिए, मैं मानता हूं कि हमारा वोट सिर्फ संविधान द्वारा दिया गया एक अधिकार ही नहीं है

बल्कि हमारे लिए एक बेशकीमती उपहार भी है। अगर हमारी कोई बेशकीमती चीज खो जाती है या चोरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं। अगर दारोगा कहे कि चोरी हुई ही नहीं तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम अपने आप से तहकीकात करने की कोशिश करते हैं।

महोदया, महाराष्ट्र के विधान सभा चुनाव में कई मतदाताओं को आशंका है कि या तो उनका दिया हुआ वोट खो गया या फिर चोरी हो गया। … (व्यवधान) लेकिन, दारोगा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह तो लोगों का कहना है। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के मार्कडवाडी के लोगों ने बैलेट पेपर पर यह जानने की कोशिश की उनका मत गया कहां, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। … (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : आप यहां कैसे आ गए?

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे (शिरूर) : सर, मैं यह डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं ईवीएम से आया हूं। लेकिन, जिन मतदाताओं की आशंका है, उन मतदाताओं की बात को यहां रखना, मैं समझता हूं कि मेरा कर्तव्य है। … (व्यवधान) न उन्होंने इलेक्शन पर अविश्वास दिखाया था और न उनको फैसले पर कोई आपत्ति थी, क्योंकि वहां पर उम्मीदवार जीतकर आया है। फिर भी लोग जानना चाहते हैं कि वोट कहां गया। वह खो गया या चोरी हो गया? उन्हें यह करने से मना करना, क्या यह राजनीतिक अधिकार है? … (व्यवधान)

महोदया, लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की बहुत अहम प्रक्रिया है। महाराष्ट्र में विधान सभा चुनाव के बाद, जैसा मैंने कहा कि मैं ईवीएम से चुनकर आया हूं, लेकिन मतदाताओं में एक भ्रम है, एक असमंजस है और कई आशंकाएं हैं। लोक सभा चुनाव के बाद महज छ: महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं। इलेक्शन कमीशन बार-बार मांग करने के बाद भी वह सूची विपक्ष को नहीं सौंप रही है। उसी के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स थी, 5 परसेंट वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट और वैलेट यूनिट का वैरिफिकेशन होना था, वह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद अचानक इलेक्शन कमीशन ने नई एसओपी जारी की है, जिसमें वह वैरिफकेशन नहीं होगा बल्कि पूरी मेमोरी बर्न करके सिर्फ मॉक पोल कराया जाएगा। इससे असमंजस और भी बढ़ जाता है। … (व्यवधान) हमारी मराठी में एक कहावत है – 'कर नाही त्याला डर कशाला', यदि कुछ किया ही नहीं तो डरते क्यों हो, 'हाथ कंगन को आरसी क्या'। इसीलिए, यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है?

महोदय, यह सत्तापक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत रहने के लिए जनता का चुनावी प्रकिया पर विश्वास कायम रहना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग का गठन ही फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए हुआ है। इसलिए, आपके माध्यम से मेरी दरख्वास्त है कि 5 परसेंट ईवीएम में मॉक पोल की वोट वैरिफिकेशन कराई जाए। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम का लॉग डाटा उम्मीदवारों को दिया जाए।

महोदया, यह तो मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए हमेशा जागरूक रहता है। लेकिन, जैसे रेस्टोरेंट में हमारे पास विकल्प होता है कि हमें नॉनवेज खाना है या वेज खाना है तो मतदाताओं के पास यह विकल्प क्यों नहीं है कि उन्हें मतदान बैलेट पेपर से करना है या ईवीएम से करना है।

(1625/SJN/PS)

जिसका बैलेट पेपर पर विश्वास हो, वह बैलेट पेपर से मतदान करे, जिसका ईवीएम पर विश्वास हो, वह ईवीएम पर मतदान करे। यह एक अवसर है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास एक अवसर है कि

अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था बने कि पूरे देश के मतदाताओं को पता चला कि उनका वोट कहां गया है, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा।

सभापति महोदया, मैं अंत में इतना ही कहूंगा, अगर राष्ट्र प्रथम के साथ स्वतंत्रता प्रथम, समानता प्रथम, बंधुता प्रथम और धर्मनिर्पेक्षता प्रथम हमारे जीवन में अंगीकार हो, तो वर्तमान में संविधान का सम्मान और बढ़ेगा और भविष्य में हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य विश्व की महाशक्ति बनकर उभरेगा। इसीलिए -

"छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नई कहानी,
हम हिन्दुस्तानी, हम हिन्दुस्तानी"।

(इति)

माननीय सभापति (कुमारी सैलजा) : डॉ. निशिकान्त दुबे जी।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, संविधान पर चर्चा हो रही है और संविधान की हत्या हो, यह संभव नहीं है। हम लोग यहां चुपचाप बैठने नहीं आए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के वक्ता ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कही है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसमें जो लोग मारे गए थे, पूरे देश की उनके प्रति सहानुभूति है।

माननीय सभापति : आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर क्या है?

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, लोक सभा अध्यक्ष का निदेश 115(1) है। यदि उन्होंने गलत कहा है, जलियांवाला बाग ट्रस्ट का चेयरमैन....(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से दे दीजिएगा।

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : लिखित रूप से नहीं, कांग्रेस हमेशा रही है, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। यदि जलियांवाला बाग में कुछ नहीं हुआ है, तो कांग्रेस दोषी है।...(व्यवधान) आप अपने दोष को सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्रीमती शांभवी जी।

मैंने शांभवी जी का नाम लिया है। शांभवी जी, आप बोलिए।

निशिकान्त जी, आप लिखित रूप से दे दीजिए।

... (व्यवधान)

1627 बजे

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इतने गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। इस मौके पर मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूं कि 'भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा' में बहुत कद्दावर और सीनियर नेता बोल रहे हैं, लेकिन पहली बार जीतकर आई एक महिला युवा सांसद को संविधान पर चर्चा करने का मौका दिया गया है, इसके लिए मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की आभारी हूं।

इस सदन में सबसे युवा सांसद होने के नाते मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैंने इस सदन में उस वर्ष शपथ ली है, जिस वर्ष संविधान अपने 75वें वर्ष का उत्सव मना रहा है। मैं सोशियोलॉजी की छात्रा रही हूं। कॉलेज में संविधान को एकेडमिकली और थियोरेटिकली पढ़ने का मौका मिला है। जब मैंने 24 जून को इस सदन में शपथ ली थी, तो संविधान को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर, उससे प्रेरणा लेकर अपने कार्यों में भी संविधान को ढालने का मौका मिला है।

महात्मा गांधी जी ने भारत के संविधान के विषय में सन् 1931 में कहा था कि -

"I shall strive for a Constitution, which will release India from thralldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice; an India in which there is no high class and low class of people; an India in which all communities shall live in perfect harmony. This is the India of my dreams for which I shall struggle."

जब मैंने इस सदन में शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया था कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। विपक्ष के जो लोग हैं, जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिलाकर बार-बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी के कार्यकाल में फॉरेन डॉयरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) बढ़ा है, वहीं इतने ही वर्षों में कांग्रेस पार्टी का एसडीआई जरूर बढ़ गया है। अब उसमें 'एस' क्या है, अगर उसका नाम लूंगी, तो हल्ला-हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइए।

यह वही बात हो गई, हिन्दी का एक मुहावरा है – 'मुंह में राम, बगल में छूरी'। विपक्ष पर यह भी सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकता है, पर छूरी

लेकर बार-बार संविधान की हत्या जरूर करने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, बल्कि संविधान नेता के दिल में होना चाहिए।
(1630/SPS/SMN)

मैं एक उदाहरण देती हूं। वर्ष 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट बोर्ड के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की गई थी। इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीर हरण हुआ था, वह हम सब ने देखा था। हम बिहार की बेटी हैं। बिहार के पुत्र जयप्रकाश नारायण जी थे, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी – "सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।" उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। आज जब हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहे हैं तो हम संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की सीख को इस संविधान के निर्माण में लगा दिया, लेकिन कांग्रेस उनका अपमान करने से कभी नहीं चूकी। जिस सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की संविधान पर चर्चा हुई ,संविधान लिखा गया, इन्होंने उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब के चित्र तक को लगने नहीं दिया। इनके कार्यकाल के दो प्रधान मंत्रियों ने खुद भारत रत्न लिया, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया।

मैं उन सभी संविधान सभा के सदस्यों को नमन करती हूं, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 17 दिन में इस संविधान को आकार दिया। इस देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद जी ने मिलकर इस संविधान के निर्माण में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं कहना चाहती हूं कि संविधान सिर्फ आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है, यह एक ग्रंथ है, यह आम आदमी का भरोसा है, यह आम आदमी की आस है। यह इस देश के नागरिक को यह महसूस कराता है कि वह स्वतंत्र है, सशक्त है और सुरक्षित भी है। इस संविधान की ताकत ही है कि आज एक 25 साल की युवा महिला सांसद इस सदन में महिलाओं की आवाज बनी है। यह संविधान की ताकत है कि इस देश के सबसे उच्च पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला विराजमान है। यह इस संविधान की ताकत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार के सदस्य हैं और संविधान ही की ताकत है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति, जो पिछड़े वर्ग से आते थे, वह बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने।

मैडम, जब बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि विपक्षी दल का एक शासन आया था, जब बिहार में जंगल राज आ गया था। उस जंगल राज में हर वह कार्य हुआ, जो संविधान का उल्लंघन था, संविधान के निर्माताओं के विचारों का उल्लंघन था। बिहार उस समय दंगों और अपहरण का गढ़ बन गया था। हम अपने यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करेंगे, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज संविधान के

उसूल बिहार में कायम हैं। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के तीन प्रधान मंत्रियों का वाक्य मैं इस सदन में पेश करना चाहूंगी। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था। I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा, नीरज चौधरी जी कि एक किताब थी - *How Prime Ministers Decide*. उसमें इंदिरा गांधी जी ने अपने उस समय के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी से कहा था कि एक ऐसा एटीआर तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यह उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कहा था। … (व्यवधान)

तीसरा, राजीव गांधी जी ने मार्च, 1985 में एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता से कहा था कि no promotion of idiots in the name of reservation and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country.

(1635/MM/SM)

यह इनके तीन प्रधान मंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकेण्ड ग्रेड सिटिजन आते हैं। … (व्यवधान) आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूं। जवाहर लाल नेहरू जी के कार्यकाल में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 साम्प्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 साम्प्रदायिक दंगे हुए। यह कैसी सेक्युलरिज्म की परिभाषा है, हमें तो समझ में नहीं आता है। … (व्यवधान) एक और बात कहेंगे और आपको एक कहानी सुनाएंगे कि वर्ष 1984 में जब सिख दंगे हो रहे थे … (व्यवधान) तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे। एक पनाह मांगने गए थे और उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था और वह दलित नेता कोई और नहीं, हमारी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को वर्ष 1984 में जला दिया गया था … (व्यवधान) आप संविधान की बात करते हैं, सेंटर-स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो मैं बताना चाहती हूं कि इंदिरा जी के कार्यकाल में 11 साल में 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक महिला, एक युवा और एक दलित सांसद होने के नाते हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है, जिसने संविधान के उसूल को अटल रखा है। हमारी सरकार ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है। पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया। पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। इनके पास महिला प्रधान मंत्री थी, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33 प्रतिशत आरक्षण देकर के महिलाओं की आवाज को मजबूती दी है तो वह हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दी है। … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दम दम) : आरएसएस का संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं है। … (व्यवधान)

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : एनडीए की सरकार बिहार में हमारे प्रधान मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में संविधान के सभी प्रावधानों को मजबूती से वापस लाए हैं … (व्यवधान) और यही प्रयास करते हैं कि संविधान को अपनी प्रेरणा मानकर योजनाएं बनाएं जो हर उस नागरिक तक पहुंचे जो जरूरतमंद है। … (व्यवधान)

अंत में, मैं चार पंक्ति पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं-

हर रंग को खुद में समेटकर जो बेखौफ खड़ा है
जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है।
नैतिक, निष्पक्ष, समावेशी संविधान ही है वो
जो 75 वर्षों बाद भी सहज खड़ा है।

(इति)

माननीय सभापति (कुमारी सैलजा) : श्री के.सुब्बारायण।

… (<u>व्यवधान</u>)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव): मैडम, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है।

माननीय सभापति : आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री भूपेन्द्र यादव : मैडम, जब कोई माननीय सदस्य बोले और जब किसी सदस्य की मैडन स्पीच है, एक नौजवान माननीय सदस्या पढ़कर आयी हैं, उसके बीच में सौगत राय जी बोलें, यह शोभा नहीं देता है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्या ने जो भी बोला है, वह सब रिकॉर्ड में गया है। आप चिंता मत कीजिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री भूपेन्द्र यादव : इनको शर्म आनी चाहिए। … (व्यवधान) क्या यह कोई तरीका है? … (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है कि किसी की मैडन स्पीच के बीच में बोला जाए। … (व्यवधान) इसको कंडैम करना चाहिए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mantri ji, everything is on record. आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : उनकी बात रिकॉर्ड में आ गयी है। आप बैठ जाइए।

श्री के. सुब्बारायण जी।

(1640-1645/RP/YSH)

1640 hours

*SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): Hon. Madam Chairperson, Vanakkam. This discussion is aimed to be on the 75 years of the glorious journey of Constitution of India and the experiences we have with our Constitution. But I should say with pain that this discussion is being made futile due to some reasons. It is a matter of great concern that this discussion is being used to say something ill by defaming Pandit Jawaharlal Nehru who has been instrumental in creating a better image for India in the world. During the freedom struggle our former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was in jail for almost 10 years and 6 months. Whoever is trying to talk ill of Pandit Nehru should not do so.

I wish to state that, due to political reasons, you should not state such criticisms about Pandit Nehru. On 25-26 November, 1949, after delivering his concluding remarks in the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar gave some warnings. Hon Union Minister of Defence also mentioned about this in his Address at the beginning of today's discussion. But I want to say about another warning which Dr. Ambedkar gave on this occasion. Dr. Ambedkar said that it is not known whether Indians will keep religion above nation or nation above religion. But if they consider and keep religion above nation then they will get themselves struck in a destructive path. This was the caution given by him. But in the present scenario, you are trying to make a mockery out of this. This is not good for the nation. This will prove to be a wrong guidance to our future generation.

Here several Hon MPs spoke about RSS. RSS did not accept when our Constitution was adopted. They did not accept the National Flag. Those who learnt lessons from RSS, will remain in the same ideology. This is what the present situation explains to us. But I want to say that this situation is very wrong. It has been clearly indicated in the Preamble of the Constitution. Even our *…(Not recorded)* did not utter the words "Socialism and Secularism' in her Constitution Day Speech. They are reluctant to even use the word 'Socialism'. I don't know why? Are they not willing to include the word 'Socialism' in the Preamble? Why

* Original in Tamil

did not they accept equality? We are able to accept … *(Not recorded)* but we are unable to accept equality. We need to discuss about this. Whether we have achieved economic freedom? No we have not achieved it. We talk about so many things. Why did you reduce the corporate tax from 30 per cent to 22 per cent? Who will be benefitted? It is to increase the wealth of … *(Not recorded)* If that is so, how can we bring about equality in our society? Those who are in power for the last 10 years have to reply in this regard. The farmers are holding agitations. Has the WTO instructed the Government not to provide remunerative and fair price to the farm produce grown by farmers? Is it true or not? Has the WTO got this right? What happened to our sovereignty? They should answer whether India is a sovereign country or not. Similarly, the natural resources are being given to foreign companies and corporate companies. Who is prominently engaged in the natural gas exploration work in the Krishna and Godavari River basin? Natural resources are with either with the corporates or with the FDI.

They spoke several things here. A tribal woman has been made our hon. President. It is so good to hear. But many people living in 680 villages of the Dhandakaranya forest have been forcefully displaced. They are all tribal people. When will these thousands of tribal people get their freedom? When will they come back to their original habitation? It is not known. Who is responsible for this? This Government is responsible for their displacement. No use in simply talking like this. Political freedom has not yet been achieved by us totally. If we want to achieve economic freedom and social freedom, we need to bring in several amendments keeping in mind the constitutional experience. They talked about Kashmir here. They want to defame Pandit Nehru by linking Kashmir issue with him. Not only have you, even if your teacher … *(Not recorded)* who taught you comes here, Pandit Nehru's glory cannot be defamed. Pandit Nehru remains to be a great son of this soil.

I conclude by saying that in whatever way you orchestrate verbal attacks on Pandit Nehru, you will be forced to face dire consequences.

(ends)

1646 hours

SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL): Hon. Chairperson Madam, on behalf of the CPI (M), I express my wishes to the people of India on the 75th year of the adoption of our holy Constitution. As the country celebrates the 75th anniversary of being a Republic, it is necessary to recall that it was the Constitution which came into effect on January 26th, 1950 that made India a Republic. It is a fact that this Constitution is presently facing the biggest threat ever in its history. India became a parliamentary democracy based on secularism because of the Constitution. It is the Constitution which ordained equal rights for all citizens irrespective of race, religion, creed or gender, and enshrined the fundamental rights of citizens. It recognised the rights of minorities and socially oppressed groups like the *Dalits* and *Adivasis*.

The threat to the basic postulates of the Constitution emanates from the very people who are now entrusted with the task of upholding the Constitution and working its institutions. The ruling BJP-RSS combine adheres to the Hindutva ideology which is inimical to the basic values of the Constitution. The RSS and its ideologues have never hidden their contempt for the Constitution.

According to Shri M.S. Golwalkar, the second *sarsanghchalak* of the RSS, the Constitution was a heterogeneous piecing together of various Articles from various Constitutions of Western countries. Pandit Deen Dayal Upadhyaya, another RSS leader and one time President of the Jan Sangh echoed this idea when he said that India's Constitution is imitative and divorced from India's mode of life and ideals. What they wanted instead was a Constitution which conformed to India’s ancient culture and ethos which includes presumably *Manusmriti* originating from the “first law giver” Manu.

Ever since the Modi Government came into office, the Ministers and those holding key positions in various State-run institutions have been talking about changing the Constitution.

Madam Chairperson, the different aspects of the Constitution are under attack. The Constitution propagates scientific temper which is anathema to the Hindutva devotees. Promotion of anti-scientific ideas and irrationalism are the hallmarks of the regime. It is appropriate, at this juncture, to recall what Dr B R Ambedkar warned about in his last speech to the Constituent Assembly on November 25, 1949. He said:

> "I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot."

Those who have been called to work the Constitution currently are indeed a bad lot. There is a legitimate concern that the ultimate aim of the BJP and the RSS is to change the Constitution itself. But what is happening at present is the subversion of the Constitution from within by those who are working it. Every institution under the Constitution – whether it be the Judiciary, the Civil Service, or the Armed Forces – is being corroded from within and their integrity is compromised. Those holding Constitutional positions like Governors are propagating anti-Constitutional ideas. These efforts to weaken and erode the Constitution constitute an attack on the fundamental rights of citizens and also pose a grave threat to the secular democratic Republic itself. This assault has to be resisted and fought back. Only the people can do it as they are ultimately the custodians of the Constitution. Thank you.

(ends)

(1650/KN/VR)

1650 बजे

श्री अवधेश प्रसाद (फैज़ाबाद) : माननीय सभापति महोदया, हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं। आज लोकतंत्र के विशालतम मंदिर में संविधान के 75 वर्ष की वर्षगांठ पर शानदार चर्चा हो रही है। आपने मुझे उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान के प्रिएम्बल, जो संविधान की आत्मा है, जिसको 26 नवंबर, 1949 को अडॉप्ट किया गया था, उन्होंने उसके बारे में विस्तार से बताने का काम किया है और संकल्प करने का काम किया है कि समाजवादियों के रहते, इंडिया गठबंधन के लोगों के रहते, बाबा साहेब का जो संविधान है, उसे न बदलने देंगे, न टूटने देंगे, न हटने देंगे।

"भारतीय संविधान को लेकर देश की जनता का पैगाम
हम दिल्ली आए हैं बचाने संविधान।"

माननीय रक्षा मंत्री जी ने ओपनिंग में बहुत-सी बातें कहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे संविधान के जो प्रिएम्बल में है, इसमें लिखा हुआ है कि :

We, the People of India, हिन्दी में है– हम भारत के लोग। इसमें जो मंशा है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: हमारे प्रिएम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लिखा हुआ है, संविधान की आत्मा में है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर इस देश में किसी ने समाजवाद की शुरुआत की है, तो डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने की है। वे आज दुनिया में नहीं हैं। उस समाजवाद को देश में फैलाने का काम और देश में समाजवाद के आधार पर सरकार चलाने की शुरुआत किसी ने की है तो हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने की है। वे आज दुनिया में नहीं हैं। वे बहुत समय तक यहां मैम्बर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि जिस मशाल को, जिस संविधान को, जिस समाजवाद की व्यवस्था की माननीय नेताजी ने शुरुआत की और उसे काफी चलाया। आज हमें खुशी है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने समाज को बनाने, हिन्दुस्तान बनाने का संकल्प पूरी तरह से किया है। इसी आधार पर जातीय जनगणना करने का संकल्प किया है। हमारे संविधान के प्रिएम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। आज लोगों को अपने धर्म के अनुसार चलने एवं धार्मिक भावनाओं के अनुसार चलने का अधिकार है।

(1655/VB/SAN)

लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से कुचक्र चलाकर धार्मिक स्थलों को बिगाड़ने का काम किया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही आभारी हैं। देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय के फैसले ने देश में एक संदेश दिया है कि देश में कानून का राज चलेगा, संविधान का पालन होगा और इस देश को साम्प्रदायिकता की आग में जलाने वालों को मौका नहीं दिया जाएगा।

मान्यवर, आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में व्यवस्था दी गई है, सबको सम्मानित करने की। हमारे देश में करोड़ों नौज़वान हैं, वे बेरोज़गार हैं, उनके हाथों में काम नहीं है। किसी देश की दौलत सोना, चाँदी और हीरे-जवाहरात नहीं हुआ करती है। देश की दौलत हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के इंसान हैं। लेकिन आज बेरोज़गारी के नाम पर क्या हो रहा है? वे अपनी बड़ी-बड़ी डिग्रियों को जलाने की सोच रहे हैं, आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, यह क्या हो रहा है? आज यह जो सरकार है, हम बहुत ही आभारी हैं, अयोध्या जनपद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती है। यहाँ की मर्यादा पूरे देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ की मर्यादा तोड़ी जा रही है, लोगों के घरों को उजाड़ा गया है, तोड़ा गया है और किसानों की जमीनें कौड़ियों के दाम पर ली गई हैं।

ये दम भरते थे, अभी अयोध्या से चर्चा आई। हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जनपद अयोध्या की फैज़ाबाद लोक सभा सीट, जो एक सामान्य सीट है, उस सीट से वहाँ की देवतुल्य जनता ने हमें जिताया। इससे पूरे देश को यह संदेश गया है कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति चलेगी, तो बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की, अब राजनीति चलेगी, तो इस देश में जातीय जनगणना कराने की, राजनीति चलेगी इस देश में महँगाई दूर करने की, राजनीति चलेगी इस देश में नौज़वानों को सरकारी नौकरी देने की। लेकिन ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं?

माननीय सभापति (कुमारी सैलजा) : अब समाप्त कीजिए। आपकी बात पूरी हो गई है।

श्री अवधेश प्रसाद (फैज़ाबाद) : महोदया, केवल एक मिनट का समय दिया जाए।

वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने संविधान को बदलने का काम किया था। कहा गया था कि 272 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए और संविधान चेंज करने के लिए 400 सीट्स के पार चाहिए। लेकिन इस देश की जनता ने इस तरह का मैनडेट दिया है कि अब ये संविधान नहीं बदल पाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, आज हम सभी संकल्प करते हैं, पूरे देश की सम्मानित जनता को, नागरिकों को आश्वस्त करते हैं कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान, जिसने अनुच्छेद 14 में, इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और इस देश के तमाम कमजोर लोगों को जो सम्मान दिया है, उसका प्रावधान रहेगा। संविधान किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हो पाएगा।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1700/SNT/PC)

1700 hours

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, Madam Chairperson. At the onset, I have 18 minutes of allotted time by my Party.

Hon. Chairperson, Madam, I stand today on behalf of my Party, the All India Trinamool Congress, to speak on the 75th anniversary of our Constitution, a Constitution that is not merely a book but indeed the life and the soul of our nation. Almost 75 years ago, to the day, on the 25th of November 1949, Babasaheb Ambedkar reminded us that we must observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. This nation was made by great men and women, but the real challenge before us today is ensuring that no one man should believe he is greater than the nation, and that he is above the principles of the Constitution.

Today as I stand to participate in this historic debate, let me start with a short, yet very apt *nazm*, by the poet Dr. Hilal Fareed. I trust the truth and the irony in his words will not be lost on anyone.

"मुबारक घड़ी है, कल सज-धजकर, मेकअप रचकर,
खूब जंचकर, देखो उसका मंच पर आना,
किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना
मैं शीष को झुकाकर, इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं।
रात ढलने दीजिए, दिन बदलने दीजिए,
कल तलक ये बेवफा, सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा।
नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा,
रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा,
मगर जो आज महफिल सजी है,
यही मानती है कि हीरो वही है, मुबारक घड़ी है।"

For the past 10 years, a very large number of people in this country have felt that Constitution is in danger. Our Constitution is in danger. As responsible public representatives, it is imperative that we actually put this to the test and check if this is just fear-mongering, as the ruling party would have us believe. Or indeed, is the Constitution framework imperilled?

As Professor Tarun Khaitan explains, there are three broad tests to check if the political Executive is Constitutionally accountable. There are three checks for the country to remain democratic over time. So, let us see how our country is faring on these three checks. First is direct electoral accountability to the people. Second, there is accountability to the Judiciary and other fourth branch institutions. And third, there is accountability rendered by the media and civil society as watchdogs of the citizenry at large. The ruling party has the right to influence policies over a large range of matters – you cannot take away that prerogative – but it cannot usurp power in a way that kills Constitutional rights for the rest of us. This Government, this ruling party, when confronted with this charge, uses only one defence. What about Mrs. Gandhi's emergency? Yes, that was a full frontal attack on democracy. There is no question about that. But we saw it for what it was. This Government's *modus operandi* has been indirect and creeping, an incremental systemic assault, for the past 10 years.

The Modi Government has consistently sought to erase the distinction between the party and the State by undermining and capturing all the mechanisms that seek Executive accountability. It is killing our Constitution by a thousand cuts. I am going to point out a few of the particularly bloody cuts. In the first test, democracies seek electoral accountability from the political Executive. Measures such as electoral manipulation, voter disenfranchisement, and biased campaign finance over time give the ruling party an unfair advantage. Voter disenfranchisement has reached epic proportions in India. In the past general elections, as well as in the recent by-polls in many BJP-ruled States, there were widespread documented instances, caught on television cameras, caught on mobile phones, of voter suppression – from names missing from electoral rolls to physical violence. Police used to threaten, beat, and intimidate voters. We saw it in Rampur; we saw it in Sambal. Entire localities were being forced to stay home.

Another aspect is the largely targeted exclusion of a hated minority by a prejudiced majoritarian State creating a whole section of second-class citizens whose rights are less equal than others. This Government brought in a discriminatory Citizenship (Amendment) Act that is openly violative of the fundamental right to equality before law. All the BJP State Governments are competing with each other in bulldozer justice, demolishing homes, usually of

minorities, without due process of law. I had to go to the Supreme Court to get a stay on the unconstitutional order of the UP Government demanding that the minorities, Muslims, put identifying markers on their eateries and shops during the Kanwar Yatra. This was blatantly violative of Article 15.
(1705/AK/IND)

Let us move onto ‘campaign finance’ now. In 2014, both the BJP and the Congress were held liable for illegally accepting foreign contributions. In response, this Government retrospectively amended the Foreign Contribution Regulatory Act (FCRA) 2010 to narrow the definition of a foreign company and thereby remove the illegality with retrospective effect. This was done surreptitiously. The Act of 2010 was not amended by a separate Bill. It was done *via* clauses slipped into the Finance Act, 2016 and the Finance Act, 2018. The amendments not only legalized foreign funding of political parties, but they also created a new funding vehicle called ‘electoral bonds’.

In 2017-2018, the BJP got 97.7 per cent of funds that were legalized by surreptitious changes to their ‘campaign finance’ laws. When the electoral bond numbers came out earlier this year, we saw that the BJP had between 54 per cent and 57 per cent of the total amount raised in the past six years. This kind of unfair advantage for the BJP in ‘campaign finance’ has created a very skewed playing field for the Opposition in recent years. There is no denying this. The use of the Government funds to promote the BJP and to promote Modi ji's political branding in the run-up to the elections -- *Modi ji ki guarantee, Modi ji ka Parivar* -- creates a media blietzkrieg that few smaller Parties can match.

A neutral referee is necessary for a free and fair electoral process. So, in addition to electoral accountability, our Constitution lays down a second check of institutional accountability where the Government is scrutinised by the judiciary and by various ‘fourth branch’ institutions such as the Election Commission, the Vigilance Commission, a human rights watchdog, and an anti-corruption body. The appointment mechanism of these ‘fourth branch’ institutions along with their functional autonomy is what keeps them independent. What has this Government done? This Government has wilfully defied the spirit of the Supreme Court ruling on the Election Commission's independence by replacing the Chief Justice of India on the Selection Committee with a Government-appointed Minister. So, you have a 2:1 majority.

How often did we hear of an Election Commissioner not serving out their full term prior to Modi ji becoming the Prime Minister? Ever since this Government has come in, two Election Commissioners have inexplicably quit before their terms have ended. ... (*Expunged as ordered by the Chair*) But even the smallest violation by an Opposition Party saw the ECI taking prompt stringent action.

For free and fair elections, just like justice must not only be done, but must also seem to be done. So, public trust in democracy has to be restored by this Election Commission. We have jokingly started calling it the ... (*Expunged as ordered by the Chair*) Code of Conduct'. Other institutional bodies have been similarly compromised. Appointments to the National Human Rights Commission have been widely criticised, especially of ... (*Expunged as ordered by the Chair*) and others close to the establishment. This is a ... (*Expunged as ordered by the Chair*) who, while in office, heaped praise on Modi ji calling him an 'international visionary' who thought globally and acted locally, and lest the Treasury Benches claim this assessment as a biased one. Please remember that it is precisely these kinds of appointments that had undermined the independence of the NHRC so much so that the NHRC has lost its UN accreditation. The NHRC can no longer represent India or vote at the UN Council of Human Rights.

Allow me to turn to a simple instance of what human rights under the rule of law means -- the right to bail. The erstwhile outgoing Chief Justice of India waxed eloquently recently about how the right to bail has been granted during his tenure for a range of undertrials 'from A for Arnab to Z for Zubair'. His alphabet, unfortunately, seems abbreviated because it did not include 'G for Gulfisha Fatima, did not include H for Hany Babu, did not include K for Khalid Saifi, did not include S for Sharjeel Imam, and did not include U for Umar Khalid and countless others. The former Chief Justice made it a point to say that the Supreme Court is not meant to act like the political opposition.

We, in the political Opposition, do not need the Supreme Court to do our job and we are not asking it to. But what troubles us is that some members of the ... (*Expunged as ordered by the Chair*) appear to be doing their best to compromise the independence and integrity of our constitutional courts. I do not think that the framers of our Constitution ever imagined a scenario where... (*Expunged as ordered by the Chair*) would rely

on private conversations with God to ... (*Expunged as ordered by the Chair*) rather than on objective logic, reasoning, the law and the Constitution.

The Honourable Defence Minister in his speech this morning mentioned the courage of the late Justice H. R. Khanna to dissent in 1976.
(1710/UB/GG)
May I remind everyone that Justice Khanna lived for 32 years after 1976 under a largely Congress regime – long enough to write his autobiography that the BJP is quoting from ... (*Expunged as ordered by the Chair*) Delays in filling vacancies in the Central Information Commission are denying citizens their Right to Information. Currently, the CIC has only three Commissioners, including the Chief, instead of the mandated ten, and has 22,000 pending appeals filed by people against denial of information by the Government.

The third dimension of executive accountability is discursive accountability. The citizens in a democracy expect their Government to be able to justify its actions in a public discourse with civil society. The Government on a daily basis is pursuing unconstitutional methods of restricting freedom of the press and freedom of speech. Its ill-conceived amendment to the IT Rules to create Fact Checking Units was recently struck down by the Bombay High Court as being violative of Articles 14 and 19 of the Constitution. The latest UP police case against a fact-checker, Mohammed Zubair, where the UP police is invoking *de facto* sedition against a fact checker who is documenting hate speech, is preposterous. I am one of the petitioners challenging the constitutionality of the Sedition Law and the Supreme Court has very clearly stated that no coercive action will be taken on alleged sedition cases till the matter is decided. Yet the Government does not stop. The Bharatiya Nyaya Sanhita, which the ruling Party brought in last year when most of the Parliamentarians were suspended. They said that they are dropping sedition but they have also replaced it with the far more draconian section 152.

There is also something else that we all need to think about. The BNS for the first time adds 'terrorism' as a punishable offence and defines it as an act that 'intends to threaten the unity, integrity, and security'. So, the crime of terrorism is no longer anchored in an actual act. It is anchored in an intent or a thought. This means that from now onwards, the parents of the disappearing Kashmiris or Manipuris, who are protesting peacefully in a park, can be accused

of being 'terrorists'. What they do or do not do in that park while they assemble is precise the point. As long as a police officer is convinced that they have an intent to do something, they can be terrorists. This makes terrorism a thought crime. Madam Chairperson, this is closer to the letter and spirit of the dystopian reality in George Orwell's 1984 novel than it is to the Constitution of India.

Let me turn to how the policy of a thousand cuts has damaged our institutions. Institutions like the Enforcement Directorate and the CBI have turned into ... (*Expunged as ordered by the Chair*) departments for the Government. Fourteen political parties approached the Supreme Court against the coercive criminal actions of these two agencies – 95 per cent of cases by these two agencies are against Opposition politicians. Since 2014, 25 Opposition leaders facing corruption have crossed over to BJP; 23 of them got reprieves; three cases are closed; and 20 cases have been stalled. For years, the CBI was used to put pressure on NDTV and its promoters via a bogus case. Now that the channel has been captured and sanitized, the CBI says there was never any case to investigate. Airports and large infrastructure have been captured by crony capitalists by similar misuse of the ED and CBI. In a cooked-up case against me, the CBI has wasted precious time and resources looking for a scarf and lipstick that a friend gifted me. These actions have cost India the first ever human rights violation by the Inter-Parliamentary Union in Geneva, the global body governing all national legislatures.

After the abrogation of Article 370, there has been a flagrant crackdown on the constitutional rights of the people of Kashmir. Free speech and movement have been hampered, and the passports were cancelled without any pending cases – never heard of it. Manipur, an integral part of the Union of India seems to have a complete breakdown of Constitutional machinery. The failure of governance is stark. The Union Government under Article 355 of the Constitution is obligated to assist the States in maintaining the law and order. In May 2024, the Supreme Court was assured by the Solicitor General that the violence was subsiding, yet horrifying incidents continue unabated. I petitioned the Supreme Court in the Manipur Violence Case. Senior Advocate Indira Jaising appeared for me. An expert committee was set up. But even after 27 or more hearings, there is no relief, there is no justice yet. Time constraints do not allow a more in-depth analysis but it is crystal clear that this political executive

for the past ten years has systematically eroded democracy. It fails spectacularly on all the three tests of Constitutional accountability laid out by Professor Khaitan. Our Constitution is bleeding from a thousand cuts – *Samvidhan Khatre Mein Zaroor hai*.

The need of this hour is to ensure that the idea of India survives in its purest form. This burden lies heavier on some of us than on others. The judiciary and the media have a far greater responsibility in protecting our Constitution than do normal citizens.

(1715/SRG/MY)

History will not be kind to you, your lords and ladyship, if you falter. To every ... (*Expunged as ordered by the Chair*) past and present, I say this, yours is not to worry about your personal legacy, yours is not to take directions from the God, yours is not to a have private family functions turned into a ... (*Expunged as ordered by the Chair*) with the political executive. The Constitution is your only God. The Constitution should be the only a*tithi* who should be in your home as your *Deva*. Attention seeking divas do not leave legacies. Upholders and protectors of our basic sovereign rights will only be remembered.

To the media I say this, you play a huge role in guaranteeing our democracy's survival. Live up to it.

Taking a few liberties with Faiz's immortal words let me tell you – 'सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराये जाएंगे, बस नाम रहेगा संविधान का।'

In conclusion, I pay homage to the 17 women of India's Constituent Assembly who laid the path for all of us like me to stand here today. I would like to remind us of Vijaya Lakshmi Pandit's words – "Freedom is not for the timid''. Protecting our Constitution in these harrowing times requires courage. Let us rise to it. We will succeed. Jai Hind

(ends)

माननीय सभापति (कुमारी सैलजा): श्री जगदम्बिका पाल जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: 118(2) तो कुछ नहीं है।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : स्पीकर का डायरेक्शन 118(2) है।… (व्यवधान) इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो एफसीआरए का अमेंडमेंट हुआ है। इसका मतलब यह कहना चाहती है कि बीजेपी को ब्लैक मनी मिला है। वह अपने डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करके दे दें।… (व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं, नहीं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: It is not going on record.

… (*Interruptions*)*… (Not recorded)*

माननीय सभापति: जगदम्बिका पाल जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: क्या कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है?

… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सभापति जी, सदन के एक सदस्या ने अभी जो टिप्पणी की है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप स्पीकर साहब को लिखिए।

… (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : यह कहा गया कि ये महिला किलर हैं। … (व्यवधान) इस तरह की टिप्पणी… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: It is not going on record.

… (*Interruptions*)*… (Not recorded)*

माननीय अध्यक्ष: जगदम्बिका पाल जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सब रिकॉर्ड देख लिया जाएगा। माननीय सदस्य बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

1718 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए।

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : स्पीकर साहब, दो बातें कही गई। एक तो एफसीआरए का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ। वह कागज दे दें, जिससे यह पता चले कि ब्लैक मनी किसको गया। … (व्यवधान)

दूसरा सवाल है, … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)… (व्यवधान) इसके बाद वे इस तरह की बातें करते हैं। इनको आप ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए।… (व्यवधान) कोई भी आरोप लगा देना, किसी जज के ऊपर आरोप लगा देना, इन्होंने सारे चीफ जस्टिस को कोट किया है। चीफ जस्टिस इसके पहले भी प्रधानमंत्री के यहां जाते रहे।… (व्यवधान) यदि माननीय प्रधानमंत्री जी गए तो अन्याय नहीं हो गया। यह प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन है। चीफ जस्टिस के बारे में गया है। … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) कहा गया है। बीजेपी के बारे में कहा गया है। सर, सबको एक्सपंज कीजिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप मेरी बात सुनिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: मणिक्कम टैगोर जी यह कह रहे हैं कि … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) सुप्रीम कोर्ट के तीन बेंचों ने फैसला दे दिया है। अब इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: अब इस पर क्या चर्चा करेंगे? जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस पर संसद क्या चर्चा करेगी? नो, गलत है।

… (<u>व्यवधान</u>)

(1720/CP/RCP)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, ऐसे मामलों को तू-तू, मैं-मैं करके खत्म नहीं करना चाहिए। यह विषय बहुत गम्भीर है। मैंने बहुत ध्यान से सुना। ऑनरेबल लेडी एमपी ने जो टिप्पणी की, हम लोगों ने शांति से सुना। वे क्या सोचकर आईं, क्या ड्राफ्ट लेकर आईं और क्या पढ़ रही थीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, उनकी आदत जो भी है। …(व्यवधान) लेकिन, जो पॉइंट उन्होंने … (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)कहा, यह बहुत गम्भीर इसीलिए है कि यह एक सैटल्ड केस है और पूरे कोर्ट में उसकी परिस्थिति, जजेज़ का कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन, उससे कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है। जजेज़ लोगों के समूह में बैठकर जो घटना हुई, जजेज़ के बीच में जो भी वहां अनफॉर्चुनेट घटना हुई, फिर बाद में जजेज़ की ओर से क्लेरिफिकेशन करके जुडीशियरी में सारा मामला खत्म हो गया। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप, किसी का इंटरवेंशन, लिंक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

इन्होंने इस पार्लियामेंट में, हाईएस्ट कोर्ट से डिसीजन हो गए वाले को, कैसे गायब हो गया, मर्डर, इस तरह की बात कहेंगे तो इसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। ... (व्यवधान) नहीं तो कोई भी मेंबर उठकर ऐसी ही बात करेंगे। ... (व्यवधान) यह नहीं होगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं रिकार्ड मंगा कर देख लूंगा।

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मेरा इतना कहना है कि आपने मामले को संज्ञान में लिया है। आपने इसे देखने के लिए कहा है। मैं सदन को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) और हम लोगों की तरफ से एप्रोप्रिएट पार्लियामेंट्री एक्शन लिया जाएगा।... (व्यवधान) इस तरह की टिप्पणी से आप बच नहीं सकते हैं। ... (व्यवधान) ऐसी टिप्पणी करके बच नहीं सकते हैं। ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ... (व्यवधान) ये बहुत गलत परम्परा स्थापित कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

1723 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सत्रह बजकर तिरपन मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1750/NK/PS)

लोक सभा सत्रह बजकर तिरपन मिनट पर पुन: समवेत् हुई।

1753 बजे (श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : संविधान के ऊपर आपका भी भरोसा है और उनका भी भरोसा है। सुबह से अच्छे से चर्चा चल रही है, प्लीज इसको कन्टीन्यू कीजिए। मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate with us.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will take it.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय जगदम्बिका पाल जी।

… (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): I have a point of order. … (*Interruptions*)

भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा - जारी

1755 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आदरणीय लोक सभा अध्यक्ष जी द्वारा विगत दिनों संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम हुआ और आज संविधान पर चर्चा करने का अवसर हमें उन्होंने दिया। सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल रहा है।

(1755/SK/SMN)

संविधान की चर्चा में सम्पूर्ण सदन भाग ले रहा है। … (व्यवधान) सुबह से संविधान की चर्चा पर सब लोग शांतिपूर्वक भाग ले रहे थे, ऐसा कौन सा कारण हुआ और तृणमूल कांग्रेस की सदस्या ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि सदन स्थगित हुआ?… (व्यवधान) संविधान के आरक्षण की चर्चा नहीं थी।… (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया): जगदम्बिका पाल जी, एक मिनट रुकिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सुबह से सदन आप सबके सहयोग से बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। आप सब लोगों के बहुत विचार आए हैं। क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही छ: बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

1756 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अट्ठारह बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

(1815/KDS/SM)

1815 बजे

लोक सभा अठारह बजकर पन्द्रह मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? आप में से कोई एक ही उठाए, या ये उठाएं या वो। तीन-चार में से कोई एक ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए। आप सभी मिलकर फैसला कर लीजिए कि कौन उठाएगा?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, we have different points of order. दादा के लिए चाहिए। … (व्यवधान) दोनों को दीजिए।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, as per Rule 376, I am raising a point of order. Hon. Member, Sushri Mahua Moitra had made a speech. Some Members of the ruling party felt that she said something wrong.

Now, there are two methods in dealing with this matter. You please read Rule 352. It says:

> "A Member while speaking shall not make personal reference by way of making an allegation imputing a motive to or questioning the *bona fides* of any other member of the House."

There is also another tool in your hand. It is Direction no. 115 (1) of Directions by the Speaker. It says:

> "A Member wishing to point out any mistake or inaccuracy in the statement made by a Minister or any other member shall, before referring to the matter in the House, write to the Speaker pointing out the particulars. The Member may place before the Speaker such evidence as that Member may have in support of the allegation."

Now, the ruling party Members made an allegation that hon. Member, Sushri Mahua Moitra had made a wrong statement. They had two rules in their hand. Either they could use Direction 115(1) of Directions by the Speaker or they should have refrained by using Rule 352(1).

Sir, I remind you that hon. Member, Sushri Mahua Moitra is a lady Member. I saw hon. Minister of Parliamentary Affairs, Shri Kiren Rijiju, who I know for a long time, standing up and saying that whatever Mahua Moitra ji had

said was totally wrong. He also said, "We shall have a meeting and teach a lesson to her." I have never seen in my long career in the Parliament such a brazen effort to threaten a Member… (*Interruptions*)

You are intimidating her. He was brazenly threatening Mahua Moitra ji. He said, "Please keep your trap shut. Otherwise, we are powerful. We shall have the Constitution on one hand and will punish you." … (*Interruptions*) I strongly condemn this.

माननीय अध्यक्ष : नो नो, आपका विषय हो गया। रूल्स से हटकर आप उत्तर मत दें। अब श्री वेणुगोपाल जी बोलें।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, as has been pointed out, there are tools to be used against Members when they speak any unparliamentary things. As hon. Member, Sougata Ray ji has pointed out, Rule 352 is there. My point is that while I am speaking in this House, some may not like my speech and they have difference of views. There are rules which they can use and approach you.

You are the custodian of this House. Here, what has happened is the Minister of Parliamentary Affairs took full custody of this House and virtually threatened a lady Member … (*Interruptions*) We all heard her speech … (*Interruptions*) You have the power to delete and expunge any speech. You have that power. They could request you. But how can the Parliamentary Affairs Minister, who has the responsibility to maintain peace in the House, take the entire law in his hand and threaten a lady Member? … (*Interruptions*)

(1820/RP/MK)

Sir, there is one more thing. … (*Interruptions*) I heard Mahuaji's speech. She did not mention anything objectionable. … (*Interruptions*) Sir, the Parliamentary Affairs Minister has to make an apology. … (*Interruptions*) Sir, otherwise, you should expunge his objectionable remarks. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप सब लोग सदन चलाना चाहते हैं?

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपकी बात सुन ली है। आप रिपीटेशन मत कीजिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुनिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं। हम सबने बीएसी में डिसाइड किया था कि हम संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर अपनी-अपनी बात रखेंगे। जब सदन की शुरूआत हुई, तभी मैंने यह अपेक्षा की थी कि हम संविधान और संविधान के माध्यम से हुए परिवर्तन और उसकी स्वर्णिम यात्रा पर चर्चा करेंगे। स्वार्णिम यात्रा में सभी दलों की सरकार रही है और इस यात्रा में सबका सहयोग रहा है। सब अपनी-अपनी यात्रा में सहयोग को रखें। नीति, पॉलिसी एवं संविधान में कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसकी चर्चा करें। सदन में बोलते समय हम विषय पर चर्चा न करके आरोप-प्रत्यारोप और व्यक्तिगत टिप्पणियों पर जाने का प्रयास करते हैं, जो ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, मैंने आपको बोलने की अनुमति दे दी है। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरी सदन से यह अपेक्षा है कि हम एक सकारात्मक चर्चा करें और सकारात्मक दिशा में चर्चा करें। संविधान के परिप्रेक्ष्य में आलोचना करनी है तो संविधान के परिप्रेक्ष्य में जिस-जिस ने संविधान में संशोधन किए हैं, उसके प्रभावों के बारे में भी करें। अगर आपको उसका प्रभाव उचित नहीं लग रहा है तो उसकी भी चर्चा करें कि संविधान में जो परिवर्तन हुआ है, उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ा है। नीतियों और पॉलिसी पर चर्चा होनी चाहिए।

हम कई बार सदन के वरिष्ठ नेताओं पर इस तरह से जो व्यक्तिगत रूप से चर्चा करते हैं, जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है।

माननीय सदस्य ने जो बोला है, वह आवश्यक है। वे सब विषयों को आथेंटिकेट कर दें और अपने साक्ष्य रख दें। अगर माननीय मंत्री जी ने ऐसी कोई बात बोली है तो मैं उसको निश्चित रूप से देखूंगा और डिलीट करूंगा। सदन में मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा करूंगा कि अब संविधान की स्वर्णिम यात्रा पर चर्चा हो। अगर चर्चा में इधर-उधर डायवर्जन होगा तो मैं टोकूंगा। फिर आप मत बोलिएगा कि अध्यक्ष जी टोक रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही आठ बजे तक बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी सर।

माननीय अध्यक्ष: श्री जगदम्बिका पाल जी, आप बोलिए।

भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा - जारी

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने आसन से एक व्यवस्था दी और पूरा सदन आपके उस व्यवस्था के बाद इस सदन को उस संविधान की, जो अपेक्षा आपने सुबह अपने प्रारंभिक उद्बोधन में की थी कि संविधान हमारी आत्मा है और बिना संविधान के कोई भी राष्ट्र मृतप्राय है। आज उस संविधान के प्रति आपने जो दो दिन की चर्चा रखी है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

1824 hours (Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

इस संविधान के एडॉप्शन के 75 वर्ष पूरे होने पर आज हम सभी को, जैसा आपने कहा कि आरोप या प्रत्यारोप का अवसर नहीं है, इस संविधान के प्रति जितनी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी है।

(1825/SJN/NKL)

अगर हम इस सदन में संवैधानिक रूप से चुनकर आए हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से कहा है, मैं समझता हूं कि जिस दिन संविधान दिवस मनाया गया था, उस दिन की शाम को न्यायपालिका की एक गोष्ठी थी। उस गोष्ठी में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि संविधान हमारे और हमारी सरकार के लिए एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे गीता, रामायण, महाभारत, बाइबिल, गुरुग्रंथ साहब और कुरान है, उसके समतुल्य है।

जब आज हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की पहली ड्रॉफ्टिंग कमेटी 09 दिसंबर, 1946 को बैठी थी और फाइनल मीटिंग 26 नवंबर, 1949 को हुई थी। 4 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में ड्रॉफ्ट प्रस्तुत हुआ था, तो लगभग दो वर्षों तक उस समय के लोग इस ड्रॉफ्ट पर डिस्कशन और डिबेट कर रहे थे। अल्टीमेटली 26 नवबंर, 1949 को अंतिम बैठक में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से भारत का संविधान पास हुआ था। आज भारत का संविधान केवल भारत के गवर्नेंस का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि आज भारत के संविधान को पूरी दुनिया मानती है कि भारत का संविधान बहुत मजबूत है।

अगर आज हम उस संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब मैं कहता हूं कि इस संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हम इस संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं या प्रतिपक्ष उत्तरदायी है, तो संवैधानिक व्यवस्था के रूप में सबसे पहली क्या जिम्मेदारी है? हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अगर हम चुनकर यहां आए हैं, अगर हम यहां पर संविधान के अंतर्गत चाहे पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनाते हों, कानून बनाते हों, चाहे विधेयक पर चर्चा करते हों, प्रश्न काल, शून्य काल और अन्य विषयों के माध्यम से हम देश की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करते हैं।

यह हमारा एक संवैधानिक दायित्व है। इस संवैधानिक दायित्व में क्या है? यह हमारा कर्तव्य है कि हम सदन में हर समय उपस्थित रहें, संसद के सत्र में भाग लें, लेकिन आज जो लोग देश के संविधान की बात करते हैं, संविधान में आरक्षण की बात करते हैं। मैं देखता हूं कि जब सत्र

चल रहा होता है, तो सदन में उपस्थित होने के बजाय वे कभी हाथरस जा रहे हैं, कभी संभल जा रहे हैं, वे संवैधानिक दायित्व का कितना निर्वहन कर रहे है, कदाचित पूरा देश देख रहा है कि शायद ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं।

आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारा क्या दायित्व है? अगर मैं यह बात कहता हूं, तो मैं इसलिए कहता हूं, अगर मैं चुनकर आया हूं, मेरे मन में इस संविधान के प्रति सम्मान है, तो मैं इस सदन में 100 प्रतिशत उपस्थित रहने का काम करता हूं। हमारे साथियों ने जो बातें कही हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। अगर आप एक तरफ आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी संविधान में आस्था है, संविधान के प्रति मर्यादा है, तो जब उस समय सरकार थी, तो उस संविधान से चुनी हुई सरकार के द्वारा पारित किए गए विधेयक को उस सत्तारुढ़ दल के नेता के द्वारा ही फाड़ दिया जाए, तो यह संविधान के प्रति सम्मान है या फिर संविधान के प्रति अपमान है?

मुझे विश्वास नहीं है। आपने पूरे देश को चुनाव के समय जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश कि हम आरक्षण को लागू नहीं करना चाहते हैं। अगर हमारी सरकार आएगी, तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। आखिर इस संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, जब आरक्षण समाप्त हो रहा था, शायद 12 दिसंबर, 2019 को अगर केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार नहीं होती, तो एससी/एसटी का जो आरक्षण था, वह समाप्त हो जाता। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 दिसंबर, 2019 को एससी/एसटी के लिए आरक्षण लाया गया और 25 जनवरी, 2020 को उस एससी/एसटी के आरक्षण को वर्ष 2030 तक बढ़ाने का काम किया गया है, तो हम आज आरक्षण देने का काम कर रहे हैं।
(1830/SPS/VR)

आप क्या बात करेंगे? आरक्षण किसने दिया है? अगर इस देश के दलितों, मजलूमों, गरीबों, एससी-एसटी के लिए वर्ष 2030 तक आरक्षण बढ़ा है तो यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में बढ़ा है। आप बैकवर्ड की बात करते हैं। देश की आजादी के बाद से बैकवर्ड की बात करते हैं, चुनाव में बैकवर्ड की दुहाई देते हैं, उनको कांस्टीट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? उनको कांस्टीट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया गया है। आजादी के बाद देश में पहली बार नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा दिया तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। आप याद कीजिए, 11 अगस्त, 2018 को हम लोगों ने उस बिल को प्रस्तुत किया और अगस्त 2018 में वह इफेक्ट में आया था। आज देश में बैकवर्ड की चिंता है, आज पिछड़ों की चिंता है, दलितों की चिंता है और न केवल चिंता है, बल्कि कानून बनाकर उनके आरक्षण, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारी सरकार कर रही है।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 103वां कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ष 2019 में हुआ था। उस अमेंडमेंट के समय आप भी मौजूद थे, आपके बहुत से साथी बैठे थे और आपने भाग भी लिया था। आजादी के बाद से इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए लगातार मांग उठ रही थी। वह किसी भी जाति के हों, अगर वह कमजोर हैं या वीकर सेक्शन से आते हैं, तो उनको रिज़र्वेशन दिया है। देश के करोड़ों लोगों को हमने शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दिया, हमने बैकवर्ड को रिज़र्वेशन

दिया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, राय, भूमिहार या किसी भी जाति-बिरादरी में आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार 103वां अमेंडमेंट करके हमारी सरकार ने 10 परसेंट रिजर्वेशन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को देने का काम किया है। जब से हमारी सरकार आई है, पिछले 10 वर्षों से हमने लगातार हर वर्ग की चिंता की है। आप प्रिएम्बल की बात करते हैं तो प्रिएम्बल में क्या है? आप सोशलिज्म की बात करते हैं तो समाजवाद किस चीज पर आधारित है, समाजवाद इक्वैलिटी पर आधारित है। अगर आप समाजवाद में इक्वैलिटी की बात करते, तब जस्टिस है। उस जस्टिस और इक्वेलिटी को किसने पूरा करने का काम किया? आपने देखा और जैसा मैंने उल्लेख किया है कि 102वें कॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उनको कांस्टीट्यूशनल स्टेटस दिया।

आप देखिए अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए भारत माता के माथे पर एक कलंक लगा हुआ था। इस भारत की लोक सभा से पारित किए हुए सैकड़ों कानून जम्मू और कश्मीर की धरती पर लागू नहीं होते थे। वहां पर आरक्षण का कानून लागू नहीं होता था, वहां पर तमाम स्कीम्स और आवास की स्कीम लागू नहीं होती थी। यह अनुच्छेद 370 और धारा 35ए अस्थाई रूप से उस सरकार के द्वारा लगाई गई थी। उसके नाते भारत की पार्लियामेंट के कानून जम्मू और कश्मीर की धरती पर लागू नहीं होते थे। 5 अगस्त, 2019 में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और धारा 35ए को प्रस्तुत किया। आज पूरे देश ने देखा है कि अब जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया है। भारत की पार्लियामेंट के बने हुए सारे कानून जम्मू और कश्मीर पर लागू होते हैं। आप संविधान की बात करते हैं। शायद पहली बार जम्मू और कश्मीर में आजादी के बाद संविधान दिवस मनाने का काम हुआ है तो इस समय हुआ है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।

आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं का किस तरीके का नारकीय जीवन था। अगर रोटी कच्ची रह गई या घर में कुछ गलती हो गई तो मुंह से तीन तलाक निकाल दिया जाता था और जिंदगी भर के लिए हमारी बहन-बेटी सड़क पर आ जाती थी। यह किसी छोटी सी गलती के लिए होता था। देश को वर्ष 1947 में आजादी मिली, लेकिन अल्पसंख्यक महिलाओं को ट्रिपल तलाक के बिल से नारकीय जीवन से छुटकारा मिला तो 31, जुलाई 2019 को मिला और भारत की उन महिलाओं ने खुली हवा में सांस ली। उनके भी अधिकार हैं, मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट ऑन मैरिज) एक्ट वर्ष, 2019 है।

(1835/MM/SAN)

अगर हम इक्वैलिटी और जस्टिस की बात नहीं करते तो हमें क्यों चिंता होती? इसका मतलब है कि हम केवल सबका साथ, सबका विकास की बात ही नहीं करते हैं, अपितु सबके लिए कानून का प्रावधान करते हैं। अभी यूसीसी की बात हो रही थी। यूसीसी की चर्चा संविधान सभा से लेकर, आज वर्ष 2024 तक इस पर बहस हो रही है। आखिर विपक्ष का इस पर क्या स्टैंड है? आप बताइए कि यह संहिता या कानून क्या केवल कानून का विषय है या यूनिफार्म सिविल कोड समानता और न्याय की भावना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मैं कंस्टीट्यूएंट असेम्बली की डिबेट की बात यहां करना चाहता हूं। आप किस को मानते हैं? क्या आप भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मानते हैं या

बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं या के.एम. मुंशी जी को मानते हैं या आप डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी को मानते हैं। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तब समान नागरिक संहिता की कल्पना उस समय के संविधान निर्माताओं ने भी की थी। आज वह आर्टिकल 44 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, नीति-निर्देशक तत्वों में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर क्या कहा था? डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं। यह जगदंबिका पाल नहीं कह रहा है, यह हमारी पार्टी या हमारी सरकार नहीं कह रही है, यह डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है –

> "समान नागरिक संहिता देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया जाए, बल्कि समाज में समानता लायी जाए।"

बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए हम यूसीसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपकी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर में है तो निश्चित तौर पर इक्वैलिटी और जस्टिस के लिए यूसीसी पास होना इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है। श्री के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? हमारे संवैधानिक निर्माताओं ने जब चर्चा की तो संविधान सभा में के.एम. मुंशी जी ने कहा था कि समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी, क्योंकि अलग-अलग व्यक्ति कानून सामुदायिक विभाजन को प्रोत्साहित करते हैं। यह बात कंस्टीट्यूएंट असेम्बली के उन लोगों ने कही है जो संविधान निर्माता हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के मैम्बर हैं, उन्होंने कहा। जिसने भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को कमजोर किया है। आज उस समान नागरिक संहिता को माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाने की बात हो रही है। जिस बात को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, उनके सपने को हम साकार करने जा रहे हैं, मुंशी जी के सपनों को साकार करने जा रहे हैं। मुंशी जी ने उस समय भी कहा था कि ऐसे तमाम अल्पसंख्यक देश हैं, मुस्लिम देश हैं, जैसे तुर्किये है, इजिप्ट है, ऐसे तमाम मुस्लिम बहुत देश हैं, जहां विभिन्न समूहों के लिए व्यक्तिगत कानून के बिना यूनिफार्म कोड को सफलतापूर्वक लागू किया गया। अगर तमाम इस्लामिक कंट्री में इस तरह का कानून है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जबकि वे तो इस्लामिक कंट्री हैं। मैं के.एम. मुंशी जी को कोट करना चाहता हूं-

> "A further argument has been advanced that the enactment of a Civil Code would be tyrannical to the minorities. Is it tyrannical? Nowhere in advanced Muslim countries has the personal law of each minority been recognised as so sacrosanct as to prevent the enactment of a Civil Code. Take for instance, Turkey or Egypt. No minority in these countries is permitted to have such rights. But I go further. When the Shariat Act was passed or when certain laws were passed in the Central Legislature in the old regime, the Khojas and Cutchi Memons were highly dissatisfied."

This is a quote of Shri K.M. Munshi from the Constituent Assembly debates. (1840/YSH/SNT)

समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 में रख दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया। आज ये फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। आजादी के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बनाने वाले जो लोग

हैं, चूँकि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में कहा था कि "अगर हम समान नागरिक संहिता की ओर नहीं बढ़ते हैं, तो हम न्याय और समानता की नींव पर खड़े अपने लोकतंत्र को कमजोर करेंगे।"

सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि "देश में एक कानून होना हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा।" अगर आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Please be seated.

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): *Dada*, you are well aware. You have gone through the Constituent Assembly's speeches. You will endorse me. … (*Interruptions*)

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, के. एम. मुंशी जी हों, यह जो आर्टिकल 44 है, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। जबसे नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं तथा देश में पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के सपने के लिए मोदी जी ने कहा था कि उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था कि हम सबको बुनियादी सुविधाएं देंगे और आज पूरे देश में उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत लोगों को चाहे आवास देना हो, चाहे 18 हजार गांवों में विद्युत पहुंचाने का काम हो, apart from caste, creed or religion, यह काम किया गया है। यह पहली सरकार है, जिसने यह काम करके दिखाया है। अगर हमारी सरकार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि देती है तो यह नहीं देखती कि कौन किस जाति का है। हमारी सरकार लोगों को आयुष्मान कार्ड दे रही है और अगर वह हिंदू को मिल रहा है तो वह अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ों को भी मिल रहा है। इस तरह से हम समान नागरिक संहिता को लागू कर रहे हैं।

आज आप बुनियादी रूप से देखिए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों के सिर पर पक्की छत नहीं थी, लोगों के घरों में शौचालय नहीं था, दवाई की कोई गारंटी नहीं थी। दवाई और पढ़ाई की गारंटी न दे सके, ऐसी कौन सी सरकार होगी। यह मोदी जी की पहली सरकार है, जिसने दवाई और पढ़ाई की गारंटी देने का काम किया है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने जब कॉन्स्टिटुएंट असेंबली में कहा था, उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अनुच्छेद 44 नहीं था। उस समय ड्राफ्ट आर्टिकल 35 था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन ड्राफ्ट के आर्टिकल 35 में था और 4 नवम्बर, 1948 को डॉ. अम्बेडकर जी ने उसकी वकालत की थी। उसके बाद 23 नवम्बर, 1948 को उस पर डिबेट हुई और उसी आर्टिकल 35 पर वोटिंग हुई। डॉ. अम्बेडकर, के एम

मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी जैसे तमाम लोगों ने उसमें भाग लिया और सबने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। आज तक यह कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। उनको जवाब देना होगा। उन्होंने इसलिए नहीं किया, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानों केस का फैसला किया और उस तुष्टीकरण की राजनीति ने उस शाह बानो केस के फैसले को बदल दिया और यहां पर बिल लेकर आ गए। क्या ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे?

ये कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है तो क्या ये कभी यूटिलिटी की बात कर सकते हैं? ये कभी जस्टिस की बात कर सकते हैं? ये कभी भी यह बात नहीं कर सकते हैं।

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मान्यवर, मैंने अभी तो अपना भाषण शुरू किया है।

आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि कानून में एक समानता होनी चाहिए। आज वर्तमान में सभी के अलग-अलग नियम हैं। आज ऐसे 14-15 कानून हैं, जिन्हें आप देखेंगे तो आश्यर्च करेंगे। इसलिए अगर यह आज नहीं हुआ तो इसको हम कब करेंगे? हम दो चीजों को मानते हैं कि एक तो जो अमेंडमेंट हुए हैं, वे गुणवत्तापरख हैं।

(1845-1855/RAJ/AK)

बस अंतर यह है कि हमारी सरकार ने जो भी अमेंडमेंट्स किए हैं, मैंने कुछ अमेंडमेंट्स का उल्लेख किया है, लेकिन जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, वे इस देश के हित में थे। इस देश के लोगों के हित में थे। इनके जमाने में भी अमेंडमेंट्स हुए। आपको 42वां संविधान संशोधन याद होगा, जिसको मिनी कॉंस्टिट्यूशन कहा गया, उसमें एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ। आपने वह जो कॉंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया। यह पहली बार हुआ होगा। आपने इस पार्लियामेंट से कॉंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, लेकिन देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके कई प्रोविजंस को अनडेमोक्रेटिक कहा और कहा कि इसको नहीं स्वीकार करेंगे। आखिर यह सरकार के लिए क्या था? इसका मतलब है कि उस समय सरकार अगर अमेंडमेंट्स करती थी।... (व्यवधान) मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। मै केवल वह बात कह रहा हूं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया और प्रोविजंस पर स्पष्ट तौर से जजमेंट दिया।

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) अभी तक एक कोलोनियल कानून चला आ रहा था। हमने तीन नए कानून बनाए हैं। भारतीय न्याय पहले इंडियन पेनल कोड था, तब वह दंड देने के लिए था। आजादी के बाद से चिंता नहीं थी कि आम जनता को न्याय मिल सके। वही भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी और आज हमने दंड देने की जगह न्याय देने के लिए तीन-तीन कानून बनाने का काम किया है। भारतीय न्याय संहिता हो, बीएनएस हो, हमने उसको इंडियन पेनल कोड से रिप्लेस किया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को

सीआरपीसी से रिप्लेस किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए को हमने इंडियन एविडेंस एक्ट से रिप्लेस किया। इस तरीके से हमने यह किया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की स्पिरिट है कि आज इस पर चर्चा हो रही है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था :

> "… deep respect and reverence for the Constitution -- not just its form but its substance, not just its letter but its spirit. Constitutional morality is essential for effective governance and societal progress.".

हमारी सरकार इसको टोटलिटी और स्पिरिट में ले रही है। आज यह इसी का नतीजा है।… (व्यवधान) आज संविधान पर चर्चा हो रही है। हम संविधान पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हमने दो साल कॉंस्टिटूएंट असेम्बली में चर्चा की, आज हम कम से कम दो दिन इस पर चर्चा कर लें। यह महसूस कर लें कि केवल संविधान की पुस्तक लेकर काम नहीं होगा, संविधान की पुस्तक दिखाने का काम करें, उस संविधान को अंगीकार करने का काम करें, उस पर अमल करने का काम करें।… (व्यवधान) आखिर कौन-सा संवैधानिक ढांचा था? आज अगर मैं एक-दो उदाहरण दूं, तो शायद बहुत हो जाएगा। उस दो साल में हमारे कॉंस्टिटूएंट असेम्बली में डिबेट हुई थी।…(व्यवधान)

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका आभारी हूं।

(इति)

1849 hours

*SHRI MALVINDER SINGH KANG (ANANDPUR SAHIB): Thanks, Hon'ble Chairman Sir. First of all, I thank you for giving me the opportunity to express my views on the special discussion on completion of 75 years of the Constitution of India. On this occasion, I salute Baba Sahib Ambedkar ji and the great martyr Sardar Bhagat Singhji with great humility. Courtesy their efforts, the Constitution protects the rights of this country.

Hon'ble Chairman Sir, Aam Aadmi Party under Shri Arvind Kejriwal, for the first time in India, took a decision that the portraits of the great martyr Bhagat Singh ji and Baba Sahib Ambedkar ji should be displayed in all the government offices. Whether it is AAP government in Punjab under Shri Bhagwant Singh Mann or the Delhi government under Shri Kejriwal ji, we have ensured that the portraits of the great martyr Sardar Bhagat Singh ji and Baba Sahib Ambedkar ji are being displayed in all government offices.

Hon'ble Chairman Sir, this morning, Hon'ble Defence Minister Shri Raj Nath Singh ji was paying obeisance to several martyrs. Today, after 75 years of independence, Kartar Singh Sarabha, the great martyr Sardar Bhagat Singh and Chandra Shekhar Azad should have been eulogized but he didn't mention any of these great personalities. He was heaping praise on those people who had given apologies to the Britishers. This is rather unfortunate.

Hon'ble Chairman Sir, our constitution protects our socialist and secular state but on the contrary, reverse is happening. Loans to the tune of Rs.13 lac crores to Corporate sector have been waived off. Farmers, who are feeding the nation, are protesting on the roads. Our constitution protects the secular nature of the country enshrined in it but again, the reverse is happening. Today, when Hon'ble Supreme Court has recommended two names from Punjab & Haryana High Court judges, the Govt of India rejects it for the reason that they are ... (*Expunged as ordered by the Chair*) This is sheer discrimination in the name of religion, what to talk of secularism. Our secular credentials need to be protected. When we talk of the democratic structure, the states are being discriminated against. Federal structure is being demolished. The federal structure is the soul of our constitution. It is being weakened. The powers of the elected governments are being encroached upon. We have seen that the electorate of Delhi has gave a resounding mandate to Shri Arvind Kejriwal ji

*Original in Punjabi

but the Central government made several amendments in the constitution and greatly reduced the powers of the elected government.

Sir, secularism must be strengthened but the people are being discriminated against on the basis of their attire, turban and caps etc. We have witnessed the happenings in Manipur. We have already seen the uproar in the parliament on the Sambhal incidents. One IPS officer in UP was humiliated by BJP leaders as he was a turbaned person. He was also branded as a Khalistani and anti-national person. Our farmers who feed the country are only protesting peacefully for their genuine democratic rights but they are also dubbed as anti -national. This is against the spirit of the constitution.The need of the hour is to save the communal harmony and brotherhood. Our fundamental rights need to be strengthened but the opposite is happening. The government claims that 80 crore people are being fed free food grains. But who will ensure the education of their children and medicines for their sick elders?

This is the time for introspection. In any democratic country, the institutions and their autonomy must be strengthened. Be it our Election Commission or judiciary, the questions are being raised against them.

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी): प्लीज आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

SHRI MALVINDER SINGH KANG (ANANDPUR SAHIB): Recently, an ... (*Expunged as ordered by the Chair*) court gave a very communal and provocative speech. What will happen to the independence ... (*Expunged as ordered by the Chair*) gives such a speech?

माननीय सभापति : आप कृपया अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

SHRI MALVINDER SINGH KANG (ANANDPUR SAHIB): In the end, through you, I urge upon the Central government that we should be introspecting regarding our constitution after 75 years.

Sir, the people of Punjab have given the maximum number of sacrifices for the country and they have suffered the most along with West Bengal at the time of partition. But Punjab is being deprived of its own capital. This is again sheer step-motherly treatment being meted out to Punjab. We must guard against such injustices.The central government must look into these things, instead of dividing the people in the name of caste and religion. Every thing is not all right, Sir. We must guard against such tendencies. Daily, the people are being discriminated against for their attire and food habits. We have seen in Jammu & Kashmir, as I told earlier that our government is snatching the rights of minorities.

Hon’ble chairman sir: Ok, it is over no (ends)

1856 hours

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I would like to extend my heartfelt gratitude to my Party as well as the hon. Speaker for giving me an opportunity to take part in this historical discussion.

Dr. B.R. Ambedkar, the Chairman of the Drafting Committee, was a prime believer in social justice, and therefore, believed that the interests of all sections of the society were to be protected through the Constitution. Dr. B. R. Ambedkar said and I quote, “However good a Constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove bad.”

We are taking part in this historical discussion not just because we are celebrating 75 years of the Constitution, but also, we truly understand the fact that the Constitution is in danger. हमारा संविधान खतरे में है। That is the sole reason, like Dr. Ambedkar said. We have to be very cautious when we are completing 75 years of a Constitution.

The Indian National Congress has always been committed to the idea of the Constitution. It must be noted that the *Poorna Swaraj* Resolution was passed in 1929 during the Lahore Session of the Indian National Congress, which was presided over by Pandit Jawaharlal Nehru, who paved the way and laid the foundation of the Constitution.

In June 1934, the Indian National Congress, for the first time formally and officially demanded an Indian Constituent Assembly for framing the Constitution of India. Accordingly, the movement towards framing the Constitution of independent India was conceptualized and initiated by the Congress Party.

It was Pandit Jawaharlal Nehru who invited Dr. Ambedkar as a Law Minister, and after two weeks, when he became the Law Minister, he was requested to be the Chairman of the Drafting Committee. Dr. Ambedkar had differences of opinion with the Congress, but he very clearly said that there have been multiple oppositions, debates in the Constituent Assembly over two and a half years. Many things were voted in for and against, where both Mahatma Gandhi and Pandit Nehru were on one side and Dr. Ambedkar was on a different side. But, that is the beauty of the Constitution of India. That is the grace of the Constitution of India, I would like to say.

Sir, where were RSS and BJP at this time? While RSS had no contribution in the Constitution-making exercise, it has always been a major critic of the ideas proposed by Dr. Ambedkar. The RSS always advocated for the enactment of Manusmriti in India, so that the caste and the class-based differences can continue to exist in India.

(1900/RCP/PC)

Sir, I quote the official mouthpiece, *Organiser* of the RSS. On November 30, 1949, within three days of the Constitution being adopted, the RSS mouthpiece, *Organiser* came out with an editorial that said,

> "The worst thing about the new Constitution of Bharat is that there is nothing Bhartiya about it. There is no trace of ancient Bhartiya constitutional laws, institutions, nomenclatures, and phraseology in it. Manu's Laws were written long before Lycurgus of Sparta or Solon of Persia. To this day his laws as enunciated in the Manusmriti excite the admiration of the world and elicit spontaneous obedience and conformity. But to our constitutional pundits, that means nothing."

This is quoted in the *Organiser*. This is the official version of the RSS and the Sangh Parivar in India.

In his book called 'Bunch of Thoughts', RSS's second chief M.S. Golwalkar elaborated on what they called the Constitution, and I quote:

> "Our Constitution too is just a cumbersome and heterogeneous piecing together of various articles from various Constitutions of Western countries. It has absolutely nothing which can be called our own. Is there a single word of reference in its guiding principles as to what our national mission is and what our keynote in life is? Some lame principles from the United Nations Charter and the Charter of the now-defunct League of Nations and some features from the American and British Constitutions have been brought together in a mere hotchpotch manner. In other words, there is no reflection of Indian precepts and political philosophy in the Indian Constitution."

This is the official version of the RSS which has come out long back, when the Constitution was framed, in the official mouthpiece of the RSS. Who can deny this?

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Kindly conclude.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I have just started. The beauty of our Constitution is this. Like Rajnath Singh ji said, there were 15 women in the Constituent Assembly. Sir, three women were there from Kerala, namely, Ammu Swaminathan, Annie Mascarene and Dakshayani Velayudhan. Dakshayani Velayudhan hails from my constituency from a very small village, from an island called Mulavukad. She was the first graduate in the country from the dalit community. We are proud to say that somebody like Dakshayani Velayudhan is in the Constituent Assembly. On the other hand, in 2020 we had the Hathras incident in republic India

where a dalit woman was killed, raped and burnt. This is the new India of the BJP *sarkar.*

In the 17th Lok Sabha, there was the 126th Constitutional Amendment. There have been many Constitutional amendments according to time and according to the change in the society. The Constitution needs to be amended according to time, technology, etc. But the 126th Constitutional Amendment was for extending the reservation to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. When these people from BJP come to Kerala, they say to the Christian minority community that we are with you. We had two Anglo-Indian Members of Parliament in this august House. As I said about these women, there was one priest whose name is Fr. Jerome D'Souza. He was from the Anglo-Indian community. That Anglo-Indian community reservation to 10 Assemblies, 10 MLAs and two Members of Parliament has been scrapped by the BJP Government. … (*Interruptions*) I am asking the hon. Prime Minister. Will he bring back the Anglo-Indian reservation and the Anglo-Indian MPs back to this Parliament? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री हैबी ईडन (एरनाकुलम) : सर, यह मेरा बोलने का मौका है। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

… (*Interruptions*)

श्री हैबी ईडन (एरनाकुलम) : सर, फ्रेम चला गया था, मुझे एक बार और बोलना है। … (व्यवधान) I urge upon the Government of India whether they will bring back the Anglo-Indian reservation. They fought for the freedom struggle and they were part of the Constituent Assembly. They are microscopic minority who cannot win an election. They were given the reservation in the Indian Parliament, which was scrapped.

The Prime Minister of this country has time for Kapoor but no time for Manipur.

सर, यह क्या है? … (व्यवधान) इस कंट्री में डबल-इंजन सरकार चल रही है, मणिपुर में भी बीजेपी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है। … (व्यवधान) In the last one year, hundreds of people have lost their lives. Nothing has been taken care of.

HON. CHAIRPERSON: Shri E. T. Mohammed Basheer ji.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

… (*Interruptions*)

(1905/PS/IND)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, the first amendment made by Dr. Ambedkar was with regard to special provisions for the SCs and STs. The words 'socialist' and 'secular' were inserted into the Preamble of the Constitution by the 42nd Amendment during the tenure of Shrimati Indira Gandhi. The secular fabric of this country has to be protected. It is included in the Preamble.

The Constitutional amendments to MGNREGA, NRHM, Recognition of Forest Rights, Right to Education, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, Right to Speech, Street Vendors Act, and so on were made. The list goes on like this. This is a time when we have to understand … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Shri E.T. Mohammed Basheer.

… (*Interruptions*)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I will conclude with a quote. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go ahead.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, my time may kindly be compensated. My time is precious. … (*Interruptions*) I cannot speak now. … (*Interruptions*) He can complete.

HON. CHAIRPERSON: Yes, Sir, please be seated.

… (*Interruptions*)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, I am concluding in thirty seconds.

Sir, I am concluding with a quote of Pandit Jawaharlal Nehru. And I quote:

> "We shall face all the other disagreeable things that face us in the present or may do so in the future and we shall not flinch and we shall not falter and we shall not quit."

Sir, this is the Constitution of India.

Thank you.

(ends)

1906 hours

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in this historic Session.

Sir, I also begin with the words of Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar stood for morality in politics. My learned friend Mr. Hibi Eden just caught a part of it. I would like to complete it. Dr. Ambedkar said, and I quote:

> "I feel however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. – Sir, he continued – However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot."

It is so nice. It shows his farsightedness.

Now, Sir, what exactly is the beauty of the Indian Constitution? Shri Abdul Kalam Azad had a dream. I would like to quote:

> "India a cultural unity amidst diversity is like a bouquet of flowers with various colours and each add to the beauty of the whole."

We can very well understand his farsightedness.

Sir, now, what exactly is happening? There are two arms of the Indian Constitution – Secularism and Inclusiveness. If we do a further analysis of the Indian Constitution, it depends on Justice, Liberty, Equality and Fraternity. We are now very sad to say that the things are going in an opposite direction. This country is totally worried about it. What can we discuss? We can discuss the Constitutional rights of the minorities. Article 14, Article 25, Article 29(1), Article 29(2), Article 30 and Article 347 all are pertaining to the right of the minorities in the Constitution. Now, what is happening? All these rights are curtailed. Things are now going in an opposite direction. I would like to say that our forefathers had a dream. This Government is spoiling the entire thing.

Sir, if anybody asks as to what exactly is the saddest day as far as the secular India is concerned, we can say only one thing and that is, 6th December, 1992 when the demolition of Babri Masjid took place. Babri Masjid was demolished under the leadership of right-wing forces.

(1910/SMN/GG)

On that day, what happened? Those who demolished the Babri Masjid shouted a slogan. What exactly is that? *Yeh toh keval Jhanki hai, Kashi Mathura baaki hai.* Those who demolished Babri Masjid, travelled through the same path. We have to realize it.

The Archaeological Survey of India is playing another trick. What are they saying? They have listed 172 worship places. They are also going in that direction. They are also creating that kind of confusion in this system. The Government is having a determination that things should not go in that direction.

At the same time, the Government is also really spoiling the things. Regarding the Worship Act, 1991, the Allahabad High Court gave a Judgement. They went for appeal.

When they went for appeal, that order was nullified, and they have given a clear direction. I would like to say that it is like a silver lining for the courts. We can be proud of that judgement. That is one thing I want to say.

All those people are going for this kind of survey and things like that. When the ASI people went to the Sambhal Mosque, they were also shouting the slogan, Jai Shree Ram. That is there.

Five people were shot dead. For what reason? Innocent people died. They encroached their mosque and shouted slogans. The devotees were put to this kind of harassment. We can very well understand something more.

What is there? It is hooliganism. The Government itself is doing this kind of thing. What is this? I am asking a simple question. If fence itself is spoiling, who will save? Fence is for protection. If fence itself needs protection, who will save this country? May God save this country!

Things are going on in a different way. I want to say about mob lynching. It has become a regular phenomenon. Bulldozing the houses and stopping those minorities are also there. Hate speeches are spreading in the country. New legislations are made in different States. These types of things are going on. Social and economic marginalisation of the minorities is also happening in this country.

We have to realize that you should not ignore Pandit Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi Ji.

Mahatma Gandhi Ji said a civilization can be judged by the way it treats the minorities. How are you treating the minorities? That is the criteria for judging the country's prestige.

Similarly, Pandit Jawaharlal Nehru said the real test of democracy is the ability of even the weakest minority to feel secure. Gandhi Ji had a dream. Pandit Jawaharlal Nehru had a dream. Unfortunately, this country is going in a different direction.

Sir, this is an era of political brightness.

Now, I come to the issue of judiciary. Nobility, credibility, independency of the court is a marvellous thing. If this is maintained, we can very well know the consequences which are going to happen.

Towards the end, I have two more points. One is with regard to Manipur. Manipur is still burning. The Prime Minister has not gone there. He has travelled throughout the world but he is not going to find out the reality there. That is the thing.

We talk about inclusiveness. In our society, the most neglected section is physically handicapped, the differently abled. They are not getting justice. They are still paralysed. I humbly appeal to the Government to take very serious steps for the welfare of these people.

(ends)

(1915/SM/MY)

1915 hours

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): Sir, at the outset, I would like to thank you for having given me the opportunity to take part in this historical discussion on 75 years of journey of our Indian Constitution. I deem it a great honour and privilege to take part in this discussion today. It would be our bounden duty to pay our respect to the framers of our Constitution.

One of the tallest statesmen of our country, Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar ji, chaired the Drafting Committee and 389 Members of the Constituent Assembly also contributed to the framing of our Constitution. Besides them, Shri B.N. Rao ji was the Constitutional Advisor at that point of time and Shri S.N. Mukherjee was the chief draftsman of our Constitution.

It is pertinent here to draw the attention of the respected House to the observations made by Professor Tom Ginsberg who was a professor of the University of Chicago. He studied very closely and analysed 200 Constitutions across the world, which were adopted after 1798. He categorically mentioned that the relevance of these Constitutions was for a period of 17 years. When we look around and take into consideration the countries around our country, we realise that Sri Lanka has replaced its Constitution thrice; Pakistan has replaced its Constitution six times, and Nepal has replaced its Constitution five times. But we have a great Constitution which has withstood the time and has completed a journey of 75 years. Therefore, on behalf of 140 crore Indians, I would like to thank the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji for having declared November 26th as Constitutional Day, which is but a befitting tribute to the framers of our Constitution.

Sir, ours is recognised to be the second oldest Constitution and also perceived to be one of the longest and detailed documents, which also encompasses the pluralistic values of our country. We need to realise here that this is simply not a legal document. It is our moral guide. It seeks to provide equal rights and opportunities to the citizens of our country.

The outstanding feature of our Constitution is the balance that it displays between adaptability and rigidity. I say adaptability because it has withstood 106 amendments. It has subsumed 106 amendments and I say rigidity because it

has not lost and has not compromised with the core values at all. I would here like to quote the words of Babasaheb Ambedkar:

> "The Constitution is not a mere lawyer's document and its spirit is always the spirit of the age."

This reflects the strength of our Constitution. The appreciable aspect of our Constitution is that it simply does not seek to correct the wrong things which were done with many sections of our society, but it also seeks to address the challenges of an evolving modern society.

Many of the western democracies have shirked away or rather shied away from giving the women in their country equal rights right until 1960s. But it was our Constitution which gave the women of our country equal voting rights even as early as 1949 and this was a revolutionary decision at that point of a time. It simply does not give equal voting rights to women, but it also ensures equality of women and protects them from discrimination which is reflected in various Articles of our Constitution. For example, Article 14 ensures equality before law and equal protection of laws. Article 15 prohibits discrimination of any State on gender basis. Article 16 ensures equality of opportunity in employment. Article 39D ensures equal pay for equal work. Article 42 directs the State to provide humane working conditions and maternity relief. There are many more Articles. (1920/RP/CP)

The reason why I am quoting these Articles here today is that these various Articles have been made possible, and have found their way into the Constitution of India because of the great work done by 15 wonderful, great, and brave women of the Constituent Assembly.

Sir, I would like to quote some of them, and also remind the House the work that they have done. Shrimati Sarojini Naidu was one of them, and she promoted the importance of national identity symbolized in the National Flag. Sir, Begum Qudisia Aizaz Rasulji, who strongly opposed communal reservations, advocated minority education. Shrimati Ammu Swaminathan about whom one of the colleagues had just mentioned, was fondly called Ammukutty. She spoke on the economic issues and the problems of women workers. Shrimati Hansa Jivraj Mehtaji had advocated fundamental rights and rights for women too. Here, I would like to quote Shrimati Hansa Jivraj Mehtaji's interventions on two important issues. One was on the *purdah* system, and the

other was on the Uniform Civil Code. Sir, on the *purdah* system, she said, and I quote: “It is an inhuman custom which still exists in parts of India.

Unfortunately, we were told that raising this question will hurt the religious susceptibilities of some people. As far as the Hindu religion is concerned, it does not enjoin purdah, Islam does. But, I feel that Islam will better rid of this evil. Any evil practised in the name of religion cannot be guaranteed in the Constitution.” This is what she observed about the *purdah* system.

Sir, on the Common Civil Code, she said, and I quote:

> “The other item to which I wish to draw the attention of the House is the Common Civil Code. To my mind, this is much more important than even the National Language. We have too many personal laws in this country, and these personal laws are dividing the nation today. It is, therefore, very essential if we want to build up one nation to have one civil code. It must, however, be remembered that the civil code that we wish to have must be on par with or in advance of the most progressive of the personal laws in the country. Otherwise, it would be a retrograde step, and it will not be acceptable to all.”

Sir, Shrimati Vijayalakshmi Panditji emphasized India's role in protecting global peace. We had Shrimati Rajkumari Amrit Kaurji who supported extensively women's political participation. We had Shrimati Sucheta Kripalani, who emphasized the need for ensuring political rights for women. Shrimati Renuka Ray intervened on women's rights issues. Shrimati Leela Roy was deeply committed to gender equality. Shrimati Purnima Banerjeeji vehemently argued that power should lie with the people. Shrimati Annie Mascarene strongly argued for democratic reforms, considering that to be vital for a strong India. Shrimati Dakshayani Velayudhan, the only *dalit* woman, as was mentioned earlier, in the Constituent Assembly fought vociferously for doing away with untouchability, and also equal opportunities to all. Shrimati Kamala Chowdhury was committed to rural development. Shrimati Durgabai Deshmukh, whom we all know, was instrumental in setting up family courts in the country, and Shrimati Malati Choudhury advocated for land reforms, social justice, and rural welfare policies to the women in rural India.

Sir, these remarkable women have left an indelible mark on the Constitution of India, and it is living up to this spirit of the Constitution. Being inspired by the work done by, as somebody had mentioned earlier, the mothers of the Constitution, Shri Narendra Modiji has defined a new India's growth story wherein it is no longer women development, but rather women-led development.

Today, women in our country would no longer be passive recipients of the benefits of certain schemes, but rather to promote women-led development, our focus should be on nutrition, health, and education, which is exactly what the Narendra Modiji-led Government is doing today.

(1925/NKL/NK)

Sir, the Direct Benefit Transfer Scheme under the Pradhan Mantri Matru Vandan Yojana and the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan has today resulted in healthy mothers giving birth to healthy children and thereby a healthy nation. Access to sanitation has improved the health of the women in the country. The Schemes like Sukanya Samridhhi Yojana and Beti Bachao, Beti Padhao have actually facilitated girl child education. The financial inclusion for women in the country today has been facilitated through the Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana. The Maternity Benefit (Amendment) Bill, which has sought to extend the paid maternity leave for women from 12 weeks to 26 weeks, has ensured that the children of our country do get the mothers' care. The Namo Drone Didi has empowered our women farmers in rural India. The micro finance that we are actually facilitating for the women in our country has converted them into entrepreneurs under the Stand-Up India Scheme.

Sir, here I would be failing if I do not mention the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, which provides for 33 per cent reservation for women in Parliament as well as in the Assemblies. This is simply not just a facilitation of women coming forward, but we must understand and realize that this actually gives an opportunity to an entire dormant talent pool to come forward and take on the leadership role in our country. These interventions by the Narendra Modi-led Government have metamorphosized women to become leaders and key contributors to India's growing story. This only reflects the fact that our Constitution continues to shape the Indian governance as well, as it has been enshrined in the Constitution. Article 38 reads that the State is required to

promote the welfare of the people by ensuring a social order that is just, social, economic and political.

However, Sir, the evolution of our Constitution has not been without challenges, and this would also mean the challenges that the framers of our Constitution had faced even when they had to ensure the security and welfare of the millions of people who were displaced during the partition. Yet, amidst all the violence and the uncertainty of the day, the framers of our Constitution had met meticulously and religiously, and they have successfully given a Constitution to a country of exceptional diversity.

Sir, here, Dr. Babasaheb Ambedkar ji was a little apprehensive about the success of our Constitution when he said:

> "Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new Constitution, the reason will not be that we had a bad Constitution. What we will have to say is, that Man was vile."

Sir, his words have come true. Our Constitution has been amended 106 times since 1950. And, even so, our tall leaders have accepted various responsibilities when the Constitution was being framed. For example, Late Babu Rajendra Prasad ji had kept the records; Babasaheb Ambedkar ji had chaired the Drafting Committee; and the Iron Man of our country, Sardar Vallabhbhai Patel took it upon himself to actually bring a consensus among the minorities and the other communities in our country. At this juncture, it is very important to recall the observations of Sri Jawaharlal Nehru ji when he said:

> "Therefore, while we make a Constitution which is sound and as basic as we can, it should also be flexible and for a period we should be in a position to change it with relative facility."

Sir, at that point of a time, it might have sounded very innocently apt, but the irony is that just about a year and a half after the Constitution was adopted in 1950, on the 18th of August 1951, the first draconian amendment was made to the Constitution, and that too, to Article 19(1)(a) of the Constitution wherein freedom of expression, which was guaranteed under this Article, was actually curtailed and curbed. This move was bitterly opposed by Shri Shyama Prasad Mukherjee when he said:

> "You are treating this Constitution as a scrap of paper."

(1930/VR/SK)

Sir, our Preamble was not spared. Many of my colleagues have actually spoken about it when the words 'socialist' and 'secular' were introduced into the Preamble. At that point of time, Baba Saheb Ambedkar Ji had vehemently said that 'socialist' should not be added in the Preamble of the Constitution because no one typical governance style should be imposed upon the citizens of our country. Of course, the emergency of 1975-77 is a stark reminder of the violation of the provisions of the Constitution and an encroachment on the Fundamental Rights of the citizens of our country. Since the adoption of our Constitution, the Union Government had 134 times dismissed democratically elected Governments largely during when the principal Opposition party was in power. And, for the first time, I would like to emphasize on the word 'ironically' because it was on the 20th of June, 1951 that Article 356 was imposed in Punjab too.

Sir, Article 356 actually vests wide powers in the Central Government to stamp its authority on the State Governments. Though this Article, at that point of a time, was meant to preserve the integrity and the unity of our country, it has been blatantly used to oust democratically elected Governments that were led by opponent parties. This Article was borrowed from the Government of India Act of 1935. Ironically, the leaders of the freedom struggle had opposed the invocation of Article 93 from the Government of India's Act of 1935. The Britishers did not invoke it. But later on, it had found its way into our Constitution, and the reason why it was incorporated was to ensure stability in the post-Independent country. Baba Saheb Ambedkar Ji had called this Article a dead letter. But this Article has been misused a majority of times.

Here, I cannot refrain from recalling the experience of my late father, Shri N.T. Rama Rao ji, when he was undemocratically ousted out of power when Srimati Indra Gandhiji was the Prime Minister of the country. But it is thanks to the BJP, the principal party in the NDA Government today, and the love and affection of the people of Andhra Pradesh that have actually seen him reinstalled in the State of Andhra Pradesh. *....(Interruptions)*

Sir, it would be pertinent here to recall the comments from an Editorial of *The Economist. The Economist* in its Editorial had written, 'A ruler who regards his opponents as demons, is liable to start behaving like one. Mr. Nixon, 10-

years out of American presidency, has yet to say sorry. Mrs. Gandhi, four years back in power in India, is into her dirty tricks again.' This is what *The Economist* said. It is not what I said.

Sir, to conclude, the Constitution of India is not simply a compilation of Schedules and Articles. Neither does it simply seek to establish institutions, but it is rather a transformative one. The various provisions in our Constitution seek to ensure social and economic justice to all the citizens of our country.

Today, rising above all political considerations and ideologies, it is our bounden duty to pay respect to the 75 years' journey of our Constitution. The interpretation of our Constitution has been shaped by interventions of various sections of society, and we cannot leave the judiciary far behind. Our judiciary too has been a part of this evolution journey wherein, when it was necessary, they had worked closely with the Governments, but when it was so desired, the judiciary did not hesitate from striking down laws, policies, and, at the same time, amendments too to uphold the basic structure of our Constitution.

Sir, when our Constitution was being framed, the framers of our Constitution were both men and women, leaders from different parties, leaders belonging to various ideologies, from different castes, creeds, and backgrounds. So, today we can never say that the Constitution belongs to any one particular person, party, or ideology. This Constitution belongs to India, and this is what is very, very inspiring.

Sir, the oldest and the longest Constitution of the world today seeks to realize the dream of every Indian citizen. And, that dream, if I were to put it in the words of poet Iqbal, is to realize a country which is *Saare Jahan Simultaneous elections Achcha Hindusita Hamara.*

Jai Hind, Sir.

(ends)

(1935/KDS/SAN)

1935 बजे

सुश्री इकरा चौधरी (कैराना) : धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विशेष चर्चा पर बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूं। एक युवा सांसद के तौर पर, मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूं कि आज हमारे देश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादियों की हिफ़ाज़त के लिए हर रोज़ मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं।

सर, मैं डॉ. बी. आर. अंबेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहूँगी। उन्होंने कहा था- 'मुझे अपने भारत देश पर फख्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म को संजोता है।' लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है, वो किसी से छिपा नहीं है। ये लोग सिर्फ़ अपने मज़हबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हक़ीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि Hate Speech, Mob-lynching, Bulldozer द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगलराज चल रहा हो।

सर, संभल में जो हुआ, वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है, जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने Mob-lynching पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि Mob-lynching को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं, जो नफरत को और बढ़ावा देती हैं। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खासतौर पर मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी-रोटी पर चोट की जाए।

सर, मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बाहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह जायज़ है? असल में, ये छोटी-बड़ी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में यति नरसिहानंद ने बेहद घटिया बयान दिए, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। Hate speech न केवल जन मानस के विचारों को प्रदूषित करती है बल्कि इसने अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी

प्रभावित किया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए, जिसका संज्ञान खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मज़हबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सकें और अपने संस्थान चला सकें, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदायों को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। ऐसे कई मामलों में अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में समय लगने की वजह से देश के सामाजिक ताने-बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

(1940/MK/SNT)

मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया। लेकिन, इस प्रक्रिया में जो समय लगा, उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 भी आता है। कई अन्य अधिकार भी हैं, जिन्हें इसी तरह से अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। यह स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है बल्कि "Justice delayed is justice denied" जैसी कहावत को सिद्ध करती है। … (व्यवधान)

मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूं। खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, वह दिल को गहराई तक चोट पहुंचाने वाला है। उनके जान-माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो, हिन्दुस्तान हो या कोई और देश हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूं। यह वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डर कर जीने पर मजबूर न होना पड़े। जहां हक छीने जाते हैं, वहां अमन खो जाता है। यह बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें यह दिखाना होगा कि यह मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी।

सर, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक शेर अर्ज करना चाहती हूं –

“ये दाग़ दाग़ उजाला, ये शबगज़ीदा सहर
वो इन्तज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।”

लेकिन, अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य यह ठान लें कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें तो वह सुबह जरूर आएगी, जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है।

(इति)

محترمہ اقرا چودھری (کیرانہ): محترم چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ بھارت کے آئین کے 75 سال کی جرنی کے موقع پر میں سب سے پہلے آئین بنانے والوں کی دوردرشٹی کو سلام کرتی ہوں۔ ایک نوجوان کسان پارلیمنٹ کے طور پر میں اپنی امیدوں کو آئین کے ساتھ جوڑ کر خاص طور پر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہمارے ملک میں پچھڑے، دلت، اقلیتی سماج کو کس طرح اپنے آئینی حقوق اور آزادیوں کی حفاظت کے لئے ہر روز مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں۔

سر، میں ڈاکٹر بی۔آر۔ امبیڈکر کے کتھن سے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا تھا - مجھے اپنے بھارتیہ ہونے پر فخر ہے کہ جس کے پاس ایسا سیکولر آئین ہے جو لبرٹی، سماجواد اور سیکولرزم کو سنجوتا ہے۔ لیکن آج سیکولرزم کا سچ کسی سے چھپا نہیں ہے کیونکہ آئین کی کتاب تو ہے پر اسے چلانے والوں کا ایمان گم ہو گیا ہے۔ آج ہندوستان میں ہر طبقے کو کسی نہ کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر اقلیت، خاص طور پر مسلمانوں پر جو قہر ٹوٹا ہے، وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، یہ صرف اپنے مذہبی پہچان کی وجہ سے نشانے پر ہیں۔ آئین کی دفعہ 15 کہتا ہے کہ کسی بھی ناگرک کے ساتھ دھرم، جاتی، یا کسی اور وجہ سے بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہئے، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے۔ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ Hate Speech, mob lynching, bulldozer کے ذریعہ گھروں کو گرانے کی گھٹنائیں عام ہو گئی ہیں، خاص طور پر اتر پردیش میں، جہاں یہ سلسلہ لگتا ہے کہ جیسے طاقتوں کے نام پر جنگل راج چل رہا ہو۔

سر، سنبھل میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پولیس کے سنرکشن میں نردوش لوگوں کی ہتیا کی گئی اور سرکار نے چپی سادھ لی۔ اقلیتوں پر ظلم بڑھتی جا رہی ہے مگر سرکار میں بیٹھے لوگ یا تو آنکھیں موندے ہوئے ہیں یا پھر ان گھٹناؤں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ حد تو تب ہو جاتی ہے، جب پیڑتوں کی ایک ایک بات بھی ان سنی کر دی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے mob lynching پر 11 سوتری نردیش جاری کئے تھے۔ اس میں صاف کہا گیا تھا کہ راجیہ سرکاریں اور پولیس اس طرح کی گھٹناؤں کو روکنے اور دوشیوں پر سخت کارروائی کرنے کے لئے ذمہ دار ہیں لیکن آج بھی ان نردیشوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ ماب لنچنگ کو روکنے کی بجائے ستّا میں بیٹھے لوگ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نفرت کو اور بڑھاوا دیتی ہیں، یہ نفرت اب اتنی گہرائی تک پھیل چکی ہے کہ ہمارے سماج کے دھرم نرپیکش چرتر پر گہرا سوال اٹھ رہے ہیں۔ سال کی شروعات میں کئی راجیوں میں دکانداروں کو اپنے نام بورڈ پر لگانے کے لئے مجبور کیا گیا اسے صحت اور سرکشا کے قانونوں کا حصہ بتایا گیا مگر اصل مقصد کچھ اور تھا۔ یہ قدم خاص طور پر مسلم دکانداروں کو نشانہ بنا کر اٹھایا گیا تاکہ ان کی روزی روٹی پر چوٹ کی جائے۔

سر، مرادآباد میں ایک مسلم ڈاکٹر کو ہندو بہول محلے میں گھر خریدنے پر ورودھ جھیلنا پڑا۔ وجہ بتائی گئی کہ اس سے محلے کی سماجی شانتی بگڑ جائے گی۔ اب آپ ہی بتائیے کیا یہ وجہ جائز ہے؟ اصل میں یہ چھوٹی بڑی گھٹنائیں اس بات کا ثبوت ہے کہ سمپردایکتا کو بڑھاوا دینے والے بیان اور نیتیاں ہمارے سماج کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اتر پردیش میں نفرت اور ہنسا دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے لیکن سرکار انہیں روکنے کی کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہی۔ یہ چیز نہ صرف عام آدمی کے وچاروں کو پردوشت کرتی ہے بلکہ اس نے اب سمودھانک پدوں پر بیٹھے لوگوں کو بھی پربھاوت کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں مانیئے اُچ نیائے لئے، الہ آباد کے نیایادھیش نے ایسے بیان دئے جس کا سنگیان خود مانیئے سپریم کورٹ کو لینا پڑا۔ آئین کی دفعہ 29 اور 30 میں اقلیتوں کو ان کے مذہبی اور سانسکرتک حق دئے ہیں تاکہ وہ اپنی پہچان کو بچا سکیں اور اپنے

سنستھان چلا سکیں لیکن آج انہیں حقوق پر ہر طرح سے چوٹ کی جا رہی ہے۔ وقف جیسے بل لاکر دھارمک ادھیکاروں کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اقلیتی طبقے کو سمودھان دوارا دئے گئے بنیادی ادھیکار پانے کے لئے لمبی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے۔ کئی معاملوں میں عدالتوں نے انصاف دے کر سمودھان کی رکشا کی ہے، لیکن عدالتی پرکریا میں وقت لگنے کی وجہ سے سماج کے تانے بانے کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

مثال کے طور پر الہ آباد ہائی کورٹ نے سال 2004 کے مدرسہ ایکٹ کو رد کر دیا تھا جس سے مدرسوں کے مستقبل پر سوال اٹھ رہے تھے حالانکہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو پلٹ دیا اور ایکٹ کو برقرار رکھا، لیکن اس پرکریا میں جو وقت لگا اس نے طلبہ کو بے چینی اور سنگھرش کے دور میں ڈالا ہے۔ اسی کڑی میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 بھی ہے۔ کئی دوسرے ادھیکار بھی ہیں جنہیں اسی طرح سے عدالتی لڑائیوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ یہ حالت نہ صرف اقلیتوں کے ادھیکاروں کی راہ میں رکاوٹ ہے بلکہ Justice delayed is justice denied جیسی کہاوت کو ثابت کرتی ہے (مداخلت)

میں اس ایوان سے دنیا بھر کے اقلیتوں کی آواز اٹھانا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر ہمارے پڑوسی دیش بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دل کو گہرائی تک چوٹ پہنچانے والا ہے۔ ان کے جان مال کی ہتیا کی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش ہو، ہندوستان ہو، یا کوئی اور دیش ہو اقلیتوں کی سرکشا، عزت اور حقوق کی حفاظت ہر سرکار کے لئے سب سے پہلی ذمہ داری ہونی چاہئے۔ میں اس ایوان سے اپنے دیش کی اقلیتوں کے ساتھ بنگلہ دیش کے پیڑت اقلیتوں کی آواز کو ایک ساتھ اٹھانا چاہتی ہوں۔ یہ وقت کی پکار ہے کہ ہم سب مل کے طے کریں کہ کسی بھی انسان کو اس کی پہچان یا مذہب کی بنیاد پر ڈر کے جینے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ جہاں حق چھینے جاتے ہیں وہاں امن کھو جاتا ہے۔ یہ بات ہر سرکار کو سمجھنی چاہئے۔ اگر ہم سچ میں اپنے آئین کا سمان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نفرت اور بھید بھاؤ کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ یہ ملک ہر ورگ، ہر جاتی، ہر دھرم اور ہر طبقے کا ہے۔ جب تک یہاں انیائے ہوگا تب تک آئین کی آتما سسکتی رہے گی۔

سر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں۔

یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر

وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں

لیکن اگر اس ایوان میں بیٹھے ہم سبھی ممبران یہ ٹھان لیں کہ ہمیں آئین کے مولیوں کو لاگو کرنا ہے اور اسے لاگو کرنے کی کوشش کریں تو وہ صبح ضرور آئے گی۔ جس کے لئے لاکھوں ہندوستانیوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔

(ختم شد)

1942 बजे

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : धन्यवाद सभापति जी। आज सदन में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हो रही है।

सभापति जी, सदन के हमारे साथी विद्वान सदस्यों ने, पक्ष व विपक्ष दोनों तरफ से, खुशी की बात यह भी है कि सात घंटे से अलग-अलग उनके विचार आए। उधर से भी विचार आए और इधर से भी विचार आए। सारी बातें खुल कर आईं। निश्चित रूप से वर्ल्ड के अंदर हिन्दुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दूसरे देश हिन्दुस्तान को फॉलो करते हैं। इस धर्मनिरपेक्ष देश में हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आजादी है। संविधान ने हमें जो ताकत दी है, शायद वर्ल्ड के किसी देश में इतना ताकतवर संविधान कहीं नहीं होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की जो रखवाली हिन्दुस्तान के अंदर होती है, वह वर्ल्ड के किसी अन्य देशों में नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर हिन्दुस्तान को लिया जाता है और यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश भी है

महोदय, हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जहां संविधान रूपी पवित्र ग्रंथ को सर्वोच्च आदर्श मानकर देश की रीति-नीति बनती है।

सभापति महोदय, 13 दिसंबर, 2001 को हमारी संसद के ऊपर हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले सुरक्षाकर्मी और कार्मिकों को मैं नमन करता हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सर छोटू राम जी, शिवाजी महाराज, महाराज सूरजमल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाकउल्ला खान जी, भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों व महापुरुषों को भी नमन करूंगा। भगवान बिरसा मुंडा जी, सरदार उधम सिंह जी और जालियांवाला बाग में शहादत देने वाले वीरों, राजस्थान के मानगढ़ में शहादत देने वाले मेरे वीर आदिवासियों का भी मैं नमन करता हूं।

महोदय, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ, जिनकी वजह से आजाद भारत में संविधान अंगीकृत हुआ, उनका मान-सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह हमारे जीवन का सारथी है और सामयिक आवश्यकताओं के अनुरुप है।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार देने की पैरवी बाबा साहब ने की थी। अंग्रेजों के जाने के बाद, उस समय जब संविधान प्रवर समिति के सामने मामला आया तो यह बात चली थी कि वोट का अधिकार पढ़े-लिखे लोगों को मिले या जमींदारों को मिले या उच्च जाति के लोगों को मिले, तब बाबा साहब ने इस बात को कहा कि वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो हिन्दुस्तान के अंदर पैदा हुआ है और जो गुलामी के जंजीरों के अंदर रहा। उस समय अंग्रेजों का राज था।

(1945/SJN/AK)

उससे पहले जितने भी कालखंड आए, जहां हिन्दुस्तान के नागरिक गुलामी में सासें ले रहे थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार मिले। बाबासाहेब ने प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार को दिलाया था, जिसकी बदौलत आज हम और आप सब इस संसद के अंदर बैठे हैं। बाबासाहेब ने कहा था कि सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले, ताकि वह अपने मन मुताबिक सरकार का चुनाव कर सके।

सभापति महोदय, आज संसद हमले की बरसी मनाई जा रही है। 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। सबसे पहली शहादत राजस्थान के बेटे जेपी यादव ने दी थी। राजस्थान में सीकर जिले में बने नीम का थाना के रहने वाले जेपी यादव जी आतंकियों से शेर की तरह लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए। 26 नवंबर, 1949 को हम भारत के लोगों ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत करने का संकल्प लिया था। जब हम संविधान की इस गौरवमयी यात्रा को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो नजर आता है कि देश के किसी न किसी कोने के अंदर हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई और हमारे आदिवासी भाई समानता के अधिकार को हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं।

मैं राजस्थान की बात करूंगा। जालोर जिले के साइला तहसील के सुराणा गांव में कथित तौर पर पानी की मटकी को छूने पर पिटाई की वजह से नौवीं क्लॉस का एक बच्चा इन्द्र मेघवाल की मौत हो गई थी। मैं खुद वहां गया था। पाली के सरकारी अस्पताल में कार्यरत कोविड हेल्थ सहायक जितेन्द्र मेघवाल की हत्या इसलिए कर दी गई थी कि वह मूंछ नहीं रख सकता था।...(व्यवधान) केवल इस बात की वजह से हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वह मूंछ रखता था।...(व्यवधान)

हाल ही में बालोतरा में कुछ लोगों ने विशनाराम मेघवाल की हत्या कर दी थी। मेरे संसदीय क्षेत्र के खींवसर विधान सभा क्षेत्र के तातवा गांव में मेघवाल समाज के परिवारों को कुछ दबंगों ने पीटा था, मगर वहां की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि राजस्थान के अंदर आपकी पार्टी की सरकार है। मैं मांग करूंगा कि आजादी के 75 सालों के बाद भी दलितों और पिछड़ों को उनका हक और अधिकार मिले और जो कानून है, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, आप लोग ऐसा काम करें। राष्ट्रपति महोदया ने 26 नवंबर, 2024 को कहा था कि बाबासाहेब अंबेडकर जी की प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित है। इस बात को देश की सरकार लागू करें और वह सोचे कि बाबासाहेब की सामाजिक सोच के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं।

भाजपा के साथी सदस्यों ने देश में लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया है। मैं भी यह कहता हूं कि आपातकाल गलत था। बहुत से लोगों को तकलीफ हुई थी, बहुत से लोगों को जेलों में रहना पड़ा था। यह अच्छी घटना नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति ने एक झटके में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया था और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। आपको इस बात को भी याद रखना चाहिए।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आप कृपया अपनी स्पीच समाप्त कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : उस समय तो घोषित आपातकाल था, लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल है, उसका क्या? कोई भी सिस्टम के खिलाफ बोलें, तो सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं उसकी आवाज को दबा देती हैं। लोकतंत्र में सभी अधिकार समान रूप से लागू होने के बावजूद इस देश के अन्नदाताओं को एमएसपी पर कानून बनाने की मांग, काले कानूनों को वापस लेने तथा अन्य मांगों के लिए लंबा आंदोलन करना पड़ा है।...(व्यवधान)

महोदय, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। तमाम हालातों को देखकर लगा कि एक तरफ देश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, दूसरी तरफ देश की चुनी हुई सरकार किसानों को आर्थिक न्याय नहीं दे पा रही है।...(व्यवधान) मेरी मांग है कि किसानों की कर्जमाफी एवं एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की बात आप स्वीकार करें। अभी शंभू बॉर्डर या दूसरे बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहे हैं, आप किसानों से बात करें। संविधान में सहमति और असहमति दोनों को एक समान मूल्य के रूप में देखा गया है, लेकिन आज क्या हालात हैं? अगर कोई भी सांसद, कोई नेता, कोई भी व्यक्ति सरकार के निर्णय पर असहमति व्यक्त करता है, तो उसे दुश्मन की नजर से देखा जाता है। यह ठीक नहीं है।

सभापति जी, मैं अंत में एक और बात कहना चाहूंगा। मणिपुर देश का एक राज्य है। हमारे साथी भाइयों ने मणिपुर के हालातों पर विस्तार से बात की है। मैं पूछना चाहूंगा कि संविधान में कानून होने के बाद भी मणिपुर के हालात में कब सुधार होगा।...(व्यवधान)

(इति)

1948 hours

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Hon. Chairperson Sir, thanks for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Glorious Journey of 75 years of the Constitution of India. … (*Interruptions*)

As we celebrate the completion of 75 years of our Republic, let us take a moment to reflect on the monumental journey of our Indian Constitution, a document that serves as the bedrock of our democracy, the guardian of our liberties, and the blueprint for our nation's governance. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I have asked him to speak. He is speaking. Please listen to him.

… (*Interruptions*)

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): The Indian Constitution drafted under the leadership of Dr. B. R. Ambedkar and with the contributions of visionaries like Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, and many others is the longest written Constitution in the world. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : बेनीवाल जी, प्लीज आप बैठ जाइए। I had given you three extensions. Please be seated.

… (*Interruptions*)

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): It represents the aspirations of a diverse and vibrant population, and its enduring relevance is a testament to its robustness and adaptability. … (*Interruptions*)

(1950/UB/SPS)

Over the past 75 years, our Constitution has been amended 106 times to address emerging challenges and changing socio-political realities. These amendments reflect the dynamic nature of our democracy while staying true to its core principles.

One of the foremost achievements of our Constitution is its role in establishing and nurturing democracy.

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : बेनीवाल जी, प्लीज आप बैठ जाइए।

… (<u>व्यवधान</u>)

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): For 75 years, India has remained a vibrant democracy, holding free and fair elections, ensuring peaceful

transitions of power, and empowering citizens to choose their leaders. The Election Commission, established under the Constitution, has been pivotal in maintaining the sanctity of the electoral process. The Constitution has been instrumental in addressing historical injustices and promoting social equity. The principles of equality before the law and the abolition of untouchability have been transformative. The reservation system for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes has been a significant step towards achieving social justice. Through affirmative action, laws for women's rights, focus on marginalized communities, and vast powers given to the village administration through Panchayati Raj, the Constitution has consistently championed equality.

The integration of States and the efficient management of linguistic and cultural diversity reflect the success of federalism. The Indian judiciary, led by the Supreme Court, has played a crucial role as the guardian of the Constitution, ensuring checks and balances, thereby upholding Constitutional values. Landmark initiatives such as the Green Revolution, economic liberalization, and the recent push towards Digital India have their roots in the Constitutional vision of a welfare state.

The Constitution's federal structure has allowed India to manage its vast diversity. By granting autonomy to States while maintaining the unity of the nation, it has ensured that the needs and aspirations of the different regions are addressed. Initiatives like 'NITI Aayog', have further strengthened the relationship between the Centre and the States. The 'One Nation, One Ration Card' scheme is a shining example of ensuring uniformity and inclusivity across States.

माननीय सभापति : बेनीवाल जी, आपको चार बार बोल चुके हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : बेनीवाल जी, आप उनका अपमान कर रहे हैं। वह अपनी स्पीच बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRI M. MALLESH BABU (KOLAR): Under the current NDA Government, several transformative initiatives have further advanced this vision. The

‘Make in India’ campaign has revitalized manufacturing, ‘Startup India’ has encouraged entrepreneurship, and the implementation of the Goods and Services Tax (GST) has streamlined the country's economy by creating a unified market. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has empowered millions by providing access to financial services and the Digital India initiative has made technology accessible to even the remotest corners of the country.

During the regime of NDA Government, several landmark decisions and amendments have been made to reflect changing priorities. The abrogation of Article 370 has brought Jammu and Kashmir into the mainstream, while the Citizenship (Amendment) Act reflects a commitment to protecting persecuted minorities. Bold reforms in labour laws, recently, and the introduction of the new National Education Policy aim to align governance with contemporary needs. It is pertinent to mention that with an auspicious leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and his decisive actions, welfare initiatives, such as the Direct Benefit Transfer mechanism and the fruitful measures to double farmers' incomes, India's international standing has been elevated through proactive diplomacy, economic reforms, and global initiatives, since past 10 years.

As we commemorate 75 years of our Constitution, let us pledge to protect and uphold its ideals. Let us remember the sacrifices of our freedom fighters and the vision of our Constitution makers. While we have much to celebrate, challenges remain. Issues like corruption, poverty, inequality, and regional disparities need continued attention. It is our collective responsibility to uphold the values enshrined in the Constitution and work towards a more just, equitable, and prosperous society. Most importantly, let all of us contribute in our unbeatable constitutional ways to building a nation that truly reflects the principles of justice, liberty, equality, and fraternity by the year 2047.

Thank you! (ends)

(1955/MM/SRG)

1955 बजे

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संविधान की डिबेट पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, आज हमारे देश के लिए सबसे सर्वोच्च और शुद्ध ग्रंथ संविधान है। आज मैं इस सदन में अगर पहुंचा हूं तो वह संविधान की मेहरबानी है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की मेहरबानी है। मैं संविधान को नमन करते हुए और मेरे क्षेत्र की जनता को प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखना चाहूंगा।

महोदय, संविधान में प्रावधान किया गया है कि इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वर्ग विशेषकर देश का गरीब तबका, आदिवासी समुदाय और एससी समुदाय के उत्थान के लिए इस संविधान में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 75 वर्ष होने के बाद भी संविधान में आदिवासी समुदाय के हित के लिए जो प्रावधान बने हुए हैं, उसमें अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पांचवी अनुसूची, अनुच्छेद 244 (2) के अंतर्गत छठी अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र के प्रावधानों को आज तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान या पूर्व की सरकारें जो भी रही हों, उन सरकारों की आदिवासी समुदाय के हित में और संविधान के अंदर आदिवासियों के जो प्रावधान हैं, उनके लिए क्या मानसिकता रही है।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग जब पांचवी और छठी अनुसूची के तहत हमारे विशेषाधिकार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पार्टियों के कई नेता पांचवीं पांच के नाम से आम जनता को गुमराह करते हैं। बड़े दुख की बात है कि पांचवी और छठी अनुसूची में रहने वाली आम जनता को आज तक उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताया गया या उनको पता नहीं चला है।

महोदय, आज रिजर्वेशन का निजीकरण किया जा रहा है। यह भी एक तरह से संविधान पर कुठाराघात है। जातिगत जनगणना की लंबे समय से मांग चल रही है। लेकिन जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, यह भी संविधान पर कहीं न कहीं कुठाराघात है। मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं, उससे भी यह सिद्ध होता है कि संविधान पर कहीं न कहीं कुठाराघात है।

महोदय, मैं इस अवसर पर भीमराव अम्बेडकर जी, जयपाल मुंडा, नेहरू जी जैसे कई महापुरुषों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश को शानदार संविधान दिया है। साथ ही साथ आज के दिन जो सैनिक शहीद हुए थे, उनको भी नमन करना चाहूंगा। संविधान के प्रावधान के तहत पेसा एक्ट इस देश के अंदर आया। वर्ष 1996 में पेसा एक्ट आया और आज 28 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कई राज्यों में पेसा एक्ट का कानून लागू नहीं हुआ है।

महोदय, पेसा एक्ट में प्रावधान है कि शेड्यूल्ड एरिया में जो भी जमीन कोई भी उद्योगपति लेता है तो उसको पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में देखा गया है कि राष्ट्र हित के नाम पर भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। पेसा एक्ट को नजरअंदाज किया जाता है। हमने कई जगह देखा है कि खनन के नाम पर पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की बिना परमिशन के जमीन ली गयी और उसे राष्ट्र हित में बताया गया। आदिवासियों का घर उजाड़कर उद्योगपति को जमीन देना कौन सा राष्ट्र हित है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण हंसदेव का है, जहां फर्जी ग्राम सभा गठित की गयी। यह क्लीयर है कि कहीं न कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है।

महोदय, हम अगर देखना चाहें कि कितनी जगह पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा से जमीन के लिए अनुमति ली गयी, पिछले दस सालों में कितने प्रोजेक्ट ट्राइबल इलाकों में लगाए गए? इसका पिछले दस सालों का डेटा निकालकर देखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकारें हों, आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के प्रति कितनी संवेदनशील हैं।

महोदय, जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है। आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है, उसको वह हजारों सालों से जीता आ रहा है। यह मानना पड़ेगा कि संविधान निर्माताओं ने भी देखा कि आदिवासियों समुदायों की गण व्यवस्था, गमेती, पटेल, मुखिया की व्यवस्था को ही कहीं न कहीं अडॉप्ट किया गया है। लेकिन आज लोकतंत्र में जिस तरह से तानाशाही हो रही है, इससे कहीं न कहीं आम जनता और गरीब के लिए दिक्कत हो रही है। जल, जंगल और जमीन आदिवासी जीवन का आधार है। यह बिरसा मुंडा जी और जयपाल सिंह मुंडा जी का कहना था, लेकिन आज उसी जल, जंगल और जमीन को उजाड़ा जा रहा है।

महोदय, आदिवासियों समूहों की अपनी एक अलग पहचान है। पूर्वजों के त्याग, बलिदान के आधार पर आरक्षण मिला है। देश की आजादी में सबसे अधिक त्याग और बलिदान आदिवासियों द्वारा दिया गया है, लेकिन आज उसको नजरअंदाज किया जाता है। हाल ही में राजस्थान की सरकार एससी-एसटी की जमीन को गैर आदिवासियों को खरीदने की अनुमति देकर एससी-एसटी के संवैधानिक अधिकारों पर कहीं न कहीं कुठाराघात किया है।

महोदय, अनुच्छेद 243 ZC के प्रावधानों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए। समता जजमेंट, 1997; वेदांता जजमेंट, 2013 और रामारेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश, 1998; कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार, 11 जनवरी, 2005 लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इन जजमेंट को लागू नहीं किया गया है।

(2000/YSH/RCP)

अगर आप निकाल कर देखेंगे तो पता लगेगा कि ट्राइबल इलाके के हित में जितने भी जजमेंट आए, उनको आज तक लागू नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हजारों वीरों के बलिदान के बाद छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, संताल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, विल्किंसन रूल, 1837 जैसे जितने भी एक्ट आए थे, उनके लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया था, उसके बाद ये एक्ट आए थे, लेकिन आज देखा गया है कि आजादी के बाद इन किसी भी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : माननीय सदस्य, कंक्लूड कीजिए।

श्री राजकुमार रोत (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं हमारे देश की न्याय व्यवस्था की बात करना चाहता हूँ। देश में आज बहुत ज्यादा एट्रोसिटी हो रही है।

(इति)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2001 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 14 दिसम्बर, 2024/ 23 अग्रहायण, 1946 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।